1 मार्च, 1996
फाल्गुन, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सोलहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

दिनांक 1 मार्च, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद

[हिन्दी संस्करण] का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
9	नीचे से 16	मिले	मिलें
14	नीचे से 11	ब्यौरों	ब्यूरो
48	1	वाणिज्यम मंत्रालय	वाणिज्य मंत्रालय
51	21	वित्त मंत्रालय म	वित्त मंत्रालय में
54	4	पानव-निर्मित	मानव-निर्मित
63	12	भारतीय संख्या	भारी संख्या
71	नीचे से 11	खजिन	खनिज
116	1	शते	शर्तें
119	1	ग्मीण	ग्रामीण

विषय–सूची

दशम माला, खंड 47, सोलहवां सत्र, 1996/1917 (शक)
अंक 5, शुक्रवार, 1 मार्च, 1996/11 फाल्गुन, 1917 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		2-164
* तारांकित प्रश्न संख्या :	61 से 80	2-21
अतारांकित प्रश्न संख्या	441 से 615	21-164

लोकसभा

शुक्रवार, 1 मार्च, 1996/फाल्गुन, 11, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे बडे दुःख के साथ सभा को अपने एक वर्तमान साथी श्री रूद्रसेन चौधरी तथा तीन अन्य भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री गोपीराम, सरदार स्वर्ण सिंह सोखी और बिशन चन्द्र सेठ के निधन की सूचना देनी है।

श्री रूद्रसेन चौधरी वर्तमान लोक सभा में उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इससे पूर्व वह वर्ष 1977-79 और 1989-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के केसरगंज संसदीय क्षेत्र से छठी और नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक, श्री चौधरी ने ग्रामोत्थान और किसानों तथा कृषि मजदूरों को शिक्षा के महत्व और कृषि के आधुनिक तरीकों की ओर प्रेरित करने के लिए अथक प्रयास किया।

एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्त्ता होने के नाते वह विभिन्न आंदोलनों और सत्याग्रहों में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल भी गए।

श्री रूद्रसेन चौधरी जी की विचारगोष्ठियों में विशेष रूचि थी। उन्होंने कुछ पत्रिकाओं में कृषि की समस्याओं पर लेख भी लिखे। उन्होंने कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों की समस्याओं पर गोष्ठियों का आयोजन भी किया था।

श्री चौधरी एक सक्रिय सांसद थे और अनेक संसदीय समितियों और सलाहकार समितियों के सदस्य रहे। वह सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के भी सदस्य थे।

कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे, श्री चौधरी का निधन आज सुबह 66 वर्ष की आयु में डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में हो गया।

श्री गोपी राम 1952-57 के दौरान प्रथम लोक सभा में हिमाचल प्रदेश के मंडी-महासू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

वह 1957-72 के दौरान तीन बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे।

एक सक्रिय सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री गोपीराम ने वर्ष 1949 में मंडी नगरपालिका के सदस्य के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया। उन्होंने अपने क्षेत्र के सामुदायिक परियोजनाओं के संबंध में स्थापित। गठित अस्थाई सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया और वह पंजाब सर्किल के क्षेत्रीय रोजगार सलाहकार समिति के सदस्य भी थे।

वह एक लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने दलितों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया तथा उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के एक सहयोगी सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री गोपी राम का निधन 73 वर्ष की आयु में 22 सितम्बर, 1995 को मंडी के निकट चड़याना में हुआ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी ने 1971-77 के दौरान पांचवी लोक सभा में बिहार के जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री सोखी मजदूर आंदोलन के साथ जुडे हुए थे तथा उन्होंने उनके कल्याण के लिए अथक प्रयास किया।

श्री सोखी का निधन 71 वर्ष की आयु में 29 नवम्बर, 1995 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ ने 1957-62 तथा 1962-67 के दौरान क्रमशः दूसरी तथा तीसरी लोक सभा में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और एटा संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से व्यापारी, श्री सेठ आर्य समाज के नेता थे। इसके साथ-साथ वह विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों में अनेक पदों पर भी रहें।

लोक प्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री सेठ सरदार पटेल हिन्दु इन्टर कालेज, शाहजहांपुर के प्रबंधक तथा सचिव थे। उन्होंने हिन्दी में दो पुस्तकें लिखीं।

श्री बिशन चन्द्र सेठ का निधन 89 वर्ष की आयु में 11 फरवरी, 1996 को उत्तर प्रदेश में वृन्दावन में हुआ।

हम इन सभी दिवंगत महानुभावों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

11.06 म०पू०

तत्पश्चात सदस्यगण थोडी देर मौन खडे रहे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, इससे पहले भी मैंने इस बात की ओर संकेत किया था और अभी भी संकेत कर रहा हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय सदस्य के गुजर जाने के छह महीने के पश्चात निधन संबंधी उल्लेख प्रस्तुत किया जा रहा है। अवश्य ही एक ऐसा तंत्र है जिसकी सहायता से कार्यालय द्वारा सूचना बहुत पहले प्राप्त की जा सकती है। इस सदस्य का निधन गत सितम्बर में हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह समझना होगा कि लोग बहुत ही दूरस्थ इलाकों में रहते है। यह उन सदस्यों के बारे में किये गये उल्लेख है जो काफी पहले लोक सभा के सदस्य रहे हैं और वयोवृद्ध थे और हम किसी प्रामाणिक रिपोर्ट के बिना कोई उल्लेख नहीं करना चाहते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भंडार

***61. डा० रमेश चन्द तोमर :**
श्री रूपचन्द पाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशी मुद्रा का भंडार कितना है और गत तीन वर्षों के दौरान इन्हीं तारीखों को इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या थी;

(ख) 30 जुन, 1995, 31 दिसम्बर, 1995 तथा 15 फरवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल के महीनों में सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में कोई कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही इस निरंतर कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने के प्रस्ताव हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) पिछले तीन वर्षों की समवर्ती तारीखों की स्थिति सहित, 16 फरवरी, 1996 को स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकारों (एस०डी०आर०) सहित भारत का विदेशी मुद्रा भंडार निम्नानुसार है :–

तारीख	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (अमरीकी मिलियन डालर)
18 फरवरी, 1993	8645
18 फरवरी, 1994	16179
17 फरवरी, 1995	23797
16, फरवरी, 1996	20634

(ख) 30 जून, 1995, 31 दिसम्बर, 1995 और 15 फरवरी, 1996 को भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा एस०डी०आर० सहित देश के विदेशी मुद्रा भंडार का विवरण नीचे दिया गया है :–

तारीख	विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	(मिलियन अमरीकी डालर) स्वर्ण	एस०डी०आर०	जोड
30 जून, 1995	19,601	4,457	95	24,153
31 दिसम्बर, 1996	17,467	4,457	139	22,063
15 फरवरी, 1996	15,873	4,587	59	20,519

(ग) जी, हां।

(घ) विदेशी मुद्रा भंडारों के स्तर में परिवर्तन भुगतान संतुलन के चालू और पूंजीगत खातों में अंतः प्रवाहों और बाह्य प्रवाहों की मदों की बहुत बड़ी संख्या में घट-बढ़ के परिणामस्वरूप हुआ है। इनमें से ठीक एक या अधिक मदों की प्रारक्षित स्तरों में परिवर्तन के लिए उत्तरदाई ठहराना कठिन है। तथापि, हाल के महीनों में विदेशी मुद्रा भंडारों में गिरावट के उत्तरदायी कारकों में ये शामिल हैं :– विदेशी पोर्टफोलियो पूंजी में अंतः प्रवाह का धीमा होना, पहले प्राप्त किए गए विदेशी ऋण की विशाल मात्रा में वापसी अदायगी और उद्योग और अन्य क्षेत्रों की तीव्र वृद्धि के कारण आयातों में हुई तीव्र वृद्धि।

(ङ) विदेशी मुद्रा आपूर्ति स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों के द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। व्यापार और विनिमय दर नीतियों से एक गत्यात्मक निर्यात वृद्धि और लागत प्रभावी तरीकों से आयात प्रतिस्थापन प्राप्त करने के लिए प्रभावी समर्थन प्राप्त हुआ है। अद्यतन उपाय निर्यात आय की प्राप्तियों में तेजी लाने और आयातों के लिए पूर्व-भुगतान पर रोक लगाने पर केन्द्रित है। गैर-ऋण सृजक विदेशी निवेश प्रवाहों को उदार विदेशी निवेश नीतिगत उपाय अपना कर प्रोत्साहित किया गया है। बैंकों को अनिवासी जंमाराशियों को जुटाने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी जमाराशियों के संबंध में नकदी प्रारक्षित अनुपात में ढील दी है तथा 6 महीने से 3 वर्ष तक और उससे अधिक की परिपक्व जमाराशियों के लिए अनिवासी (बाह्य) रुपया सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर को बढ़ाया है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा बैंक में जमा की जाने वाली राशि

*62. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारत स्थित विदेशी बैंकों की शाखाओं में जमा की जाने वाली राशि में गत वर्ष के दौरान काफी अधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) अनिवासी भारतीयों को राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारत स्थित विदेशी बैंकों की शाखाओं में और अधिक राशि जमा कराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गए अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1995-96 के दौरान, दिनांक 2 फरवरी, 1996 तक अनिवासी भारतीयों की कुल जमाराशियों में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :–

(करोड़ रुपए

	1995-96 (31 मार्च, 1995 से 2 फरवरी, 1996 तक)	1994-95 18 मार्च, 1994 से 3 फरवरी, 1995 तक)
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	+ 6007	+ 5902

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) भारतीय रिर्जव बैंक ने अनिवासी जमाराशियों में वृद्धि को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं :–

(1) अनिवासी (बाह्य) आवधिक जमाराशियों पर ब्याज-दर छः महीनों से तीन वर्ष तक की परिपक्वता के लिए दिनांक 1 अक्तूबर, 1995 से 2 प्रतिशत बिन्दु बढ़ाई गई, जो "10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगी" और दिनांक 31 अक्तूबर, 1995 से इसमें और वृद्धि की गई, जो 12 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगी। ताकि घरेलू आवधिक जमाराशियों और अनिवासी (बाह्य) आवधिक जमाराशियों पर बेहतर ब्याज दरें प्राप्त हों।

(2) अक्तूबर, 1995 से जनवरी, 1996 तक की अवधि के दौरान, विशिष्ट अनिवासी जमाराशि योजना पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात में छूट दी गई थी। दिनांक 27 अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार, अनिवासी बाह्य दायित्व बकाया राशि पर औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था और ऐसी जमाराशियों के इस स्तर से अधिक हो जाने पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात शून्य प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया था। अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी करने का उद्देश्य यह था कि बैंक अपनी निधियों के अभिनियोजन पर आय बढ़ाकर अनिवासी बाह्य जमाराशियों की अपनी लागत में वृद्धि को संतुलित कर सकें।

(3) विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफ०सी०एन०आर०) बैंक जमाराशियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाकर "शून्य" कर दिया गया था, ताकि इस योजना को बैंकों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके और बैंक एफ०सी०एन०आर०बी० जमाराशियों का और अधिक प्रतियोगी रूप से उपयोग कर सकें।

(4) अनिवासी, अप्रत्यावर्तनीय (एन०आर०एन०आर०) जमाराशियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाकर "शून्य" कर दिया गया था, ताकि बैंक एन०आर०एन०आर० जमाराशियों का और अधिक प्रतियोगी ढंग से उपयोग कर सकें।

[अनुवाद]

दालों का निर्यात

***63. श्री मोहन रावले :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दालों के निर्यात के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) 1995-96 के दौरान अभी तक कुल कितनी मात्रा में दालें निर्यात की गई हैं और इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) दालों के निर्यात की अनुमति देने के क्या कारण हैं जबकि घरेलू खपत हेतु दालों की पहले से ही कमी है; और

(घ) घरेलू मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) मौजूदा निर्यात एवं आयात नीति के अनुसार परिष्कृत दालों समेत दालों का निर्यात करना प्रतिबंधित है और इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तथापि, शुल्क छूट योजना के तहत अथवा ई ओ यू यूनिट/ई पी जेड यूनिट द्वारा आयातित दालों से निर्मित परिष्कृत दालों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता।

वर्ष 1995-96 के दौरान, दालों के निर्यात के लिए 10,000 टन की सीमा निर्धारित की गई है। चना दाल की खरीफ की अच्छी फसल होने के बाद कृषि मंत्रालय के सामान्य निर्यात के लिए 20,000 टन चना/चना दाल और एस०टी०सी० और नेफेड के जरिए 14,000 टन निर्यात करने हेतु अनुमोदित किया है। ऐसा घरेलू बाजार में इस वस्तु के गिरते मूल्य को बढ़ाने के लिए किया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक लाइसेंसों पर 4857 टन दालों का निर्यात किया गया है। शुल्क छूट योजना के तहत अथवा ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड० इकाइयों द्वारा आयातित दालों से निर्मित परिष्कृत दालों के निर्यात को शामिल करते हुए, जिसके लिए निर्यात लाइसेंस जरूरी नहीं हैं, अप्रैल से दिसम्बर, 1995 के दौरान निर्यातित दालों की कुल मात्रा का अनुमान 41074 मि०टन लाया गया है जिसका मूल्य 83.65 करोड़ रुपए है। 4857 मि० टन दाल देश में उत्पादित दाल का लगभग 0.03% बनता है। ऐसे बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दी गई है जहां भारतीय अथवा भारतीय मूल के लोग अधिक संख्या मे रहते हैं।

(घ) दालों का उत्पादन और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना लागू की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत, विविध व अन्तर-फसल के जरिए और पैदावार प्रति इकाई क्षेत्र पर बढ़ाते हुए क्षेत्रफल को बढ़ाने पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अन्य प्रमुख उत्पादों के लिए निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है :–

(1) प्रमाणिक/गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और संवितरण।

(2) प्रजक बीज की खरीद एवं मूल बीज का उत्पादन।

(3) बीजों के उपचार के लिए पौधा रक्षण रसायन का संवितरण।

(4) उन्नत कृषि औजारों का संवितरण।

(5) सूक्ष्म-पुष्टिकारकों की आपूर्ति।

(6) छिड़काव यंत्रों का संवितरण।

इसके अलावा, घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दालों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के तहत रखा गया है और आयात पर लगाने वाले सीमाशुल्क को घटाकर 5% कर दिया गया है।

कपास का निर्यात

***64. श्री सी० श्रीनिवासन :**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-96 के दौरान कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ और इससे पहले इसका शेष मण्डार कितना था;

(ख) क्या देश में कपास की अधिकता के कारण घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में हाल ही में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कपास के निर्यात पर से सभी प्रकार के प्रतिबन्धों को हटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ) कपास सलाहकार बोर्ड ने दिनांक 5 फरवरी, 1996 को हुई अपनी बैठक में वर्ष

1995-96 के दौरान कपास का उत्पादन तथा प्रारंभिक स्टाक क्रमशः 136.50 लाख गांठ और 35.02 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है।

पिछले वर्ष की तुलना में कुछ किस्मों की कपास की कीमतों में गिरावट आने की प्रवृति दृष्टिगत हुई है। तथापि यह नोट किया जाए पिछले वर्ष कीमतें बहुत ऊंची थी। इसके अतिरिक्त इस समय कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमतों से अधिक हैं तथर 23.2.1996 को ये 39% से 124% तक के बीच रहीं जो कि कपास की किस्म पर निर्भर हैं। कपास सलाहकार बोर्ड के अनुमानों के अनुसार वर्ष 1995-96 में घरेलू मांग 130.80 लाख गांठ होने की संभावना है तथा 35.02 लाख गांठों के प्रारंभिक शेष को हिसाब में लेने से अनुमानित आयात सहित इसकी उपलब्धता 172.52 लाख गांठ हो जाएगी। चालू कपास वर्ष में सरकार ने निर्यात के लिए कपास की 9.15 लाख गांठों की रिलीज पहले से ही कर दी है। दो तिहाई से अधिक उपज बाजार में पहले ही आ चुकी है। सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। कपास का निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रुपय का मूल्य

*65. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्री बलराज पासी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीकी डालर तथा अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए का मूल्य गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा गत चाह माह के दौरान तत्संबंधी साप्ताहिक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे देश में विशेषरूप से व्यापारी-समुदाय में अत्यधिक चिंता पैदा हो गई है;

(घ) यदि हां, तो रुपए के मूल्य में स्थिरता लाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट के परिणामस्वरूप व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, सरकारी वायदों को पूरा करने के लिए आरक्षित कोष में कमी तथा रक्षा खर्च और ऋणों पर ब्याज की देनदारी इत्यादि में भी वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं तथा आगे किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) रुपए की विनिमय दर में जिसका जनवरी, 1996 में और 6 फरवरी, 1996 तक विशेषकर अमरीकी डालर के मुकावले अवमूल्यन हुआ था, अब सुधार हुआ है। दिनांक 29.2.1996 की स्थिति के अनुसार अमरीकी डालर और अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकावले रुपए के मूल्य में, दिसम्बर, 1995 के अंत की दरों की तुलना में वृद्धि हुई है। अमरीकी डालर और अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकावले अक्तूबर, 1995 से रुपए की साप्ताहिक औसत विनिमय दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (छ) वर्तमान में रुपए की विनिमय दर का स्तर यर्थायवादी है और यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि निर्यात अभिवृद्धि सुदृढ़ बनी रहे और आयात अभिवृद्धि नियंत्रण में रहे है। ये दोनों कारक व्यापार घाटे को नियंत्रणीय स्तरों तक निर्यत्रित रखने में सहायता करेंगें। विनिमय दर घटनाक्रम का सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा लगातार अनुवीक्षण किया जाता है और विनिमय दर में अधिक अस्थिरता का सामना करने और व्यवस्थित बाजार दशाओं को बनाए रखने के लिए, जब भी आवश्यक हो, उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। अभी हाल में, विदेश व्यापार संबंधी अदायगियों और प्राप्तियों में वृद्धि के जरिए सट्टेबाजी का सामना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 7.2.1996 को कुछ कठोर उपायों की घोषणा की। इसमें ये शामिल हैं : (I) अमरीकी डालरों में अंकित लदान-पश्च निर्यात क्रेडिट संबंधी योजना को समाप्त करना, (II) 90 दिन से अधिक के लिए लदान-पश्च निर्यात रुपया क्रेडिट पर लगी ब्याज-दर हटाना, (III) आयात-वित्तपोषण पर ब्याज संबंधी अधिभार को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना और (IV) प्राधिकृत डीलरों के वायदा-व्यापार संविदाओं और एक दिन में हुए कारोबारी लेनदेनों के निरतन की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मानीटरिंग। ये उपाय 8.2.1996 से प्रभावी हुए थे। इन उपायों की घोषणा के बाद से विदेशी मुद्रा के बाजार में स्थिरता बनी हुई है।

विवरण

रुपए की विनिमय दर
(साप्ताहिक औसत)

(रुपए प्रति विदेशी मुद्रा)

समाप्त सप्ताह	अमरीकी डालर	पौंड स्टर्लिंग	ड्युश मार्क	जापानी येन @
1	2	3	4	5
अक्तूबर, 1995				
6	33.8817	53.6650	23.6583	33.6442
13	33.9180	53.5508	23.9253	33.7228
20	34.8920	54.9365	24.6340	34.7280
27	36.5200	56.0996	25.5300	35.2133

1	2	3	4	5
नवम्बर, 1995				
3	34.5840	54.5803	24.4723	33.6685
10	34.6788	54.8131	24.4753	33.8747
17	34.6970	54.1698	24.6320	34.2343
24	34.8360	54.2168	24.6855	34.3435
दिसम्बर, 1995				
1	34.9200	54.0105	24.3808	34.4268
8	34.8650	53.6225	24.2313	34.3995
15	34.9180	53.6043	24.1640	34.4103
22	34.9850	53.8938	24.3163	34.3383
29	35.0900	54.4353	24.4606	34.1741
जनवरी, 1996				
5	35.2600	54.6618	24.5033	33.8653
12	35.7530	55.3053	24.8260	34.0378
19	35.8670	54.9483	24.5275	33.9480
25	35.8463	54.2463	24.2716	33.8231
फरवरी, 1996				
2	36.3300	54.8755	24.4330	33.9965
9	37.4030	57.4578	25.3590	35.2430
16	36.8020	56.4828	25.0285	34.5748
23	36.6038	56.5375	25.2284	34.7525
28 फरवरी के अनुसार	35.2750	54.3138	24.2825	33.9075

@ 100 येन के लिए

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिले का आधुनिकीकरण

*66. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री घ्रित वसु :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के लिये धनराशि जुटाने संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के लिये कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) आधुनिकीकरण की उक्त योजना के लिये धनराशि जुटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) आधुनिकीकरण की यह योजना कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) सरकार ने एन०टी०सी० मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन किया है जिसमें 2005.72 करोड़ रु० की लागत से 79 मिलों का आधुनिकीकरण 36 गैर अर्थक्षम मिलों को 18 अर्थक्षम मिलों में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण, बेशी कामगारों को स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना की पेशकश करके बेशी जनशक्ति का सुव्यवस्थीकरण आदि करना शामिल है। यह योजना सामान्यतः वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा तैयार की गई योजना तथा श्रम मंत्रालय की एन०टी०सी० विषयक विशेष त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। आधुनिकीकरण योजना का वित्त पोषण एन०टी०सी० मिलों की बेशी भूमि तथा परिसंपदाओं को बेच कर उससे प्राप्त होने वाली आय से किया जाएगा।

योजना को क्रियन्वियन से पूर्व बी०आई०एफ०आर० के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। बी०आई०एफ०आर० के अनुमोदन के पश्चात योजना को क्रियान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयर

*67. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री राजेश कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यह अनुमति प्रदान कर दी है कि वे उनके द्वारा अभिप्रेरित की जा रही भारतीय कंपनियों में अपने शेयर बढ़ा लें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित शर्तें क्या है तथा अतिरिक्त शेयरों के मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया/मानदंड अपनाए गए है;

(ग) क्या कुछ मामलों में शेयरों के इस तरह से निर्धारित किए गए मूल्य बाजार मूल्य से कम हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ङ) सरकार ने भारतीय कंपनियों को कई मामलों में विदेशी इक्विटी अंशदान वर्तमान स्तर से बढ़ाकर अपेक्षाकृत ऊंचे स्तरों पर लाने की अनुमति दी है। 24 जुलाई, 1991 की औद्योगिक नीति विवरण से संलग्न अनुबंध 3 में दिए गए उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए विदेशी इक्विटी को 51 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए इस तरह के अनुमोदन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वचालित रूप से दिए जाते हैं। अन्य सभी मामलों में भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत होती है। कंपनियों को ऐसे आवंटन करने से पूर्व कंपनी अधिनियम की धारा 81(1क) के तहत एक संकल्प पारित करना भी जरूरी होता है। इन निर्गमों का मूल्य निर्धारण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा नियंत्रित होता है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा विदेशी निवेशकों को शेयरों का पूरा अधिमान्य आवंटन (राइट्स के आधार पर आवंटन को छोड़कर) इन शेयरों के बाजार मूल्यों पर किया जाएगा। इन प्रयोजन हेतु मूल्य निम्नलिखित के उच्चतर मूल्य से कम नहीं होगा :

सम्बद्ध तारीख से छह माह पूर्व की अवधि के दौरान स्टाक एक्सचेंज में उद्घृत संबंधित शेयरों के साप्ताहिक उच्च और न्यून संवरण मूल्यों का औसत।

अथवा

सम्बद्ध तारीख से दो सप्ताह पूर्व की अवधि के दौरान स्टाक एक्सचेंज में उद्घृत संबंधित शेयरों के साप्ताहिक उच्च एवं न्यून संवरण मूल्यों का औसत।

इस प्रयोजन हेतु सम्बद्ध तारीख से अभिप्राय है प्रस्तावित विषय पर विचार करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 81(1क) के अनुसार आयोजित की गई शेयरधारियों की सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिन पूर्व की तारीख।

सामान्यतः उपरोक्त सूत्र के आधार पर निर्धारित किए गए मूल्य या तो बाजार मूल्य के लगभग बराबर होंगे अथवा उससे अधिक।

वस्त्र उद्योग हेतु पर्यावरण के अनुकूल तकनीक

*68 **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैंडलूम तथा पावरलूम सहित वस्त्र उद्योग में पर्यावरण के अनुकूल तकनीक अपनाने पर होने वाले व्यय का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस तकनीक को अपनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सरकार ने हथकरघा और विद्युत करघा सहित वस्त्र उद्योग में पर्यावरण अनुकूल प्रोद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए हैं। अब तक मौजूदा प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने तथा कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन करने के लिए लगभग 7 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान 11 स्थानों में परिस्थितियों-प्राचलों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला की सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान इन कार्य-कलापों का और विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए देश में मौजूदा परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन और विस्तार के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से तथा वस्त्र अनुसंधान संघों की सहायता से उद्योग को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ०आई०आई०) द्वारा बाजार में भारी मात्रा में भारतीय रुपया जारी करना

*69. **श्री एस०एम० लाल जान वाशा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ०आई०आई०) द्वारा भारी मात्रा में भारतीय रुपया बाजार में जारी किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विदेशी मुद्रा बाजार क्षेत्र में उनकी गतिविधियों की निगरानी कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी निगरानी संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) भारतीय स्टाक बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए संचयी निवल निवेशों में, विशेषकर जनवरी और फरवरी, 1996 के महीनों में, वृद्धि का रूख रहा है। भारतीय स्टाक बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा मासिक विनिमय दरों पर किए गए संचयी निवल निवेश, जो 31.3.1995 को 3166.6 मिलियन अमरीकी डालर थे, बढ़कर 15.2.1996 को 4787.0 मिलियन अमरीकी डालर हो गए।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा घोषित एफ०आई०आई० विनियम, 1995 के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों के देशीय अभिरक्षकों को विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए सभी लेन-देनों के ब्यौरे दैनिक आधार पर सेबी को भेजने होते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की गई खरीद और बिक्री की राशि का सेबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आकलन किया जाता है और निधियों के प्रवाह को मॉनीटर किया जाता है।

इंडियन एयरलाइंस को हानि

*70. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को वर्ष 1989-90 से लगातार हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1995 को स्थिति के अनुसार वर्ष-वार कुल कितनी हानि हुई;

(ग) इस हानि के क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं :

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1989-90 से आगे हुई हानियां इस प्रकार है :–

वर्ष	रुपए (करोड़ में)
1989-90	15.24
1990-91	64.59
1991-92	198.85
1992-93	195.16
1993-94	258.46
1994-95	188.73
1995-96 (1.4.95 से 30.9.1995 तक अनन्तिम)	113.20
कुल हानि	1034.23

(ग) इंडियन एयरलाइंस को हुई हानियों के प्रमुख कारण है :–

(1) ए-320 बेडे का प्रचालन वन्द्र करना।

(2) विमान टर्वाइन ईंधन का अयथार्थ मूल्य निर्धारण।

(3) 30 ए-320 विमानों को बेडें में शामिल करने के कारण अधिक ब्याज और मूल्य ह्रास प्रभार।

(4) विदेशी मुद्रा की दरों में वृद्धि।

(5) सामाजिक आर्थिक कारणों से गैर किफायतों मार्गो पर लगातार प्रचालन।

(6) विमानचालकों की कमी के कारण विमानों का अपर्याप्त उपयोग।

(7) निजी एयरलाइन प्रचालकों के आ जाने से मार्किट भागीदारी में कटौती।

(घ) इंडियन एयरलाइंस को हुई हानियों को पूरा करने के लिए और इसके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में मितव्ययिता अपनाना, विमान बेडे का वेहतर उपयोग, स्वतंत्र लाभ केन्द्रों की स्थापना और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

*71. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना में कुछ संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में कतिपय परिवर्तन किए जाने से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए हैं। ये सुझाव अन्य बातों के साथ विवाहित पुत्रों और विवाहित पुत्रियों के बीच और विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने और विधुर द्वारा पुनर्विवाह करने के बीच भेदभाव समाप्त करने, इस योजना के लाभों के अधीन 5000/-रु० प्रति माह से अधिक मजदूरी आहरित करने वाले कर्मचारियों को शामिल करने, संराशीकरण का प्रावधान करने, पेंशन की पूर्व अदायगी के लिए कटौती दर में कमी करने, चूक संबंधी मामलों में पेंशन की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने, परिवार पेंशन योजना, 1971 में शामिल न होने वाले अंशदाताओं के लिए पेंशन योजना लागू करने, छूट के मामले में परिवार पेंशन संबद्ध आहरण लाभ की वापसी, उजरती दरों वाले कर्मकारों को पेंशन परिधि में शामिल करने आदि से संबंधित हैं। इन सुझावों की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में आवश्यक संशोधन करके कार्यान्वित करने के लिए उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। अन्य सुझाव जैसे व्यक्तिगत विकल्प, पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध करना और तृतीय लाभ के रूप में पेंशन देना स्वीकार करने हेतु बीमांकन की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाए गए हैं।

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यौरों की रिपोर्ट

*72. **श्री जार्ज फर्नान्डीज़ :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातकों द्वारा निर्यात से प्राप्त आय देश में न लाने के बारे में केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों ने कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसी गतिविधियों में संतिप्त व्यापारिक घरानों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संवंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन व्यापारिक घरानों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। निर्यात से प्राप्त आय को स्वदेश न लौटाने सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों निर्यातकों का नमूना सर्वेक्षण करता है। ऐसा अद्यतन अध्ययन दिनांक 31-12-94 की स्थिति के अनुसार निर्यात से प्राप्त आय को स्वदेश न लौटाने की स्थिति से संबंधित है जिसकी वसूली दिनांक 31.12.93 तक की जानी चाहिए थी।

यह अध्ययन दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यातयों और निर्यातकों से एकत्रित एवं संग्रहीत उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित था। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक रूप से यह देखना था कि क्या निर्धारित समय सीमाओं के अन्दर निर्यात से प्राप्त आय को स्वदेश न लौटाने की घटनायें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि केवल नमूना सर्वेक्षण ही किये जाते हैं अतः उक्त आय को स्वदेश न भेजने वाले अनेक व्यापारिक घरानों का अलग से पता लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक निर्यात से प्राप्त आय को स्वदेश ने भेजने के संबंध में सीधी निगरानी रखता है और चूककर्त्ता निर्यातकों की सूची आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रवर्तन निदेशालय को भेजता है।

[हिन्दी]

भारत तथा रूस के बीच साख पत्र संबंधी समझौता

*73. **श्री राम पाल सिंह :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा रूस के बीच आयात तथा निर्यात व्यापार में सुधार हेतु साख पत्र उपलब्ध कराने के लिए इन दोनों देशों ने कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) दिनांक 28 जनवरी, 1993 के पत्रों के आदान-प्रदान के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) और रूसी परिसंघ के विदेशी आर्थिक मामलों के बैंक (बी०एफ० ई०ए०) के बीच 6 सितम्बर, 1993 को एक बैंकिंग समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के अनुसार, बी०एफ०ई०ए० भारतीय आपूर्तिकर्त्ताओं को साख पत्र जारी करेगा जिनका मूल्य रुपए में होगा। ये साख पत्र भारत को देय पूर्व सोवियत संघ के सरकारी ऋणों की वापसी की सम्मत अनुसूची के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक सीमा के आधार पर जारी किए जाएंगे। ये साख पत्र भारत में बी०एफ०ई०ए० द्वारा विनिर्दिष्ट 5 से अनधिक बैंकों के जरिए जारी किए जाएंगे। साख-पत्रों के ब्यौरों की सूचना की एफ०ई०ए० द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को इनके जारी होने के समय दी जाएगी।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 95 के दौरान रूसी परिसंघ के साथ कुल व्यापार पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 78% बढ़ा है जिसे नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है :–

(मूल्य : करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
1994-95 अप्रैल-दिसम्बर	1727	987	2714
1995-96 अप्रैल-दिसम्बर	2677 (55)	2153 (118)	4830 (78)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं)

[अनुवाद]

दावा रहित कर्मचारी भविष्य निधि

*74. **श्री हरिन पाठक** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास भविष्य निधि को काफी राशि दावा रहित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दावा रहित भविष्य निधि की राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य निधि को दावा रहित राशि को इसके लाभार्थियों तक पहुँचाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास भविष्य निधि की दावा रहित पड़ी राशि निम्नानुसार है :–

वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)
31 मार्च, 1993	72.79
31 मार्च, 1994	72.49
31 मार्च, 1995	72.38

अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई योजना के अनुसार सदस्य/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावे किए जाने पर ब्याज के साथ भविष्य निधि की राशि का भुगतान किया जाता है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को संबंधित प्रतिष्ठानों और व्यवसाय संघों की सदस्यों/कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने और उन्हें भविष्य निधि बकाया राशियों को दिलाने में सहायता करने के लिए पत्राचार भेजने सहित व्यापक प्रचार करने के अनुदेश दिये गए हैं।

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि

*75. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री विजय एन० पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो माह से मुद्रा स्फीति की दर में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी साप्ताहिक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुद्रा स्फीति की दर में कमी आने के बावजूद उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पिछले दो महीनों के दौरान प्रत्येक सप्ताह के लिए थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर नीचे सूचीबद्ध की गई है:–

समाप्त सप्ताह	वार्षिक मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)	आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में वित्तीय वर्ष परिवर्तन (प्रतिशत) (अप्रैल-10 फरवरी)
1	2	3
02.12.1995	7.10	8.4
09.12.1995	6.50	8.1
16.12.1995	6.39	6.5
23.12.1995	6.28	5.5
30.12.1995	6.02	5.3
06.01.1996	5.60	5.8
13.01.1996	5.08	5.4
20.01.1996	5.00	5.4
27.01.1996	5.04	5.4
03.02.1996	4.71	4.8
10.02.1996	4.42	4.5

30 आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में, जो मार्च, 1995 से 2.12.1995 को 8.4 प्रतिशत तक बढ़ी थीं, लगातार कमी आ रही थी और मार्च, 1995 की तुलना में 10.2.1996 को वे केवल 4.5 प्रतिशत ही अधिक थीं। 31 आवश्यक वस्तुओं के समूह में से, चालू वित्त वर्ष में चना, उड़द, ज्वार, मूंगफली का तेल, वनस्पति, मछली और गुड़ के मूल्यों में पर्याप्त कमी आई है। इनके अतिरिक्त, कच्चा कोयला, कैरोसीन तथा गाढ़े वस्त्र के मूल्य भी अपरिवर्तित रहे।

(ङ) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष दोनों ओर से किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है :–

1. भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1995-96 में चावल एवं गेहूं की खुली बाजार बिक्री जारी रखना।
2. निःशुल्क अथवा रियायती शुल्क पर चीनी, खाद्य तेलों और दाला के लिए खुला सामान्य लाइसेंस आयात नीति को जारी रखना।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकारी खाते पर चीनी और खाद्य तेलों का आयात।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि औद्योगिक उत्पादों के घरेलू मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मक बने रहें, चालू राजकोषीय वर्ष के लिए बजट में व्यापार, कर और टैरिफ नीतियों में समायोजन करना।
5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना तथा आर०पी०डी एस० क्षेत्रों में इसका विस्तार करना।
6. चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट में राजकोषीय घाटे में कमी करना।
7. अनेक उपायों के माध्यम से वर्ष 1995-96 में मौद्रिक अभिवृद्धि को 15.5 प्रतिशत से कम तक नियंत्रित करना।

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबड़ के निर्यात में बाधा

***76. श्री पी०सी० थॉमस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राकृतिक रबड़ के निर्यात को रोकने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रबड़ के उत्पादक इस कार्यवाही के विरुद्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) आल इंडिया फैडरेशन ऑफ रबड़ फुटवियर मैन्यूफैक्चरर्स तथा ऑटोमोटिव टॉयर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपने ज्ञापनों में सरकार को बताया है कि घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन तथा मांग के बीच के अंतर को देखते हुए प्राकृतिक रबड़ के निर्यात पर रोक लगाई जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि 1995-96 सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान बहुत ही कम मात्रा में रबड़ का निर्यात किया गया था, इसलिए सरकार को मौजूदा नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

***77. श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नई पेंशन योजना शुरू कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में उक्त योजना कब तक शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में हाल ही में उनके निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से एक पेंशन योजना शुरू की गई है। जो भविष्य निधि में नियोक्ताओं के अंशदान के बदले में है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत बनाई गई कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 दिनांक 16.11.1995 से लागू हो गयी है।

आवास वित्त विकास निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरों में वृद्धि

*78. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत आवास वित्त विकास निगम तथा अन्य आवास वित्त कम्पनियों ने अपने ऋणों पर ब्याज की दरों में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने ऋणों पर ब्याज की दरों के संबंध में कोई दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आवास वित्त विकास निगम तथा अन्य आवास वित्त कम्पनियों द्वारा ऋणों पर ब्याज की दरों में वृद्धि किए जाने के कारण देश की आवास-निर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उन उद्देश्यों को विफल कर देगा जिनके लिए इन्हें बनाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) आवास विकास वित्त निगम (एचडीएफसी) ने दिनांक 20 नवम्बर, 1995 से उन ऋणों के संबंध में अपनी उधार दरों को संशोधित कर दिया था, जिनमें राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त नहीं लिया गया था। एच०डी०एफ०सी० द्वारा प्रदान किए गए ऐसे ऋणों की संशोधित ब्याज दरें निम्नलिखित हैं :–

	ऋण स्लैब (रुपए)	सामान्य ऋणों पर ब्याज दर (%) (ब्याज पर सहित)
1. व्यक्तियों को (प्रत्यक्ष)	25,000/-रुपए तक	12.00
	25,000/-रुपए से अधिक और 2,00,000/-रुपए तक	16.00
	2,00,000/-रुपए से अधिक	17.00
2. निगमित निकायों/ संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तियों को	2,00,000/-रुपए तक और इसके सहित	16.00
	2,00,000/रुपए से अधिक	17.00

(ग) और (घ) जी, हां। इस समय अर्थात 1 जनवरी, 1996 से राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यथा निर्धारित राष्ट्रीय आवास बैंक पुनर्वित्त के अंतर्गत आने वाले मामलों में पुनर्वित्त की दरें और अंतिम हिताधिकारियों से वसूल की जाने वाली ब्याज की दरें निम्नानुसार हैं :–

ऋण राशि	ब्याज की दरें (%) वार्षिक	
	राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त पर (%)	अंतिम हिताधिकारियों को आवास वित्त कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की दर(%) (ब्याज कर को छोड़कर)
25,000/-रू० तक	10.00	12.00 (अधिकतम)
25,000/-रु० से अधिक और 1,00,000/-रु० तक	13.75	15.00 (अधिकतम)
1,00,000/-रु० से अधिक और 5,00,000/-रु० तक	14.50	अविनियमित

(ङ) जी, नहीं। अन्य ब्याज दरों की तुलना में आवास वित्त कम्पनियों की ब्याज दरों का सापेक्ष आकर्षण राष्ट्रीय आवास बैंक के पुनर्वित्त तंत्र के कारण बना हुआ है।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

ऋण की देनदारी

*79. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों के दौरान देश की ऋण देनदारियों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर से दिसम्बर, 1995 तथा जनवरी, 1996 के दौरान देश द्वारा लिए गए विभिन्न प्रकार के ऋणों तथा उधारियों के संबंध में देनदारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या-क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) दिनांक 31.3.1995 को 99.0 मिलियन अमरीकी डालर के चरम-विन्दु पर पहुंचने के वाद, विदेशी ऋण की देनदारी में गिरावट आकर यह दिनांक 30.9.95 को 93.8 मिलियन अमरीकी डालर हो गया।

(ख) भारत के विदेशी ऋण की देनदारी के अनन्तिम अनुमान केवल सितम्बर, 1995 के अंत तक ही उपलब्ध हैं, जिनका ब्यौरा नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

(मिलियन अमरीकी डालर)

1.	बहुपक्षीय	28267
	(i) सरकारी	25686
	(ii) गैर-सरकारी	2581
2.	द्विपक्षीय	19112
	(i) सरकार	15666
	(ii) गैर-सरकारी	3446
3.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	3377
4.	निर्यात ऋण	5902
5.	वाणिज्यिक ऋण	12329

6.	एन०आर०आई० और एफ०सी० (वी०एंड०ओ०) जमाराशियां	12012
7.	रुपया ऋण	8355
	कुल दीर्घावधिक ऋण	89353
	अल्पावधिक ऋण	4490
	सकल जोड़	93843

(ग) अमरीकी डालरों में मूल्यवर्गित विदेशी ऋण देनदारी में परिवर्तन मुख्यतया: अमरीकी डालर की तुलना में अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण है।

रुपया रूबल विनियम समझौता

*80. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या रूस तथा भारत के बीच जनवरी, 1993 में रुपया-रूबल विनिमय के संबंध में हुए एक समझौते के अनुसार सरकार को करोड़ों का घाटा उठाना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसे घाटे के लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या उक्त समझौते में किसी प्रकार की कमी थी जिस पर समझौते के समय ध्यान नहीं दिया जा सका था; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते के कारण होने वाले और अधिक घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में जमा राशि

441. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग क्षेत्रों में वर्ष 1995-96 के दौरान जमा राशि में वृद्धि हेतु क्या अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या इस लक्ष्य के अनुमान से कम रहने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) 30 सितम्बर, 1995 तक बैंकों में कितनी राशि जमा की गई है;

(ङ) क्या ब्याज दर में वृद्धि के बावजूद वर्ष के उत्तरार्ध में जमा राशि में वृद्धि नहीं हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें धनराशि की कमी के कारण विलंब होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1995-96 के पूर्वार्द्ध के लिए मुद्रा-नीति की घोषणा करते समय, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि में बढ़ोत्तरी के लिए तात्कालिक अनुमान 65,000/-करोड़ रुपए रखा गया था। 17 मार्च, 1995 और 29 सितम्बर, 1995 (1995-96 का पूर्वार्द्ध) के बीच, कुल जमाराशियों में 28,009/-करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 1995-96 के उत्तरार्द्ध (29 सितम्बर, 1995 से 2 फरवरी, 1996 तक) के दौरान अब तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशि में, 1994-95 की तुलनात्मक अवधि में 10,019/- करोड़ रुपए (2.8 प्रतिशत) की तुलना में 15851/-करोड़ रुपए (3.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। जमाराशि वृद्धि के तात्कालिक अनुमान के संबंध में कमी की सीमा, यदि कोई हो तो, इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या जमाराशि वृद्धि की वर्तमान गति में कमी आयी है।

17 मार्च, 1995 और 2 फरवरी, 1996 के बीच खाद्येत्तर ऋण में, पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में हुई 30,012/-करोड़ रुपए (19.6 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी की तुलना में, 40,726/-करोड़ रुपए (21.5 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी हुई। यह 1994-95 में हुए बड़े ऋण विस्तार के अनुक्रम में ही है। परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता पर अपर्याप्त जमाराशियों के प्रभाव और अलग-अलग परियोजनाओं के कार्यान्वयन की परिणामी गति का पता लगाना सम्भव नहीं है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला

442. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा मद्रास में 31 जनवरी से 4 फरवरी, 1996 तक आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता साबित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उपलब्धि का ब्यौरा क्या रहा और उक्त मेले में कुल कितनी राशि का व्यापार किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) 29 देशों की 190 विदेशी कंपनियों सहित 475 कम्पनियों ने मेले में भाग लिया। विदेशी व्यवसायी पार्टियों और व्यापार प्रतिनिधि-मंडलों को मिलाकर 50,000 व्यवसायी इस मेले में आए।

अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने वाले, साधारणतया अपने द्वारा किए गए व्यवसायिक कारोबार के बारे में सूचनाएं उद्घाटित नहीं करते। फिर भी, भारत अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला, मद्रास में भाग लेने वाले 452 भागीदारों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उसी जगह पर उनके द्वारा किया गया व्यवसायी कारोबार 125 करोड़ रुपए का था। इसके अतिरिक्त, पता चला है कि 220 करोड़ रु० की व्यापारिक पूछताछ भी हुई।

न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड में झूठे दावे

443. **डा० रमेश चंद तोमर :**
श्री हरचन्द्र सिंह :

क्या वित्त मंत्री 19 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6345 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान और चालू वर्ष में आज तक संसद सदस्या

से जी०आई०सी० और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को झूठे दावों के भुगतान के संबंध में कितने पत्र प्राप्त हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों, जिनके पास हानि/दुर्घटना की तारीख को कोई बीमा पालिसी नहीं थी, के दावों पर कितना भुगतान किया गया है;

(ख) कितने पत्रों पर अभी तक अंतिम उत्तर नहीं भेजे गए हैं;

(ग) विभिन्न अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसा केवल एक ही पत्र प्राप्त हुआ है, जिनका अंतिम उत्तर पहले ही भेजा जा चुका है। इस पत्र में संदर्भित मामले के संबंध में कम्पनी ने सूचित किया है कि लेखा-परीक्षा तथा सतर्कता दोनों की ही दृष्टि से मामले की जांच की गई थी, जिससे पता चला कि बीमाकर्त्ता को किये गये दावे के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई थी और दावे का निपटान वास्तविक था। अतः इस मामले में किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

भारतीय व्यापार पर लगे व्यापार संबंधी रोक

444. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के व्यापारिक भागीदारों द्वारा भारी मांग वाले बाजारों में भारतीय निर्यातकों के साथ धार्मिक भावनाओं, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा बाल श्रमिकों के आधार पर व्यापार संबंधी रोक तथा भेदभाव का व्यवहार किया जाता है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने "ऐसे टैरिफ तथा नान-टैरिफ" अवरोधों के संबंध में कोई सूचना एकत्र की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अवरोधों का भारतीय व्यापार पर विशेषतः "गेट" समझौते के संदर्भ में पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) 15 सर्वोच्च थ्रस्ट बाजारों के लिए भारत की निर्यात कार्यनीति तैयार करने हेतु सरकार ने हाल में एक अभ्यास किया था। इनमें से अधिकांश बाजारों में औसत टैरिफ दरें 5% से 20% के बीच रहीं। इन बाजारों में गैर-टैरिफ प्रतिबंधों में वस्त्र कोटा, प्रतिपाटन तथा प्रतिकारी शुल्क, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण आदि से संबंधित सख्त मानदण्ड शामिल हैं। इनमें से एक बाजार में कुछेक मदों पर धार्मिक आधार पर रोक लगी हुई है।

(ङ) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा अप्रैल-दिसम्बर 1995-96 के दौरान भारत के निर्यातों में पिछले वर्षों की तदनुरूप अवधि की तुलना में डालर के रूप में क्रमशः 20.0% 18.4% तथा 24.2% की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मानदण्डों आदि पर आधारित अधिकांश व्यापार प्रतिबंध संबंधित गाट/विश्व व्यापार संगठन करारों के अनुरूप है। किसी भी विसंगति अथवा विभेद की स्थिति में उनमें सुधार हेतु भारत को विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के पास जाने का अधिकार है।

नागाओं को आयकर में छूट

445. श्री सोमजी भाई डामोर : *क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) नागाओं तथा अनुसूचित जनजातियों को व्यापार से प्राप्त आयकर पर दी जाने वाली छूट का क्षेत्र, स्वरूप तथा सीमा क्या है;

(ख) क्या उन नागा व्यापारियों को, जिनका मुख्य व्यापार केन्द्र नागालैंड में है तथा जो देश के अन्य भागों में फैले अपने सहायक व्यापारिक शाखाओं में कार्यरत हैं; आयकर का भुगतान करना होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26) के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में यथा परिभाषित उन अनुसूचित जनजातियों जो संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 के साथ संलग्न तालिका के भाग-I अथवा भाग-II में विनिर्दिष्ट किए गए किसी क्षेत्र अथवा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के राज्यों अथवा उक्त पैराग्राफ 20 के उपखंड (3) के परन्तुक के अन्तर्गत असम के राज्यपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या टी०एडी०/आर/35/50/109, दिनांक 23-2-1951, जैसी कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, (1971 का 18) के लागू होने से तत्काल पूर्व विद्यमान थी, मैं शामिल क्षेत्रों में निवास करती है, की आय पर तब छूट प्राप्त है यदि इस प्रकार की आय का स्रोत इन क्षेत्रों में हो। इस धारा में आय पर छूट देने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित क्षेत्रों से बाहर की शाखाओं से प्राप्त होने वाली कारोबार आय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26) के अन्तर्गत छूट प्रदान नहीं की जाती है भले ही कारोबार का मूल स्थान नागालैंड में ही क्यों न हो।

(ग) नागालैंड से बाहर नागा व्यापारियों की शाखाओं से संबंधित सूचना न तो रखी जाती है और न ही वह उपलब्ध है।

वस्त्रों का निर्यात

446. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान वस्त्र के निर्यात का निर्धारित लक्ष्य क्या है तथा आज तक कितनी राशि उपलब्ध हुई है; और

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान सरकार द्वारा वस्त्र के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1995-95 के दौरान वस्त्रों (हस्तशिल्प, पटसन, कयर) के निर्यात के लिए 10500 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अप्रैल, 95 से दिसम्बर, 95 तक 7724.06 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात हुए हैं।

(ख) वस्त्रों तथा क्लोदिंग के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में निर्यातकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए अपरिष्कृत सामाग्रियों के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष व्यवस्थाएं करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त

सरकार ने वर्ष 1996-98 के लिए परिधान निर्यात हकदारी (कोटा) नीति का भी नवीकरण किया है। संशोधित नीति से कपड़े के निर्यातों में वृद्धि होने की आशा है।

बैंकों/बीमा कंपनियों मे चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के खाली पद

447. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राष्ट्रीय बैंकों तथा बीमा निगमों का ब्यौरा क्या है जहां पिछले छह मास से अधिक समय से कोई चेयरमैन/प्रबंध निदेशक नहीं हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कर्मियों के सेवानिवृत्त या स्थानांतरण की प्रत्याशा के आधार पर ऐसे शीर्षस्थ पदों को भरे जाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंक/बीमा निगम में छः महीनों से अधिक समय से रिक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद नीचे दिए गए हैं :–

क्र०सं०	बैंक/बीमा निगम का नाम
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन ओवरसीज बैंक
2.	अध्यक्ष, भारतीय साधारण बीमा निगम

इन रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक उपाए प्रारंभ किए गए हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए व्यय नीति

448. श्री परस राम भारद्वाज :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यय सचिव की अध्यक्षता में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए व्यय नीति संबंधी एक कार्यदल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यदल के गठन और कृत्यों संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) जी, हां श्रीमान।

(ख) और (ग) कार्यदल द्वारा रिपोर्ट जमा करने, उसके गठन और कृत्य सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

विवरण

सं० 3/2/95-एफ आर
भारत सरकार
योजना आयोग
(वित्तीय संसाधन प्रभाग)

योजना भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 2 जनवरी, 1996

कार्यालय ज्ञापन

विषय :– व्यय नीति पर एक कार्यदल का गठन किया जाना।

नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु वित्तीय संसाधनों से संबंधित परिचालन दल के गठन के संदर्भ में इस कार्यालय के दिनांक सितम्बर, 22, 1995 के समसंख्यक आदेश के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि इस (परिचालन दल) के अन्तर्गत व्यय नीति पर एक कार्यदल का गठन किया जाय।

2. इस कार्यदल में शामिल लोग इस प्रकार हैं :–

1.	सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	डा० अमरेश बागची, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	डा० अरविन्द विरमानी आर्थिक सलाहकार (पीपी) आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली।	सदस्य
4.	डा० पुलिन वी० नायक आर्थिक सलाहकार (डीपी) योजना आयोग	सदस्य
5.	डा०एस० गुहान एम आई डी एस, मद्रास-600020	सदस्य
6.	डा० के०के० जार्ज कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन	सदस्य
7.	एन आई पी ई पी-से एक प्रतिनिधि (निदेशक, एन आई पी ई पी के द्वारा नामित)	सदस्य
8.	भारतीय रिजर्व बैंक से एक प्रतिनिधि (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित)	सदस्य
9.	डा०डी० सुब्बाराव, सचिव, वित्त विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार हैदराबाद।	सदस्य
10.	श्री अशोक गुप्ता सचिव, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता।	सदस्य
11.	डा० (श्रीमती) रेनु एस० परमार उप सलाहकार, योजना आयोग,	सह संयोजक
12.	व्यय विभाग का एक प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)	

3. कार्यदल के विचारणीय विषयों में निम्नलिखित शामिल होंगे :–

वर्तमान व्यय और पूंजीगत व्यय के सम्भावित मध्यावधि निष्कर्षों का अध्ययन करना, इस अवधि के दौरान अधिक खर्चीले कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के प्रमुख निर्धारकों की पहचान और मुख्य दीर्घावधि नीति, मांग और लागत विचलन जो व्यय के भविष्य के स्तर एवं प्रतिमानों का निर्धारण करेगा, का वस्तुपरक संहिता एवं कार्यक्रम और उप कार्यक्रम द्वारा वर्गीकरण। इस हेतु निम्नलिखित पहलुओं की जांच गहराई से की जानी चाहिए :–

(1) वर्तमान व्यय एवं पूंजीगत व्यय में नौवीं योजना अवधि का परिदृश्य

का परिदृश्य तथा योजना एवं गैर योजनागत व्यय।

(2) इन सब समाकलनों में कार्यक्रम (मंत्रालय/विभाग) एवं वस्तुपरक संहित्र (सहायता, सरकारी कर्मियों पर होने वाला व्यय, ब्याज भुगतान आदि सहित) द्वारा परिलक्षित परिदृश्य समायोजित/सम्मिलित हैं।

(3) योजना (प्रोग्राम) द्वारा पहले से स्वीकृत नियोजित पूंजीगत व्यय एवं प्रतिबद्ध योजनागत स्कीमें।

(4) प्रत्येक विभाग में सबसे बड़ी उपयोजनाओं के लिए प्रमुख अल्प मध्यावधिक व्यय राशि, इकाई लागत, नीतिगत विचलन, अन्य प्रभारों आदि का अध्ययन एवं वस्तुपरक संहिता द्वारा इनका श्रेणी करण।

(5) इन उपयोजनाओं में से प्रत्येक के लिए दीर्घावधि के विचलन, जो भविष्य के व्यय के स्तर को निर्धारित करेंगे तथा जिनमें मांग विचलन, औसत, सीमांत लागत, नीति विचलन (उपभोगता प्रभारों सहित), प्रमुख आर्थिक तथ्य मुद्रास्फीति का अभिग्रहण, मजदूरी, विनमय दर शामिल हैं, का अध्ययन।

(6) संसाधन की सीमाओं की पहचान जो समेकित रूप से अपेक्षित योजना स्तर की उपलब्धियों की प्राप्ति में संभावित वाधक हो सकते हैं।

(7) उपर्युक्त 3-5 को ध्यान में रखते हुए व्यय निष्कर्षों के प्रकारों का पता लगाया जा सकता है और कार्यक्रम में काट-छांट (आकार और विस्तार में), कार्य के आस्थगन (कुछ समय के लिए) और निरस्तीकरण के जरिए व्यय कटौती के लक्ष्यों को प्राप्त करना।

(8) वांछित नीति उद्देश्यों की प्राप्ति के वैकल्पिक/परिवर्तित विधि की जांच।

(9) मुख्य कार्यक्रमों और घटकों के लिए विशेष पर उपर्युक्त 7 के संदर्भ में प्राथमिकता स्तर निर्धारित करना।

4. अधिकारिक सदस्यों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते पर होने वाला व्यय उनसे संबंधित कार्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा। गैर अधिकारिक सदस्यों के मामले में सरकार द्वारा भुगतान किया जाने वाला यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता वही होगा जो भारत सरकार के ग्रेड I अधिकारियों को देय है। सभी गैर अधिकारिक सदस्य हवाई यात्रा के हकदार उसी प्रकार होंगे जैसे कि भारत सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी होते हैं। कार्यदल अपनी अंतरिम रिपोर्ट मार्च, 1996 और अंतिम रिपोर्ट जून, 1996 में प्रस्तुत कर सकता है।

हस्ता०

(जी०एस० रंधावा)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

कार्यदल के सभापति और सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित

नौंवी पंचवर्षीय योजना वित्तीय संसाधनों संबंधी परिचालक दल के सभापति और सभी सदस्य।

नौवी पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय संसाधन।

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित की

1. प्रधान मंत्री का कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली।
2. योजना आयोग के उपसभापति के विशेष सेवा अधिकारी।
3. योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के राज्यमंत्री के निजी सचिव
4. योजना आयोग के सदस्य (वित्तीय विनियम) के निजी सचिव।
5. योजना आयोग के सदस्य सचिव व्यक्तिगत निजी सचिव।
6. योजना आयोग के सलाहकार के निजी सचिव।
7. योजना आयोग के निदेशक (वित्तीय)
8. योजना आयोग के अवर सचिव (प्रशासन-III)।

राजकोषीय घाटे के संबंध में एन०सी०ई०ए०आर० की रिपोर्ट

499. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन०सी०ई० ए०आर०) ने 7 फरवरी, 1996 को यह अनुमान व्यक्त किया था कि मूलभूत कठिनाईयों परिसमापन की समस्या तथा राजकोषीय घाटे के दबाव से चालू वित्तीय वर्ष में समग्र आर्थिक विकास की दर प्रभावित हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा जुलाई तथा सितम्बर, 1995 के बीच में की गयी समीक्षा में सुधार संबंधी कोई सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) ये टिप्पणियां राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा की गई अर्थव्यवस्था की तिमाही समीक्षा, जो फरवरी, 1996 में जारी की गई थी, में प्रतिबिम्बित होती हैं। सांख्यिकीय विभाग द्वारा जारी वर्ष 1995-96 के लिए अग्रिम अनुमान दर्शाते हैं कि उपादान लागत (1980-81 के मूल्यों पर) पर सकल घरेलू उत्पाद में, वर्ष 1994-95 में 6.3 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों की आरक्षित निधि का उपयोग

450. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 और 31 मार्च, 1995 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1) के अंतर्गत सृजित आरक्षित निधि में बैंक-वार कुल कितनी राशि है;

(ख) 1992-93 से संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के कारण होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए इस आरक्षित निधि का उपयोग ने करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रति वर्ष बैंक-वार 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1995 तक कुल कितनी राशि को अशोध्य और संदिग्ध ऋण के खाते में डाला गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है; वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1) के तहत सृजित प्रारक्षित निधि में बैंकवार उपलब्ध राशि संबंधी सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालते समय अशोध्य और संदिग्ध ऋण राशियों के लिए किए गए प्रावधान का उपयोग किया है।

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई अशोध्य ऋणों की राशियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

(रु० लाख में)

क्रम सं०	बैंक का नाम	सृजित प्रारक्षित निधि (दिनांक 31.3.94 की (स्थिति के अनुसार)	सृजित आरक्षित निधि (दिनांक 31.3.95 की स्थिति
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	20096	20012
2.	आन्ध्रा बैंक	5520	5520
3.	बैंक आफ बड़ौदा	60165	84195
4.	बैंक आफ इंडिया	48865	47407
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	6440	6190
6.	केनरा बैंक	97693	114424
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	42179	41061
8.	कारपोरेशन बैंक	5274	12229
9.	देना बैंक	8570	8532
10.	इंडियन बैंक	25926	41211
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	23109	22624
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	11660	51694
13.	पंजाब नेशनल बैंक	42546	90195
14.	पंजाब एंड सिंघ बैंक	6866	6618
15.	सिंडिकेट बैंक	17569	17428
16.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	11496	11229
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	15184	25432
18.	यूको बैंक	1591	15547
19.	विजया बैंक	1656	17224
20.	भारतीय स्टेट बैंक	363779	425607
21.	स्टेट बेंक आफ पटियाला	23602	27222
22.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	2932	4174
23.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	4766	5258
24.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4676	6326
25.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	11678	18413
26.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	2314	2426
27.	स्टेट बैंक आफ ट्रावणकोर	5959	7630

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक बट्टे खाते डाली गई अशोध्य ऋण राशि

क्र०सं०	बैंक का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	69354.00	41599.00	16313.43
2.	बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	858.92	3241.67	1444.00
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	356.00	503.00	1388.90
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	86.15	636.00	624.00

1	2	3	4	5
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	221.59	5063.10	5061.00
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	60.00	1218.00	1974.11
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट	34.81	54.08	1895.72
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	838.57	1564.47	416.57
9.	इलाहाबाद बैंक	127.28	3584.00	5572.73
10.	आन्ध्रा बैंक	80.51	1206.23	3886.00
11.	बैंक आफ बड़ौदा	12027.43	20638.67	5211.00
12.	बैंक आफ इंडिया	17374.26	32846.78	7671.81
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	102.01	142.01	928.52
14.	केनरा बैंक	1492.37	3478.56	4289.00
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	197.70	7950.45	14412.00
16.	कारपोरेशन बैंक	56.36	254.53	249.00
17.	देना बैंक	1951.01	3707.01	2469.00
18.	इंडियन बैंक	76.16	600.70	4247.62
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	419.25	461.09	503.34
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	165.00	176.00	212.64
21.	पंजाब नेशनल बैंक	258.24	367.00	2976.00
22.	पंजाब एंड सिंघ बैंक	0.09	104.84	170.06
23.	सिंडिकेट बैंक	118.55	857.70	2484.12
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	4412.62	8236.90	2565.00
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	156.00	1182.00	6777.00
26.	यूको बैंक	23.65	221.70	16506.78
27.	विजया बैंक	304.23	541.26	410.00

श्रम संबंधी लंबित मुकदमें

451. **श्री छेदी पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक दिल्ली में केन्द्रीय स्तर के और राज्य स्तरीय श्रम न्यायालयों और आद्योगिक न्यायधिकरणों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक के अधीन लम्बित मुकदमों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से पिछले दो वर्षों, तीन वर्षों और पांच वर्षों से लम्बित मुकदमों को अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(घ) लम्बित मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) दिल्ली में आदिनांक राज्य स्तर पर 3 औद्योगिक न्यायाधिकरण और 10 श्रम न्यायालय तथा एक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम न्यायालय कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जबकि मामलों के तेजी से निपटाने के उद्देश्य से प्रक्रियाविषयक परिवर्तन करना एक सतत प्रक्रिया है, इस संबंध में हाल में उठाए गए कुछ और महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :

— पीठासीन अधिकारियों द्वारा मामलों के निपटान के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

— दीर्घ अवधि से लम्बित मामलों के निपटान के लिए संभावित उपाचारात्मक

उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं;

- जबकि पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जाती है, नए मामले उन न्यायालयों को सौंपे जाते हैं जिनमें कम मामले लम्बित हैं;
- विवाद से संबंधित पार्टियों को स्थगन लेने से हतोत्साहित किया जाता है और जहां अपरिहार्य होता है, अल्पावधि के स्थगन की अनुमति दी जाती है। उन पर सभी संबंधित औपचारिकताओं को यथा संभव यथाशीघ्र पूरा करने के लिए भी जोर दिया जाता है; और
- कुल लम्बित मामलों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त श्रम न्यायालय बनाए जाते हैं बशर्ते कि वित्तीय बाधाएं न हो।

विवरण

दिल्ली में केन्द्रीय और राज्य स्तर पर कार्यरत प्रत्येक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालयों के समय लम्बित मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय का नाम	मामलों की श्रेणी	लम्बित मामलों की संख्या	दो वर्षों से लम्बित	तीन वर्षों से लम्बित	पांच वर्षों से लम्बित
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय स्तर					
के०स०औ०न्या०–सह श्रम न्यायालय	विवाद	713	211	127	49
	आवेदन	1168	330	206	121
		1881	541	333	170
राज्य स्तर					
1. औ० न्यायाधिकरण-I	विवाद	1007	17	10	618
	आवेदन	106	14	16	32
2. औ० न्यायाधिकरण-II	विवाद	1525	163	109	557
	आवेदन	1329	427	379	107
3. औ० न्यायाधिकरण-III	विवाद	1084	262	151	108
	आवेदन	100	17	10	10
4. श्रम न्यायालय-I	विवाद	1727	153	319	425
	आवेदन	1771	171	307	413
5. श्रम न्यायालय-II	विवाद	1825	335	304	343
	आवेदन	2222	293	300	638
6. श्रम न्यायालय-III	विवाद	1984	177	220	94
	आवेदन	1605	164	157	67
7. श्रम न्यायालय-IV	विवाद	1996	66	76	278
	आवेदन	1604	385	28	72
8. श्रम न्यायालय-V	विवाद	1345	119	166	54
	आवेदन	1659	83	149	248
9. श्रम न्यायालय-VI	विवाद	497	1	–	23
	आवेदन	1055	–	–	31
10. श्रम न्यायालय-VII	विवाद	1124	277	157	79
	आवेदन	1290	98	471	119
11. श्रम न्यायालय-VIII	विवाद	1338	76	55	61
	आवेदन	1995	131	98	70

1	2	3	4	5	6
12. श्रम न्यायालय-IX	विवाद	1915	77	41	453
	आवेदन	8	—	—	—
13. श्रम न्यायालय-X	विवाद	2421	336	368	553
	आवेदन	901	65	108	511
कुल	विवाद	19788	2059	1986	3646
	आवेदन	15645	1848	2023	2318

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

452. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने युवकों को ऋण दिया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिला उद्योग केन्द्रों को ऋण हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इनमें से कितने आवेदन-पत्रों को इन केन्द्रों द्वारा बैंकों को अग्रेषित किया गया;

(ग) क्या जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्रों को बैंकों द्वारा स्वीकार कर दिया जाता है जबकि इन जिला स्तरीय समितियों में बैकों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं;

(घ) बैंकों द्वारा गतं तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किताने प्रतिशत आवेदन पत्र रद्द किए गए;

(ङ) उन युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले केन्द्र राज्य में कहां-कहां स्थित हैं, जिनके आवेदन पत्र ऋण हेतु अनुमोदित कर दिए गए हैं;

(च) क्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसी गैर-सरकारी संगठन से सहायता प्राप्त हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय में विकास आयुक्त लघु उद्योग के कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (31 जनवरी, 1996 तक, नवीनतम उपलब्ध) के दौरान मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लक्ष्य, जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) को प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या डी०आई०सी० द्वारा बैंकों को भेजे गए और बैंकों द्वारा मंजूर आवेदन पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	लक्ष्य	डीआईसी को प्राप्त आवेदन पत्र	डीआईसी द्वारा बैंकों को भेजे गए आवेदन पत्र	बैंकों द्वारा मंजूर आवेदन पत्र
1993-94	2710	16,803	7,079	2,992
1994-95	20000	58,943	45,124	21,840
1995-96 (31.1.95 के अनुसार)	27050	79,614	64,615	23,063

(ग) डीआईसी के तहत कार्य दल जैसे प्रायोजक अभिकरण आवेदन पत्रों के चयन के लिए केवल प्राथमिक तौर पर साक्षात्कार करते हैं और बैंकों को निपटान हेतु आवेदन भेजे देते हैं। बैंक शाखाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि स्थान संबंधी पहलुओं, उधारकर्ताओं की पात्रता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक आवेदक की परियोजना की अर्धक्षमता और बैंकिंग कार्य की योग्यता पर विचार करने के पश्चात प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर प्रत्येक आवेदन पर कोई निर्णय लें।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार से विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा जुटायी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (31 जनवरी, 1996 तक) के दौरान बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदन निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदन
1993-94	उपलब्ध नहीं
1994-95	8,313
1995-96 (31.1.1996 की स्थिति के अनुसार)	1,027

(ङ) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय ने सूचित किया है कि पीएमआरवाई के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः जिला स्तर पर आयोजित किये जा रहे हैं। कुछ मामलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्लाक स्तर और तहसील स्तर पर भी आयोजित किये जाते हैं।

(च) और (छ) पीएमआरवाई के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्य निम्नलिखित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को भी सौंपा गया है :—

(I) सोसायटी आफ इलेक्ट्रानिक एण्ड कम्प्यूटर टेक्नालाजी (एसइसीटी)

(II) कोठारी इन्सटीट्यूट।

(III) इन्डस्ट्रीयल और टेक्नीकल कनशल्टेंसी आर्गनाइजेशन आफ एमपी (आईटीसीओएम)

(IV) उद्यमिता और प्रबंधन विकास समिति

(V) प्रोफिसिमेंसी द हाइटेक कनशल्टेंट, भोपाल

VI) स्वरोजगार सेवा संस्थान, रायपुर

[अनुवाद]

विमान किराया

453. श्री कोडी-कुन्नील सुरेश : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को खाड़ी देशों के यात्रियों के त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एयर इंडिया द्वारा उनसे वसूले गये किराये में अन्य विमानपत्तनों/एयरलाइनों में तुलना में काफी अन्तर होने की शिकायत मिली है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां;

(ख) किरायों में तथाकथित अंतर, मुख्य रूप से प्रोत्साहन किरायों की सामान्य किरायों के साथ और त्रिवेन्द्रम से किरायों की बम्बई से, जो खाड़ी स्थित स्थलों से अपेक्षाकृत नज़दीक हैं, किरायों के साथ तुलना करने के कारण है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्णिया में हवाई अड्डा

454. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णिया हवाई अड्डे का इस्तेमाल पहले किया जाता था;

(ख) क्या यह हवाई अड्डा इस समय अप्रयुक्त पडा है जिससे विमान यात्रियों को कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे से फिर से विमान सेवा शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री और ससंदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। कोई वाणिज्यिक प्रचालन नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) पूर्णिया हवाई पट्टी विहार सरकार की है। इस हवाई अड्डे पर सेवाओं पर प्रचालन यातायात संभावनाओं पर निर्भर करता है। फिलहाल, किसी वाहक ने पूर्णिया के लिए प्रचालन करने में कोई रूचि नहीं दिखाई है।

कालीकट हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

455. श्री पुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट हवाई अड्डे से/के लिए प्रतिदिन उड़ानों की संख्या कितनी है;

(ख) किन-किन स्थानों के लिए कालीकट हवाई अड्डे से इंडियन एयलाइंस और एयर इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार कालीकट हवाई अड्डे से विदेश के कुछ और जगहों को जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइंस कालीकट हवाई अड्डे को/से प्रति सप्ताह 28 अंतर्देशीय उड़ानों और 42 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का जिनमें एयर इंडिया के साथ संयुक्त रूप से 24 उड़ानें भी शामिल हैं, प्रचालन करती है। इनके अतिरिक्त निजी एयरलाइने भी अंतर्देशीय सेक्टरों पर कालीकट को/से उड़ानों का प्रचालन करती है जिनसे प्रति सप्ताह एकल उड़ानों की संख्या एक सौ से अधिक हो जाती है।

(ख) इंडियन एयरलाइंस कालीकट से शारजाह रसल खैमाह, फयूजैराह और कुवेत के लिए अतंर्राष्ट्रीय सेवाओं का प्रचालन करती है। इनके अतिरिक्त एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस की संयुक्त उडानें आबू, दुबई और मस्कट को प्रचालित की जाती है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस की 6 मार्च 1996 से कालीकट से दोहा और वहराइन को सप्ताह में तीन सेवाएं शुरू करने की योजना है।

गासलीटेंड कोयला खान दुर्घटना

456. श्री बसुदेव आचार्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1995 में गासलीटेंड कोयला खान में हुई दुर्घटना की जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सरकार ने सितम्बर, 1995 में बिहार राज्य के धनबाद जिला के गजलीटांड, बेरा, कटरास, चौइटुडीह और दक्षिण गोविन्दपुर की कोयला खानों में घटी दुर्घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक जांच न्यायालय का गठन किया है। जांच न्यायालय की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

बैंकों में धोखाधड़ी

457. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में चैक बुकों का जारी करना और चैकों का भुगतान जाली हस्ताक्षरों/मांग-पत्रों के आधार पर होता रहता है;

(ख) यदि हां, तो मौके पर धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए कोई अचूक उपाय न करने के क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1995 के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में हुए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैंक-वार प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों को चिकित्सीय सुविधायें

458. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बीड़ी कामगारों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान करायी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने प्रतिशत बीड़ी कामगारों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान करायी गई हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे जिला अस्पतालों/ग्रामीण अस्पतालों/सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप-केन्द्रों आदि में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की अनुपूर्ति के लिए विशिष्ट रूप से बीड़ी कर्मकारों के लिए देश भर में बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत 154 औषधलयों और 3 अस्पतालों की एक श्रंखला स्थापित की गई है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	न्यूनतम मानकों के अनुसार शामिल किये गये बीड़ी कर्मकारों का %	कल्याण आयुक्तों की रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक रूप से शामिल किये गये बीड़ी कर्मकारों का %
1. आंध्र प्रदेश	7.3%	20.83%
2. तमिलनाडु	7.3%	20.83%
3. उड़ीसा	33.7%	40%
4. मध्य प्रदेश	16.2%	60%
5. राजस्थान	30%	76.5%
6. गुजरात	50%	71.0%
7. पश्चिम बंगाल	11.3%	30%
8. असम	65%	78%
9. त्रिपुरा	100%	92%
10. महाराष्ट्र	27.8%	44%
11. कर्नाटक	21.7%	50%
12. केरल	29.7%	50%
13. बिहार	17%	47%
14. उत्तर प्रदेश	12.2%	33%

बैंकिंग तंत्र में भ्रष्टाचार

459. श्री लाल बाबू राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग तंत्र के कार्यकरण में भ्रष्टाचार के कुछ मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि सामान्यतया वे अलग-अलग मामलों में सलाह देते हैं। आयोग के सामने ऐसे दृष्टान्त आये हैं जहां बैंकों के अलग-अलग अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गए हैं। जानकारी में आई अनियमितताएं मुख्यतः व्यक्तियों/संस्थाओं का अनुचित पक्ष लेने के लिए शक्ति का दुरूपयोग करने; विशेष पार्टियों का पक्ष लेने के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकार का अतिक्रमण आदि करने से संबंधित हैं।

बैंकों ने ऋण और अग्रिम मंजूर करने तथा संवितरित करने के लिए पहले ही कई प्रणालियां/नियम/मानदंड और प्रक्रियायें निर्धारित की हैं, जिन्हें ऋण प्रदान करने की शक्तियों से संबंधित विशिष्ट और निश्चित मार्गनिर्देशों और विभिन्न स्तरों पर विवेकसम्मत प्राधिकार निर्धारित करने के अतिरिक्त विभिन्न निर्देशों के माध्यम से पूरा किया जाता है। ऋण देने की विवेकसम्मत शक्ति का कारगर पर्यवेक्षण और उस पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से बैंकों की शाखाओं/उनके कार्यालयों का नियमित और अल्पावधिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा करने की भी एक प्रणाली है।

[अनुवाद]

काला धन

460. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के एक आंकलन के अनुसार देश की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था में काले धन का हिस्सा कुछ सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम एक तिहाई अर्थात् 2 लाख करोड़ रु० के आस-पास है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हवाला कारोबार काले धन के सृजन का एक मुख्यकारक है; और

(घ) यदि हां, तो हवाला व्यापार पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०थी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था में काले धन की मात्रा के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) और (घ) हवाला कारोबार काले धन की उत्पत्ति के विभिन्न कारकों में से एक कारक है। हवाला व्यापार की रोकथाम करने के लिए प्रवर्त्तन प्रभाग, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आयकर विभाग जैसी सरकार की विभिन्न प्रवर्त्तन एजेंसियों कानून के उपबंधों के अनुसार उचित कार्यवाही करती आ रही हैं।

विदेशी ऋण पर रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव

461. डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार
श्री राम विलास पासवान :
डा० एस०पी० यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी डालर के मुकाबले रूपये के अवमूल्यन से देश की विदेशी ऋण राशि पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अवमूल्यन से विदेशी ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज की राशि के कम या अधिक होने पर भी प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अमरीकी डालर के मुकाबले रूपए के अवमूल्यन के कारण फरवरी 1996 में विदेशी ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ङ) वर्तमान स्थिति को देखते हुए 1995-96 वित्तीय वर्ष के लिए विदेशी ऋण पर कुल कितने ब्याज का भुगतान किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) विदेशी ऋण विभिन्न विदेशी मुद्राओं में प्राप्त होता है। ऋण शोधन भुगतान, अर्थात् मूलधन अदायगी और ब्याज भुगतान, उस मुद्रा में करने होते हैं जिसमें ऋण मूल्यवर्गित होता है। इसलिए, विभिन्न विदेशी मुद्राओं के अर्थों में ऋण की राशि और ऋण शोधन की लागत रुपए की तुलना में अमरीकी डालर की विनिमय दर में घटबढ़ से अप्रभावित रहेगी।

(ङ) विदेशी ऋण पर वर्ष 1995-96 के लिए कुल ब्याज भुगतानों के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

बंगलौर हवाई अड्डे का नवीकरण

462. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर हवाई अड्डे के नवीकरण हेतु अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) उक्त कार्य हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि जारी की गयी है;

(ग) किये जा रहे नवीकरण कार्य का ब्यौरा क्या है और यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) बंगलौर हवाई अड्डे के नवीकरण पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अब तक 3.14 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। नवीकरण कार्यों के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा कोई राशि नहीं दी गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हाथ में लिए गए नवीकरण कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

– नए अगमन हाल और अंतर्राष्ट्रीय ब्लाक का निर्माण। यह कार्य मार्च, 1996 में प्रदान किए जाने की संभावना है और कार्य किए जाने की तारीख से 24 महीनों में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

– मौजूदा टर्मिनल परिसर का विस्तार और परिवर्धन मार्च, 1996 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

– तकनीकी ब्लाक का पुनः प्रतिरूपण–कार्य पूरा हो चुका है।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालय

453. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में, विशेषकर गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों को कितनी संख्या है और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या गुजरात में सर्वाधिक श्रम शक्ति के देखते हुये सरकार का राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे न्यायालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे न्यायालय कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सूचना, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

पांचवां वेतन आयोग

464. श्री विलासराव नागनाथ राव गूडेवार :
कुमारी ममता बनर्जी
डा० के०वी० आर० चौधरी :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :
डा० लाल बहादुर रावल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट विशेषकर वेतन ढांचे के बारे में शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट सरकार को कब तक प्राप्त हो जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत की तीसरी किस्त देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत करेगा; और

(ङ) यह रिपोर्ट किस तारीख से प्रभावी होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) से (घ) आयोग से यथाशीघ्र अपनी सिफारिशें तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। विचारार्थ विषय के अनुसार यदि आवश्यकता हो तो सिफारिशों को अंतिम

रूप देते ही आयोग किसी भी मामले पर रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। साधारणतया सरकार का यह रिवाज नहीं रहा है कि वह रिपोर्ट पेश करने के लिए आयोग के समक्ष कोई समय-सीमा निर्धारित करे अथवा उसे इस बारे में कोई निर्देश जारी करे।

सरकार ने पहले ही अन्तरित राहत की दो किस्तें मंजूर कर ली हैं। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत की तीसरी किस्त देने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही उसकी सिफारिशों के लागू होने की तिथि के बारे में विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

मादक द्रव्यों के अवैध व्यापारी

465. श्री काशीराम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मादक द्रवों की समस्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार मादक द्रव्यों के कितने अवैध व्यापारी पकड़े गए और कितनों पर मुकदमा चलाया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जबकि, स्वापक औषधों का विक्रय एवं उपभोग एक गुप्त प्रक्रिया है अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि देश में यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है अथवा नहीं।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। उचित जांच करने के पश्चात पकड़े गए सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान एन०डी०पी०एस० अधिनियम के अंतर्गत पकड़े गए कुल व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

राज्य	1993 पकड़े गए व्यक्ति	1994 पकड़े गए व्यक्ति	1995 (अंनतिम) व्यक्ति
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	218	404	681
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	3	2
अरूणाचल प्रदेश	12	50	9
असम	201	122	80
बिहार	126	198	31
चंडीगढ़	9	13	15
दादर नागर हवेली	—	—	—
दिल्ली	597	679	738
गोवा	36	37	24
गुजरात	212	294	412
हरियाणा	154	143	59
हिमाचल प्रदेश	72	93	49
जम्मू व कश्मीर	37	43	51
कर्नाटक	217	137	1
केरल	22	152	183
लक्षद्वीप	—	—	—
मध्य प्रदेश	752	1110	128
महाराष्ट्र	1404	694	545
मणिपुर	328	941	173
मेघालय	40	92	10
मिजोरम	122	104	211
नागालैंड	116	79	85
उड़ीसा	92	217	7
पांडिचेरी	4	1	5
पंजाब	324	316	288
राजस्थान	203	424	234
सिक्किम	—	—	—
तमिलनाडु	2503	2850	2256
त्रिपुरा	16	32	1
उत्तर प्रदेश	5732	5969	6925
पश्चिम बंगाल	173	255	109
दमन व दीव	—	—	—
योग	13723	15452	13312

भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर बकाया आयकर

466. श्री राम कृपाल यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के एक गोपनीय फाइल में चूककर्त्ताओं की सूची में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का प्रमुख स्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय बैंकों और संस्थानों से उक्त बकाया राशि वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उपरोक्त बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आयकर विभाग बकाया कर से संबंधित मामलों विशेषकर बड़े मामलों की निगरानी रखता है। विभाग द्वारा तैयार की गई ऐसी सूचियों में भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी होती है।

(ख) 30.9.1995 की स्थिति के अनुसार जिन भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की तरफ एक करोड़ रुपये और इससे अधिक की आयकर की मांग बकाया है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बकाया मांग की वसूली करने/उसमें कमी लाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा उसे वसूल करने के लिए उचित प्रशासनिक, कानूनी और अन्य उपाय किए जाते हैं। मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां-कहीं न्यायालयों द्वारा वसूली संबंधी कार्रवाइयां स्थगित की जाती हैं वहां स्थगन आदेशों को रद्द करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। मांग की तत्काल वसूली के लिए उपर्युक्त मामलों में बाध्यकारी उपाय भी किए जाते हैं। बड़े-बड़े मामलों में डोजियर्स रखे जाते हैं और वसूली की स्थिति की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है।

(घ) कर की बकाया राशि की वसूली के बारे में कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि कर बकाया की वसूली निरंतर चलती ही रहती है।

विवरण

क्र० सं०	भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के नाम	दिनांक 30.9.95 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि (रु० करोड़ों में)
1	2	3
	भारतीय बैंक	
1.	मैसर्स भारतीय स्टेट बैंक	1395.22
2.	मैसर्स युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	135.90
3.	मैसर्स बैंक आफ इंडिया	65.05
4.	मैसर्स बैंक आफ बड़ौदा	42.77
5.	मैसर्स बैंक पंजाब नेशनल बैंक	28.78
6.	मैसर्स जे०एंड के० बैंक लिमिटेड	14.97
7.	मैसर्स बैंक आफ कराड	7.18
8.	मैसर्स स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	5.88
9.	मैसर्स स्टेट बैंक आफ इन्दौर	4.45
10.	मैसर्स न्यू बैंक आफ इंडिया	2.44
11.	मैसर्स तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड	1.75
12.	मैसर्स दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	1.12
13.	मैसर्स विजया बैंक	10.96
	वित्तीय संस्थाएं	
1.	मैसर्स आई०डी०बी०आई०	67.83
2.	मैसर्स आई०सी०आई०सी०आई०	58.75
3.	मैसर्स कर्नाटक स्टेट इंड० इन्वे० एंडडिवेलपमेंट कारपो० लिमिटेड	17.09
4.	मैसर्स बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वे० कार्पो०लि०	7.20
5.	मैसर्स बिहार स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन	4.91
6.	मैसर्स तमिलनाडु इंड इन्वे० कारपो० लिमिटेड	4.18
7.	मैसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम	2.42
8.	मैसर्स एच०डी०एफ०सी०	9.21
9.	मैसर्स केरल स्माल इंडस्ट्रीज डिवेलपमेंट कारपोरेशन	1.01
10.	मैसर्स पंजाब स्टेट इंड० डिवेलपमेंट कारपोरेशन	2.07

[अनुवाद]

टर्मिनल का निर्माण

467. श्री तारा सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विमान यातायात में वृद्धि के साथ विमानपत्तनों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं कम पड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी कुछ वर्षों में अनुमानित यात्री यातयात में कई गुणा वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली, मुम्बई, मद्रास और कलकत्ता विमानपत्तनों पर अतिरिक्त टर्मिनल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) हवाई अड्डों और अन्य आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है तथा इस कार्य को प्रक्षेपित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

भारत विमानपत्तन प्राधिकरण ने 8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन प्रमुख परियोजनाओं के उन्नयन की परिकल्पना की वे निम्नलिखित है :–

(1) बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं का आधुनिकीकरण।

(2) हवाई निगरानी रडारों और मोनोक्स गौण निगरानी रडारों की खरीद।

(3) उपस्कर अवतरण प्रणालियों की खरीद।

(4) जयपुर, लखनऊ नागपुर इंदौर वडोदरा हैदराबाद कोयम्बतूर, कालीकट पटना भुवनेश्वर गुवाहाटी और इम्फाल में सीमित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के एिल आदर्श हवाई अड्डों का निर्माण।

(5) बम्बई हवाई अड्डे पर अंतर्देशीय यात्रा टर्मिनल काम्पलेक्स (फेज-3) का निर्माण।

(6) बम्बई हवाई अड्डे पर अंतर्देशीय टर्मिनल काम्पलेक्स (फेज-2) का निर्माण।

(7) जनवरी, 1996 में कलकत्ता में एक नया अंतर्देशीय टर्मिनल चालू किया गया।

[हिन्दी]

जाली शेयरों का चलन रोकने संबंधी प्रणाली

468. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जाली शेयर सर्टिफिकेट का चलन रोकने संबंधी निगरानी प्रणाली का आकलन करने और इसे और अधिक कारगार बनाने की कोई प्रणाली विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) जाली शेयर प्रमाणपत्रों का परिचालन एक दांडिक अपराध है और कानून प्रवर्तन प्राधिकारी और अन्य संबंधित एजेंसियां इस समस्या की जांच करने और निवारण करने के लिए लगातार निगरानी रख रही है। तदनुसार, मानीटर करने से संबंधित किसी अन्य प्रणाली का विकास नहीं किया गया है।

भारत अमरीकी वाणिज्यिक सहयोग बोर्ड का पुनर्गठन

469. **डा० वसंत पवार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित भारत-अमरीकी वाणिज्यिक सहयोग बोर्ड की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके विचारार्थ चयन किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सहयोग से व्यापार संघ और छोटे/बड़े व्यापार, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, सूती धागा, लौह अयस्क और अन्य उद्योग प्रभावित होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) भारत-अमरीकी वाणिज्यिक गठबंधन बोर्ड का गठन किया जा चुका है और इसकी प्रथम बैठक 19 जून, 1995 को यू०एस०ए० में सान्ता क्लारा में हुई थी।

(ख) शुरू में जिन चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा उनमें हैं– सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन एवं बुनियादी सुविधाएं, कृषि-व्यापार तथा ऊर्जा।

(ग) से (ङ) इस गठबंधन में व्यापार संगठनों और बड़े तथा लघु व्यापार प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है और यह दोनों देशों के व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और निजी क्षेत्र के उद्यमों के बीच अधिक पारस्परिक सम्पर्क के लिए सामान्य कार्य ढांचा प्रदान करेगा।

निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए सुरक्षा संबंधी उपाय

470. **प्रो० सावित्री लक्ष्मण** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अधिकांश निर्माण कंपनियां अपने श्रमिकों के संबंध में निर्धारित सुरक्षा उपायों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में निर्धारित मानकों का उल्लंघन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्रमंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर अपंवचकों से आयकर की वसूली

471. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या वित्त मंत्री 25 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3513 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्यक्त (क) को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जांच-पड़ताल करने पर यह पाया गया है कि दिल्ली में" पंजाबी बाग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड" नाम से कोई सोसाइटी नहीं है। परन्तु "पंजाबी बाग कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड" नामक एक सोसाइटी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के पास पंजीकृत है और आयकर विभाग के अभिलेख

के अनुसार यह सोसाइटी एक आयकर-दाता भी है। यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ने" पंजाबी बाग़ कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि०" के बारे में सूचना मांगी है और तदनुसार "पंजाबी बाग़ कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लि०" के बारे में सूचना नीचे दी जा रही है :–

2. आयकर संबंधी अभिलेख के अनुसार, सोसाइटी ने मियादी जमा राशियों और बचत बैंक खातों से ब्याज के रूप में प्राप्त और अन्तरण/प्रवेश शुल्क सेवा प्रभारों से प्राप्त कुछ छोटी आय और प्रकीर्ण आय को मुख्यतः दर्शाया है।

3. गत तीन आयकर निर्धारण वर्षों के दौरान सोसाइटी द्वारा भुगतान किया गया आयकर निम्न प्रकार है :–

भुगतान किया गया कर (रुपये लाखों में)

1992-93	1993-94	1994-95
1.73	7.06	6.32

4. कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा सोसाइटी के उप-नियमों के उल्लंघन करने और आयकर का भुगतान न करने, निधियों के कुप्रबंध और समारोहों तथा अन्य कार्यकलापों में अत्याधिक धनराशि व्यय करने संबंधी अनेक शिकायतें आयकर विभाग में प्राप्त हुई हैं। आयकर विभाग द्वारा शिकायतों में लगाये गये आरोपों की जांच की गई थी। सोसाइटी के उप-नियामों का उल्लंघन करने संबंधी सूचना रजिस्ट्रार, सहकारी समिति को दे दी गई है। जहां तक समारोहों तथा अन्य कार्यकलापों में अत्यधिक व्यय के आरोप का संबंध है, कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से संबंधित कर-निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान उनकी जांच की गई थी। कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 के बारे में सोसाइटी की आय की संगणना में निम्नलिखित व्ययों को स्वीकार नहीं किया गया है :–

(क) लोहे का दरवाज़ा लगाने का व्यय	4,44,924/-रु०
(ख) होली-मिलन त्यौहार पर व्यय	2,07,867/-रु०
(ग) पिछली गली के मलबे की सफाई पर व्यय	56,802/-रु०
(घ) मच्छर-मार धुआं कार्य (फागिंग आपरेशन) पर व्यय	51,394/-रु०
(ङ) सुरक्षा कार्मिकों को वेतन	1,18,521/-रु०
(च) मार्गदर्शक नक्शे पर व्यय	5,500/-रु०
(छ) डाक टिकट व्यय	10,000/-रु०

5. व्यय की उपर्युक्त मदों के संबंध में कर-निर्धारिण वर्ष 1993-94 के लिए कर-निर्धारण आदेश में दिए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कर-निर्धारण वर्ष 1994-95, 1995-96 और अनुवर्ती वर्षों के बारे में कर-निर्धारण पूरे किये जाएंगे।

वस्त्रों का उत्पादन

472. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1991-92 और 1994-95 के बीच सूती धागे के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान सिन्थैटिक धागे के मूल्य में सूती धागे के मूल्य में सूती धागे की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत कम था;

(ग) यदि हां, तो क्या सिन्थेटिक धागे के कम मूल्य को देखते हुए सिन्थेटिक वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो 1991-92 और 1994-95 के बीच ऐसे वस्त्रों के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) अन्य कारणों के अतिरिक्त सिंथेटिक यार्न की कम कीमत सिंथेटिक कपड़े का उत्पादन बढ़ाने में सहायक हुई है। वर्ष 1991-92 और 1994-95 के दौरान सूती कपड़े, ब्लेंडिड कपडे तथा 100% गैर-सूती कपड़े के उत्पादन में क्रमशः 15.6% 31% तथा 43.2% तक की वृद्धि हुई।

निविदा हेतु मानकीकृत दस्तावेजों को तैयार करने के लिए कार्यबल

473. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से निविदा हेतु मानकीकृत दस्तावेज तैयार करने के लिये कोई कार्यबल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारतीय परियोजनाओं को अधिक प्रतियोगितात्मक बनाने और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदण्डों के अनुरूप बनाने में कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं में उपयोग करने के लिए उपयुक्त देशीकरण को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक के मानक बोली दस्तावेजों की जांच करने के लिए मई 1993 में अपर सचिव, व्यय विभाग की अध्यक्षता में एक कार्य दल गठित किया गया। इसके द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के लिए निम्नलिखित मानक बोली दस्तावेजों का प्रयोग अनिवार्य बनाया है :–

(I) सिविल निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति।

(II) सामान की अधिप्राप्त।

(III) सिविल निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों की पूर्ण अर्हता,

(IV) औषधि और टीके की अधिप्राप्त; और

(V) परामर्शदाताओं का चयन।

हालांकि जनवरी, 1995 से लागू, विश्व बैंक के संशोधित अधिप्राप्ति

मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कार्यदल अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान में इन दस्तावेजों की जांच कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक परियोजनाओं के संबंध में राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के लिए दस्तावेजों को मानकीकृत करने की प्रक्रिया भी जारी है।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ, विश्व बैंक प्रबन्ध नियम/प्रक्रिया में सभी योग्य बोलीकर्ताओं को बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त वस्तुएं/कार्य प्रदान करने के लिए प्रतियोगता में हिस्सा लेने हेतु एक अवसर प्रदान करने, उधार लेने वाले देशों में उत्पादन करने वाले उद्योगों और विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रबंध प्रक्रिया में सुस्पष्टता लाने के लिए अनुमति दी गई है। विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ परामर्श करके कार्य दल के वर्तमान प्रयास भारतीय संदर्भ में उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

जापानी निवेश

474. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री जनवरी 1996 में भारत के दौरे पर आये थे और उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की;

(ख) क्या इन चर्चाओं के फलस्वरूप कोई जापानी निवेश की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

475. श्री राम नगीना मिश्र : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकारी क्षेत्र की कितनी चीनी मिलें चल रही हैं;

(ख) इन मिलों पर मिल-वार किसानों का कितना बकाया है; और

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी शीर्षों के अंतर्गत इन मिलों पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) एन टी सी (यू०पी०) लि०, के अधीन एक मिल नामतः गनेश शुगर मिल्स आनन्दनगर में है। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र की कोई चीनी मिल नहीं है।

(ख) गणेश शुगर मिल की ओर कृषकों की कोई बकाया देयताएं नहीं है।

(ग) गणेश शुगर मिल पर एन०टी०सी० (यू०पी०) लि०, यू०पी० सरकार तथा आई०एफ०सी०आई० की 5.73 करोड़ रु० की देयताएं है।

(घ) एक रूग्ण एकक होने के कारण उनका मामला बी०आई०एफ०आर० को प्रस्तुत किया गया है जिसके पास इस समय यह मामला अनिर्णित है। बी०आई०एफ०आर० की अगली सुनवाई की तारीख 11.3.96 निर्धारित की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विमान सेवाएं

476. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या नगर विमान और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, तथा मिजोरम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिउ दैनिक वायु सेवा उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में इंडियन एयरलाइंस की दैनिक उडानें होती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस और अन्य निजी प्रचालकों द्वारा दोमापुर, इम्फाल, अगरतला तथा एजवल के लिए नियमित विमान सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) और (घ) कर्मीदल संबंधी कठिनाई के कारण, इस इंडियन एयरलाइंस की पूर्वोत्तर में किसी नए स्टेशन को हवाई एसेवा से जोड़ने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, निजी प्रचालकों को पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानों सहित अन्य स्टेशन जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरण

477. श्री ए० चार्ल्स : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1995 के दौरान केरल में विशेषतः त्रिवेन्द्रम में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरण का क्या लक्ष्य तय किया गया है;

(ख) क्या लक्ष्य की प्राप्ति की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या कुछ बैंक ऐसे ऋणों के भुगतान के लिए ऋणाधार पर जोर दे रहे हैं और यदि हां, तो इस उद्देश्य से पारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इस योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 जनवरी, 1996 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार 1995-96 के दौरान केरल और तिरूवनंतपुरम में प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत हुई प्रगति नीचे दी गई है :–

	लक्ष्य	आवेदन पत्रों की संख्या	
		मंजूर	सवितरित
केरल	15,000	7,998	4,870
तिरूवनंतपुरम	1,600	1,009	535

(ग) चूंकि वित्तीय वर्ष 1995-96 अभी भी चल रहा है और वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात ही अंतिम स्थिति ज्ञात हो पाएगी इसलिए उन बैंकों के ब्यौरे, जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं किये हैं और लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं, इस स्थिति में नही बतायें जा सकते हैं।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि कुछ मामलों में बैंकों द्वारा संपार्शिवक प्रतिभूति पर जोर देने की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। सभी बैंकों से बार-बार कहा गया है कि वे संपार्शिवक प्रतिभूति पर जोर न दें और योजना के लिए जारी किए गए मार्गनिर्देशों का पालन करें। स्वरोजगार के बढ़ते हुए अवसरों के संदर्भ में इस योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस योजना के कार्यान्वयन में की जा रही प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को, जो पी०एम०आर०वाई० को कार्यान्वित कर रहे हैं, कहा गया है कि योजना के कार्यान्वयन पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। उनसे यह भी कहा गया है कि महाप्रबंधक के स्तर के अधिकारी को योजना के कार्यान्वयन निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए यह किया गया है कि जो शिकायतें प्राप्त होती है उन पर बैंकों में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ स्तर पर उचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

[हिन्दी]

सहकारी कताई मिलें

478. **श्रीमती कैसरबाई सोनाजी क्षीरसागर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी कताई मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) नई कताई मिलें स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्रदान किये जाने के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) इन कताई मिलों को शेयर पूंजी तथा ऋण के रूप में धन राशि उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) 31-1-1996 तक की स्थिति के अनुसार देश में सहकारी क्षेत्र में 143 सूती/मानव निर्मित फाईबर कताई मिलें थीं। सहकारी क्षेत्र में राज्यवार मिलों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) 25 जुलाई, 1991 को अधिसूचित उदारीकृत औद्योगिक नीति के अनुसार वस्त्र संबंधी कुछ अवस्थापनात्मक प्रतिबंधों को छोड़ कर इस तथ्य की ओर ध्यान दिए बिना कि प्रस्तावित मिलें सरकारी, निजी अथवा सहकारी क्षेत्र में होंगी, सूती वस्त्र मिलों की स्थापना पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) एन०सी०डी०सी० की सहायता नई सहकारी कताई मिलों की स्थापना में शेयर पूंजी सहभागिता के लिए राज्य सरकारों को ऋण सहायता के रूप में प्रदान की जाती है जो कि इस शर्त पर होती है कि इस प्रायोजन के लिए निर्धारित पात्रता के मानदण्डों तथा आवधिक ऋण की शर्तों को पूरा किया जाए। राज्य सरकारों को एन०सी०डी०सी० की सहायता के पैटर्न को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

31.1.96 तक की स्थिति अनुसार सहकारी प्रबंधन अधीन राज्यवार सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मिलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	11
2.	असम	—
3.	बिहार	3
4.	दादरा नगर हवेली	—
5.	दमन तथा दीव	—
6.	दिल्ली	—
7.	गोआ	—
8.	गुजरात	4
9.	हरियाणा	1
10.	हिमाचल प्रदेश	—
11.	जम्मु व कश्मीर	—
12.	कर्नाटक	12
13.	केरल	4
14.	मध्य प्रदेश	2
15.	महाराष्ट्र	56
16.	मणिपुर	—
17.	उड़ीसा	6
18.	पांडिचेरी	2
19.	पंजाब	7
20.	राजस्थान	3
21.	तमिलनाडु	19
22.	उत्तर प्रदेश	11
23.	प० बंगाल	2
		143

विवरण-II

सहायता का पैटर्न

(परियोजना लागत का प्रतिशत)

विकसित राज्य	हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलें			उपजकर्ता कताई मिलें		
	नई मिलें	विस्तार	आधुनिकीकरण	नई मिलें	विस्तार	आधुनिकीकरण
1	2	3	4	5	6	7
इक्विटी						
(1) सदस्यों का शेयर पूंजी के रूप में अंशदन	5.00	5.00	—	10.00	10.00	5.00

1	2	3	4	5	6	7
(2) राज्य सरकार की शेयर पूंजी						
(क) निजी स्रोत	22.50	17.50	10.00	20.00	15.00	7.50
(ख) एनसीडीसी की ऋण सहायता	22.50	17.50	10.00	20.00	15.00	7.50
उपयोग	45.00	35.00	20.00	40.00	30.00	15.00
ऋण						
(3) आवधिक ऋण	50	60	80	50	60	80
	100	100	100	100	100	100
विकसित राज्यों में सहकारिता के अंतर्गत :						
इक्विटी						
(1) सदस्यों का शेयर पूंजी के रूप में अंशदान	5.00	5.00	—	7.50	7.50	5.00
(2) राज्य सरकार की शेयर पूंजी						
(क) निजी स्रोत	11.25	8.75	10.00	12.50	9.75	7.50
(ख) एनसीडीसी की ऋण सहायता	33.75	26.25	10.00	30.00	22.75	7.50
उप योग (2)	45.00	35.00	20.00	42.50	32.50	15.00
ऋण						
(2) आवधिक ऋण	50	60	80	50	60	80
योग :	108	100	100	100	100	100

श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

479. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के संगठित क्षेत्र में कितने श्रमिक हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा 1994-95 के दौरान इन श्रमिकों के कल्याणकार्य शुरू किए गए कल्याणकारी उपायों का वित्त पोषण करने की स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए अब तक केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित रोजगार के त्वरित अनुमानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में संगठित क्षेत्र में (10 या अधिक कर्मकारों वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और सभी निजी क्षेत्र के गैर कृषीय प्रतिष्ठानों में) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार कुल रोजगार 2.40 मिलियन था।

(ख) से (घ) नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मकारों के कल्याण के लिए विभिन्न श्रम विधियों के उपबंधों के अनुसार कल्याण-कारी उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्पादकता से जुड़ा बोनस

480. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों के कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस देने संबंधी केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिशें कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी उत्पादकता संबंद्ध बोनस योजना की परिधि के अन्तर्गत शामिल हैं। इस योजना की 1991-92 में समीक्षा की जानी थी। अन्तिम समीक्षा लम्बित रहने और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सिफारिशों के आधार पर, विद्यमान उत्पादकता सम्बद्ध बोनस योजना 1994-95 तक के लिए बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों को वर्ष 1994-95 तक के लिए विद्यमान योजना के अधीन देय और अनुज्ञेय बोनस की अदायगी कर दी गई है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा सुझाई गई और केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा अनुमोदित नई उत्पादकता सम्बद्ध बोनस योजना में अतिरिक्त, व्यय अन्तर्गस्त है। अतः इस विषय पर आवश्यक वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

बैंक ऋण अदा न करने वाले बाकीदार

481. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक ऋण अदा न करने वाले दस प्रमुख बाकीदारों के नाम क्या हैं और ऐसे प्रत्येक बाकी दार पर बैंकदार कितनी ऋण राशि बकाया है;

(ख) यह ऋण राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं;

(ग) बाकीदारों से ऋण राशि वसूल करने में क्या कठिनाइयां हो रही हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकारी ऋणों की वसूली न होने के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों से बचने के लिए इस संबंध में वित्तीय संस्थाओं को निर्देश जारी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) प्रकटीकरण को नियंत्रित करने वाले विद्यमान कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे विवरण नहीं दिए जाते हैं।

(ख) से (घ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की देयराशियों की वसूली में तेजी लाने के लिए सरकार ने ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक भी ऋण मूल्याकंन मशीनरी को मजबूत करने की आवश्यकता और गहन पर्यवेक्षण करने तथा अग्रिमों पर नियंत्रण रखने के लिए बैंकों पर जोर डाल रहे हैं। अनुप्योन्य अस्तियों (एनपीए) की वसूली/कमी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्यालयों में महाप्रबंधक के प्रभार में वसूली कक्ष स्थापित किए गए हैं। निदेशक मंडलों से भी वसूली की स्थिति की नियमित आधार पर पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के गोपनीय प्रयोग के लिए बड़े चूककर्ता उधारकर्त्ताओं की सूची छमाही आधार पर परिचालित करने की एक प्रणाली तैयार की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 431.3.94 की स्थिति के अनुसार एक सूची प्रकाशित की है। जिसमें उन चूककर्ता उधारकर्त्ताओं के नाम हैं जिनके विरुद्ध मुकदमें दायर किए गए हैं।

[अनुवाद]

विदेशी ऋणों के भुगतान के संबंध में राष्ट्रीय नीति

482. **डॉ० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आधारभूत परियोजनाओं को सुदृढ़ आधार बनाने के लिए अगले दो वर्षों में 5.5 बिलियन सन् 2002 तक 12 बिलियन तथा इस दशक के बाद 30 बिलियन अमरीकी डालर की विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमानित आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे मद्देनजर रखते हुए कि 22 दिसम्बर, 1995 को सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र के अनुसार 31 दिसम्बर, 1995 को विदेशी ऋण 99.04 बिलियन अमरीकी डालर था, ऐसे बड़े विदेशी ऋणों का यह योग भारत को विदेशी ऋण जाल में डाल देगा;

(ग) उचित समय सीमा के अन्दर सभी विदेशी ऋणों की पुनर्अदायगी के बारे में सोची-समझी गई राष्ट्रीय नीति निकालने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस नीति की संक्षिप्त मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ० देवी प्रसाद पॉल) : (क) से (घ) भारतीय फर्मों द्वारा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधारों की अनुमति विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन से सामंजस्य रखते हुए वार्षिक सीमाओं के भीतर की जाती है। कुल राशि के अन्दर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया जाता है। आधारभूत संरचना को एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाता है। आधारभूत क्षेत्र के लिए आवश्कयताओं को वार्षिक उधार कार्यक्रम के अंग के रूप में प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। आगामी वर्ष के लिए आवश्यकताओं का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। नई उधार वचनवद्धताओं के स्तर को विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर रखने के लिए सरकार ने परिपक्वता, अंतिम-उपयोग एवं मूल्य निर्धारण के संबंध में विदेशी वाणिज्यक उधार प्रस्ताव के अनुमोदन के सख्त मानदंड निर्धारित किए हैं। ऋण सेवा अनुपात को सुविधाजनक स्तर तक कम करने के लिए निर्यातों, अदृश्य प्राप्तियों एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सतत वृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

नए हवाई अड्डों का निर्माण

483. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में नए हवाई अड्डे निर्मित किए गए और इस पर कितनी लागत आई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में पुराने अड्डे का विकास किया गया और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार को भारत की यात्रा पर आने वाले विमान यात्रियों को हो रही कठिनाईयों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी नए हवाई अड्डे कर निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) त्रिपुरा में अगरतला, महाराष्ट्र में औरंगाबाद मुम्बई, नागपुर कर्नाटक

में बंगलौर, उड़ीसा में भुवनेश्वर पश्चिम बंगाल में कलकत्ता केरल में कालीकट त्रिवेन्द्रम, नगालैंड में दीमापुर असम में डिब्रूगढ गुवाहाटी आंध्र प्रदेश में हैदराबाद तिरूपति मध्य प्रदेश में इंदौर राजस्थान में जयपुर जोधपुर उत्तर प्रदेश में लखनऊ तमिलनाडु में मद्रास बिहार में पटना गुजरात में बडोदरा दिल्ली और गोवा में हवाई अड्डों का विकास करने के लिए लगभग 293 करोड़ रुपए को राशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) से (ङ) जी, हां ? शिकायतें मुख्य रूप से दलालों के उत्पाद सीमा शुल्क आप्रवासन निवासी में विलंब हवाई अड्डे पर परिवहन सुविधा का अभाव, यात्री सुविधाओं का घटिया रख रखाव आदि से संबंधित होती हैं। प्रत्येक हवाई अड्डे की विमान-पत्तन समन्वय समिति आवश्यकतानुसार उपचारी कार्रवाई करती है।

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र की मांगें

484. श्री चित्त बसु :
श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ समय से बीमा उद्योग के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा कामगारों द्वारा कुछ मांगों को लेकर अंदोलन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा उठाई जाने वाली मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) बीमा उद्योग के कर्मचारियों और अधिकारियों का एक वर्ग बीमा उद्योग में वेतन संशोधन के मामले को लेकर समय-समय पर प्रदर्शन करता रहा है। सरकार द्वारा श्रेणी-III और IV के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन पैकेज की अधिसूचना 22.2.1996 को जारी कर दी गई है, जबकि श्रेणी-I और II के अधिकारियों के वेतन संशोधन संबंधी प्रस्तावों का सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है।

पर्यटन स्थलों को विमान सेवा से जोड़ना

485. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी पर्यटन स्थलों को विमान सेवा से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) अनेक पर्यटक स्थल पहले ही विमान सेवा से जुडे हुए हैं। इस समय कर्मीदल संबंधी कठिनाई के कारण इंडियन एयरलाइंस का किन्हीं अन्य स्टेशनों को प्रचालन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निजी प्रचालकों को अपने नेटवर्क में, पर्यटकों की रूचि के स्थानों सहित और अधिक स्टेशन जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

निर्यातकों की नकदी की स्थिति

486. श्री अमर पाल सिंह क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वित्त की वर्तमान कमी से निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा हैं और निर्यातक वित्त की बिगड़ती हुई स्थिति और यर्थापुष्ट साख-पत्र के एवज में ऋण की उपलब्धता में कमी से चिन्तित हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स", में "एक्सपोर्टस रीलिंग अण्डर क्रेडिट वंच-सर्वे," शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्यातकों की नकदी की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) प्रश्न के पैरा (ख) में उल्लिखित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के स्थायी अनुदेशों के अनुसार बैंकों को निर्यात क्षेत्र को निवल बैंक ऋण का कम से कम 10% प्राप्त करना आवश्यक है। मार्च, 1992 के अंत में बकाया कुल निर्यात ऋण 10,695 करोड़ रु० था जो कुल निवल बैंक ऋण का 8.6% ही बैठता है। मार्च, 1995 के अंत में बकाया कुल निर्यात ऋण अनंतिम रूप में 27.301 करोड़ रु० होने का अनुमान लगाया गया है जो कुल निवल बैंक ऋण का 13% बैठता है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 10% के लक्ष्य से काफी अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया निर्यात ऋण में 5,000 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात ऋण के संबंध में 8 फरवरी, 1996 को निम्नलिखित घोषणा की है;

(I) विदेशी मुद्रा में लदान पश्चात ऋण (पी०एस०सी०एफ०सी०) योजना को स्कैप करना

(II) 90 दिन से अधिक के लिए लदान-पश्चात् निर्यात रुपया ऋण पर ब्याज की दरों को उदार बनाना।

निर्यात ऋण को मॉनीटर करने के लिए आर०बी०आई० ने निर्यातों के लिए वित्त व्यवस्था करने तथा मौजूदा ऋण सीमाओं को नवीकृत करने के लिए नए/वर्द्धित/तदर्थ ऋण सीमाओं को मंजूरी देने के लिए बैंकों के लिए समय-सीमाएं निर्धारित की है। निर्यात ऋण को रद्द करने से संबंधित सभी मामलों को इस प्रकार रद्द करने के कारणों सहित, बैंकों के प्रमुख कार्यपालकों के ध्यान में लाया जाएगा।

सरकार विदेशी मुद्रा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोग दरों दोनों में ही निर्यातकों को ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निरंतर विचार-विनिमय कर रही है।

शेयर प्रमाणपत्र

487. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कुछ कंपनियों द्वारा जानबुझ कर

अत्यधिक शेयर प्रमाणपत्र छाप कर निवेशकों के साथ की जा रही जालसाजी का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कदाचारों में संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्तव है ?

वित्त मंत्रलय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात विमानपत्तनों द्वारा अर्जित आय

488. **श्री एन०जे०राठवा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में अबतक और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गुजरात में विभिन्न विमानपत्तनों द्वारा विमानपत्तन-वार कितना लाभ अर्जित किया गया और कितनी राशि खर्च की गई ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : गुजरात में विभिन्न हवाई अड्डों से संबंधित आय और व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

(लाख रु० में)

क्रमसं०	हवाई अड्डों के नाम	1992-93		1993-94		1994-95		(आर०ई० दिसंबर, 1995 तक)	
		आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
1.	अहमदाबाद	230.15	197.10	407.16	227.28	568.41	317.28	526.60	482.70
2.	बड़ौदा	56.13	46.82	105.84	53.48	140.75	263.59	105.23	119.72
3.	राजकोट	19.21	43.82	47.39	66.29	44.27	70.46	37.46	73.02
4.	भावनगर	14.43	32.73	34.05	40.72	58.00	60.17	30.87	85.61
5.	जामनगर	7.06	14.75	7.13	11.78	11.18	10.23	10.14	11.87
6.	पोरबंदर	1.80	18.26	7.86	18.23	6.40	19.47	4.93	36.57
7.	भुज	8.55	11.14	15.14	10.12	19.31	11.77	12.05	16.72
8.	कांडला	3.67	12.59	3.75	12.75	3.66	16.25	0.28	19.30
9.	केशोद	3.90	15.15	5.53	19.05	1.06	21.59	2.11	47.03
10.	सूरत	0.75	2.97	0.61	3.14	1.57	3.17	1.52	3.36

विदेशी विमान सेवाओं को विमानपत्तन सुविधायें

489. **श्री राम सिंह कस्वां**
श्री पंकज चौधरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू मार्गों पर विदेशी विमान सेवाओं को शुरू करने संबंधी सुविधायें प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंधों में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) विदेशी विमान कंपनियों को अंतर्देशीय मार्गों पर प्रचालित करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण के वितरण में अनियमितताएं

490. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश विशेषतः कानपुर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन में बैंककारी संस्थानों द्वारा की गई अनियमितताओं और दिए गए ऋणों आदि की समयिक वसूली में अनुभव की जाने वाली कठिनाई की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, ऋण स्वीकृत नहीं करने, मामलों के निपटान में विलम्ब, आदि के सम्बन्ध में कुछ शिकायते मिली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जांच और उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई के लिए ये शिकायतें संबंधित बैंकों को भेज दी हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण

491. **श्री जीवन शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यरत बैंकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन बैंकों में ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है जिन पर वे सभी शर्तें खरी उतरती हैं जिनके अन्तर्गत पूर्व में गैर-सरकारी क्षेत्र के तत्कालीन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में 37 बैंक कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण को जड़ी-बूटी औषधियों के लिए गांजा और भांग की आपूर्ति

492. **श्री मंजय लाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय संख्या में लोग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो में "केनाबिस" (गांजा) और उसके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का गैर-चिकित्सकीय प्रयोजनार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-चिकित्सकीय और गैर-वैज्ञानिक प्रयोजनार्थ गांजा की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया लेकिन गांजे के व्यापक रूप को दर्शाने संबंधी किया गया सीमित अध्ययन उपलब्ध है।

विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि केनाबिस (गांजा/मारोजुआना, भांग, चरस) का दुरूपयोग भारत में व्यापक रूप से फैला हुआ है। वर्ष 1990 में 33 शहरों तथा पड़ोसी क्षेत्रों में किए गए अध्ययन के आधार पर स्वापक औषध पर निर्भर रहने वाले 90 प्रतिशत व्यसनी केनाबिस का दुरूपयोग करते हैं।

(ग) से (ङ) केनाबिस (जिससे गांजा उत्पन्न होता है) की खेती चिकित्सा तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों के अलावा एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत वर्जित है। चिकित्सा तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए केनाबिस खेती को नियंत्रित करने तथा परमिट देने की शक्ति राज्य सरकारों के पास निहित है।

बेरोजगारी भत्ता

493. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक इसे सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान सत्र में दिनांक 8.3.1996 को लोक सभा के पटल पर रखा जाना प्रस्तावित है।

विवरण

श्री फूल चंद वर्मा द्वारा बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है, के उत्तर से संबंधित विवरणी

क्रम सं०	राज्यों/संघशासित प्रदेशों के नाम	शैक्षिक योग्यताएं	भत्ते की दर	1-4-1995 तक अनुमानित लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	स्नातक एवं उससे अधिक	रु०-50/-प्रति माह	98,923
4.	बिहार	(क) मैट्रिकुलेशन एवं उससे आगे और (ख) आई०टी०आई०पास	रु०-100/-प्रति माह	1,88,727
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हरियाणा	(क) मैट्रिक	रु०-50/-प्र०मा०	19,026
		(ख) ह्यर सैकेन्डरी और अधिक परन्तु स्नातक से कम	रु०-75/-प्र०मा०	2,407

1	2	3	4	5
		(ग) स्नातक/स्नात्कोतर	रु०-100/-प्र०मा०	1,500
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
10.	जम्मू एवं काश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
11.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य
12.	केरल	सीनियर सैकेण्डरी सीविंग सर्टिफिकेट पास	रु०-70/-प्रतिमाह	4,81,961
13.	मध्य प्रदेश	हायर सैकेण्डरी पास	रु०-200/-प्रति माह	
			2-10-1995 से लागू	—
14.	महाराष्ट्र	(क) सीनियर सैकेण्डरी सर्टिफिकेट पास	रु०-100/-प्रतिमाह	5,09,869
		(ख) स्नातक एवं उससे अधिक आर उिप्लोमा होल्डरस	रु०-300/-प्रतिमाह	54,229
15.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
18.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
19.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य
20.	पंजाब	(क) मैट्रिकुलेशन एवं स्नातक से कम	रु०-150/-प्रतिमाह	5388
		(ख) स्नातक एवं उससे अधिक	रु०-200/-प्रतिमाह	
21.	राजस्थान	(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्नातक-द्वितीय श्रेणी में	रु-150/-प्रतिमाह	63 अनु०जाति/अनु० जाति
		(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्नात्कोतर-द्वितीय श्रेणी में	रु०-250/-प्रतिमाह	(योजना जून, 1995 से समाप्त कर दी गई)
22.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
23.	तमिलनाडु	(क) नेत्रहीन-मैट्रिक एवं उससे अधिक	रु०-150/-प्रतिमाह	1164
		(ख) नेत्रहीन-प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट/+2	रु०-200/-प्रतिमाह	
		(ग) नेत्रहीन-स्नातक/स्नात्कोतर	रु०-250/-प्रतिमाह	
24.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
25.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
26.	पश्चिम बंगाल	सभी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कोई शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं	रु०-50/-प्रतिमाह (केवल दो वर्ष के लिए)	8,32,737
27.	अण्डेमान एवं निकोबार द्वीपसमुह	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य
31.	लक्ष्यद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पाण्डीचेरी	शून्य	शून्य	शून्य

नेहरू स्मारक मंडप का प्रस्ताव

494. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :** क्या नगर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अलेप्पी में नेहरू स्मारक मंडप के संबंध में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नही।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत और इजराईल के बीच समझौता

495. **डॉ के०वी०आर० चौधरी :**
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इजराईल के बीच कोई आर्थिक सहयोग समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इजराईल सरकार ने भारतीय आयात-निर्यात बैंक को इजराईल से भारत को पंजीगत सामानों के निर्यात के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोनों सरकारों ने आर्थिक संबंधों की समीक्षा करने के संबंध में विस्तृत बातचीत की है; और

(च) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर बातचीन की गई और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्र० देवी प्रसाद पॉल) : (क) से (च) वित्त मंत्री के आमंत्रण पर इजराईल के आदरणीय वित्त मंत्री एच०ई० अब्राहम बी० शोचाट की 26-30 जनवरी, 1996 तक की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय महत्व के विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिए गए। दोनों देशों में विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों पर सहायता करने पर सहमति होने और एक दूसरे के द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात का संवर्धन करने के लिए एक्जिम बैंक को 100 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने के इजराईली प्रस्ताव और एक्जिम बैंक के 25 मिलियन अमरीकी डालर के पारस्परिक ऋण संबंधी सुविचारित प्रस्ताव के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन करारों पर हस्ताक्षर किए गए :

दोनों देशों से निवेशों की पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा के लिए उचित और न्याय-संगत उपचार देने हेतु द्विपक्षीय निवेश संवर्धन के संबंध में करार।

सीमा-शुल्क कानून को उचित रूप से लागू करने और दोनों देशों के बीच सीमा-शुल्क संबंधी अपराधों की रोकथाम, जांच-पड़ताल एवं उनसे निबटने को सुचारू बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग करार।

आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोगुने कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार।

आयात तथा निर्यात में धोखाधड़ी

496. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बढ़ते हवाला घोटालेबाजों के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी, 1996 के "जनसत्ता में" एक हवाला निर्यात में भी जिसमें करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार को इस समस्या की जानकारी है।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 (सितम्बर, 1995 तक) के दौरान वास्तविक से अधिक धनराशि के बीजक बनाने के 99 मामलों की सूचना दी गई है। इन मामलों में निर्यात किए गए माल का घोषित मूल्य लगभग 3184 लाख रुपये है, जबकि स्वीकृति/अनुमानित मूल्य लगभग 940 लाख रुपये है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जारी किए गए पास

497. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 से 1995 के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जारी किए गए पासों का प्रारंभिक उड़ानों सहित ब्यौरा क्या है और इन पर क्रमशः कितना खर्च हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अतिथ्य सत्कार पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) इस तरह के पास जारी करने के लिए क्या मानदंड रखे गए हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) वर्ष 1993 से 1995 के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जारी निःशुल्क पासों और उद्घाटन पासों के ब्यौरे और उद्घाटन के अवसर पर आमंत्रितों के आतिथ्य सत्कार पर किये गये वर्ष के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। निःशुल्क पासों पर कोई खर्च निहित नहीं है चूंकि निःशुल्क पास धारकों को सामान्य टिकटधारी यात्रियों को खपाने के बाद ही खपाया जाता है।

(ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को समग्र वाणिज्यिक और व्यवसायिक हित में निःशुल्क पास जारी करती है। दोनों कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों को इस पासों को जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं। एयर इंडिया के प्रबन्ध निदेशक ने इन शक्तियों को कुछ विभागध्यक्षों को प्रत्यायोजित किया हुआ है तथा इसमें वाणिज्यिक निदेशक भी सम्मिलित हैं जिन्होंने इन शक्तियों को क्षेत्रीय अध्यक्षों के माध्यम से स्टेशन प्रबंधकों को उप-प्रत्यायोजित कर दिया है। इंडियन एयरलाइन्स में, मुख्यालयों में विभागध्यक्षों और क्षेत्रीय निदेशक निःशुल्क पास जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं।

विवरण

वर्ष 1993 से 1995 के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उद्घाटन उड़ानों के पासों सहित जारी किये गये निःशुल्क पासों की संख्या

(1) एयर इंडिया द्वारा जारी निःशुल्क पास

1992.93	529
1993.94	642
1994.95	938
अप्रैल-नवम्बर, 95	547

एयर इंडिया ने उद्घाटन उड़ान के लिए आमंत्रितों की व्यक्तियों पर निम्नलिखित राशि खर्च की है :–

(1) बी-747-400 विमान की उड़ान आरंभ करना	तारीख	आमंत्रितों की संख्या	कुल लागत
मुम्बई/दिल्ली/मुम्बई	13/14 अगस्त , 93	162	2,52,208
(2) नई सेवाएं			
त्रिवेन्द्रम/सिंगापुर/त्रिवेन्द्रम	1 जनवरी और	58	
बंगालौर/सिंगापुर बंगलौर	1 फरवरी 1995 के बीच		
मद्रास/लंदन/मद्रास	17 जनवरी और	54	
	12 फरवरी 1995 के बीच		3731546

सभी तीनों नई सेवाओं पर आई कुल लागत

(2) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जारी निःशुल्क/उद्घासटन पासों की संख्या

वर्ष	उद्घाटन के लिए	उद्घाटन उड़ान के अतिरिक्त उड़ान	उद्घाटन उड़ान पर निःशुल्क पासों की लागत
1993	11	887	1,50,000
1994	32	1646	8,74,000
1995	22	1878	4,05,000
योग	65	4411	14,29,000

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादन

498. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वलु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू उत्पादकों को इस आशय का कोई आश्वासन दिया है कि उनकी तम्बाकू खेती के भू-क्षेत्र में कोई कटौती नहीं की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तम्बाकू कृषकों को तम्बाकू की खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली तम्बाकू जैसी पारम्परिक फसलों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) तम्बाकू की खेती को समाप्त करने अथवा कम करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) तम्बाकू की उपज तथा उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तम्बाकू के उपजकर्त्ताओं की सहायता करने की दृष्टि से तम्बाकू बोर्ड विकासात्मक तथा विस्तार योजनाएं चला रहा है जिनमें ये शामिल हैं: एफ०सी०वी०/बरली तम्बाकू की अधिक उपज देने वाली तथा बीमारी प्रतिरोधक किस्मों के बीजों/पौदों की आपूर्ति करना, नवीनतम अनुसंधान निष्कर्षों के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करना तथा जानकारी देना, नर्सरियों के धूमीकरण (फ्यूमीगेशन) के माध्यम से कीट तथा रोग नियंत्रण, स्प्रिंवलर सिंचाई व्यवस्था के उपयोग को कम करना तथा क्यूरिंग और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना। तम्बाकू तथा तम्बाकू के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए कुछेक उपायों में ये शामिल हैं: बदलती अंतर्राष्ट्रीय आवश्कयताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन का पुनः पूर्वानिमुखीकरण, कीटनाशी अपशिष्टों की मानीटरी तथा नियंत्रण करना, अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप ग्रेडिंग करना, उत्पाद विकास के लिए आयातों की अनुमति देना, व्यापार शिष्टमंडल प्रायोजित करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन उद्योग

499. श्री दत्ता मेघे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में पर्यटन उद्योग राज्य में गड़बड़ियों की वजह से पूरी तरह ठप्प हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान पर्यटन उद्योग से कितनी आय हुई और कितने पर्यटकों ने राज्य का दौरा किया; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं। राज्य में अशान्ति से केवल कश्मीर घाटी में पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है, अन्य क्षेत्रों में नहीं।

(ख) राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान जम्मू व कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार से दी गई थी :–

वर्ष	पर्यटकों की संख्या			
	वैष्णों देवी और अमरनाथ	लद्दाख	कश्मीर घाटी	जोड़
1994	3742945	17288	9814	3770047
1995	4992127	17985	8498	4118610

राज्य में पर्यटन उद्योग से उत्पन्न आय का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए उठाए गए कदमों में राज्य के जम्मू और लद्दाख प्रभागों में नई सैरगाहों की पहचान करना और विकास करना और उनका मीडिया अभियानों के माध्यम से व्यापक प्रचार करना सम्मिलित है।

[अनुवाद]

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा स्वर्ण आयात बंद करना

500. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने उनके मंत्रालय से सम्भार नियमों के अंतर्गत स्वर्ण आयात को बंद करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में प्रतिदिन वृद्धि होने के बावजूद यह मांग किस आधार पर की गई है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस प्रस्ताव का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय को खनिज एवं धातु व्यापार निगम से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

भुवनेश्वर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

501. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में किसी नए हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भुवनेश्वर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा हाल ही में की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस समय, किसी नये हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भुवनेश्वर हवाई अड्डे को 29.50 करोड़ रुपये की लागत पर एक आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार, सीमित अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन भी किये जा सकेंगे।

विदेशी मुद्रा विनियमन कानून का उल्लंघन

502. श्री राम विलास पासवान :
डा० एस० पी० यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जी०टी०वी० पर निर्यात बाजार में निर्यात का संभावना वाले उत्पादों का जी०टी०वी० पर विज्ञापन देने के अलावा उन उत्पादनों के संवर्धन के लिए राज्य व्यापार निगम के साथ समझौता करके विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामलें में जांच आरम्भ कर दी गई है।

विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत आयात प्रतिबंध

503. श्री रवि राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन ने केन्द्र सरकार से ऐसे उत्पादों की सूची देने को कहा है जिनके आयात की मात्रा पर वह प्रतिबंध लगाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व व्यापार संगठन को यह सूची कब तक दिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) विश्व व्यापार संगठन की व्यापार वस्तु परिषद द्वारा मात्रात्मक प्रतिबंधों के लिए दिनांक 1 दिसंबर, 1995 को अपनायी गयी अधिसूचना क्रियाविधियों से संबंधित निर्णस के अनुसार सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है। कि वे उनके द्वारा 31 जनवरी, 1996 बरकरार रखे गए मात्रात्मक प्रतिबंधों की तथा इसके बाद दो वर्ष के अंतराल पर पूर्ण अधिसूचनाएं तैयार करें उनके मात्रात्मक प्रतिबंधों संबंधी परिवर्तनों को जब भी ऐसे परिवर्तन हों, अधिसूचित करें। इसके समान ही विश्व व्यापार संगठन की भुगतान संतुलन से संबंधित समिति ने 6 और 8 दिसंबर, 1995 को भारत के साथ विचार-विमर्श संबंधी अपनी रिपोर्ट में यह अंगीकार किया है कि भारत के साथ विचार-विमर्श अक्तूबर, 1996 में किये जाएंगे और यह कि 1996-97 की आयात-निर्यात नीति की घोषणा के तुरन्त बाद भारत भुगतान संतुलन के प्रयोजनों के लिए बरकरार रखे गए सभी शेष प्रतिबंधों के बारे में विश्व व्यापार संगठन को सूचित करेगा। इन अधिसूचना दायित्वों को आयात-निर्यात नीति (1992-97) में वर्ष 1996-97 के दौरान किए गए परिवर्तनों की घोषणा के तुरन्त बाद पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

रुग्ण कपड़ा मिलें

504. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री राम सिंह कस्वा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार आज की तारीख से देश में कितनी रुग्ण कपड़ा मिलें हैं, कितनी मिलें बन्द होने की स्थिति में है और कितनी मिलें बन्द हो चुकी हैं;

(ख) इन मिलों में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं; और

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र के श्रमिकों और मिल मालिकों के समक्ष मिलों के बन्द होने और उनकी रुग्णता के कारण आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) 30.6.95 की स्थिति के अनुसार, 278 वस्त्र मिलें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास रुग्ण एकक के रूप में पंजीकृत थीं 31.12.95 की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कोई सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल बंद नहीं है। 128 मिलें वित्तीय कठिनाइयों, तालाबंदी तथा हड़तालों के कारण अस्थायी रूप से बंद हैं तथा 36 मिलें सरकारी व्यासमापन के कारण बंद हैं।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत मिलों को दर्शाने वाला विवरण-I संलगन है। तथा सूती/मानव-निर्मित फाइवर वस्त्र मिलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-II भी संलग्न है।

(ख) इन 164 मिलों के बंद होने के फलस्वरूप 31.12.95 की स्थिति के अनुसार प्रभावित हुए कामगारों की संख्या 216566 है।

(ग) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा मिलों के पुनर्चालन करने के लिए यथाउपयुक्त योजनाएं तैयार करन तथा मंजूर करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया है।

विवरण-I

30.6.95 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास 278 मिलें पंजीकृत थी। राज्यवार संख्या नीचे दी गयी है।

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश का नाम	मिलों की संख्या
1	2	3
1.	बिहार	3
2.	प० बंगाल	12
3.	उड़ीसा	4
4.	उत्तर प्रदेश	33
5.	दिल्ली	2
6.	पंजाब	5
7.	हरियाणा	9
8.	चंडीगढ़	1
9.	राजस्थान	14
10.	गुंजरात	57
11.	महाराष्ट्र	33
12.	मध्य प्रदेश	14
13.	आंध्र प्रदेश	14
14.	कर्नाटक	15
15.	तमिलनाडु	32
16.	केरल	5
17.	दादरा तथा नगर हवेली	2
18.	असम	3
	कुल :	278

विवरण-II

दिनांक 31.12.95 की स्थिति अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत/व्यासमापन आदि के अंतर्गत बंद सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें।

क्र० सं०	राज्य	औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत	सरकारी व्यासमापन	अन्यथा बंद	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	10	10
2.	असम	0	0	1	1

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	0	0	1	11
4.	गुजरात	0	23	23	46
5.	हरियाणा	0	0	3	3
6.	कर्नाटक	0	2	8	10
7.	केरल	0	0	1	1
8.	मध्य प्रदेश	0	0	8	8
9.	महाराष्ट्र	0	7	11	18
10.	उड़ीसा	0	0	1	1
11.	राजस्थान	0	1	3	4
12.	तमिलनाडु	0	3	38	41
13.	उत्तर प्रदेश	0	0	13	13
14.	प० बंगाल	0	0	7	7
	कुल :	0	36	128	164

भुगतान संतुलन की स्थिति

505. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष भुगतान संतुलन की स्थिति की तुलना में इसकी वर्तमान स्थति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) 1995-96 के लिए भुगतान संतुलन आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। डी०जी०सी०आई०, एण्ड एस० के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार प्रमुख संकेतक बिन्दुओं पर उपलब्ध जानकारी व्यापार घाटे में बढ़ोत्तरी को इंगित करती है जो अप्रैल-दिसम्बर, 1994 में 2011 मिलियन अमरीकी डालर से अप्रैल-दिसम्बर, 1995 में 3535 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। 1995-96 के पहले नौ महीनों के दौरान अमरीकी डालर के रूप में निर्यातों में 24.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान आयातों में 29.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि अदृश्य मदों से प्राप्त लगातार समर्थन के साथ, समग्र रूप में वर्ष 1995-96 के लिए चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5 प्रतिशत होने की संभावना है जो कि वहनीय है।

भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, स्वर्ण और एस०डी०आर० शेष सहित भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार मार्च 1995 के अन्त में 25.186 मिलियन अमरीकी डालर से घटकर 16 फरवरी, 1996 को 20,634 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। 1994-95 की समवर्ती अवधि के दौरान, विदेशी मुद्रा भंडार 3.163 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ गया।

बाल मजदूरी

506. कुमारी उमा भारती : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पटाखा उद्योग में काम करने वाले बाल मजदूरों को इस खतरानाक उद्योग में काम करने से बचाने के उद्देश्य से कोई कल्याणकारी कदम उठाने का विचार कर रही है;

(ख) गत वर्ष के दौरान कितने पटाखा कारखानों में विस्फोट हुए और इनमें कितने व्यक्तियों विशेष रूप से बाल मजदूरों की मौत हुई; और

(ग) सरकार द्वारा इन घातक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार माचिस, विस्फोटक और आतिशबाजी के निर्माण और अस्थायी लाइसेन्सों वाली दुकानों में पटाखों और आतिशबाज़ी की बिक्री से संबंधित कार्य में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के दोषी पाये जाने वाले नियोजकों के विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है।

जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की परिधि में भी आतिशबाजी उद्योग आता है। माचिस तथा आतिशबाजी उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों के लिए एक ऐसी ही परियोजना सिवाकासी में चलायी जा रही है जिसमें 89 विशेष विद्यालयों के माध्यम से 5,000 बच्चों को शामिल किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत माचिस तथा आतिशबाजी उद्योग में कार्यरत बच्चों के कार्य से हटाया जाता है और विशेष विद्यालयों में भेजा जाता है जहां उन्हें अनौपचारिक प्राथमिक स्तर की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वृत्तिका आदि मुहैय्या करवाए जाते हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर विभाग, पुणे द्वारा छापा मारना

507. श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा किस आधार पर तलाशी ली जाती है;

(ख) क्या तलाशी लेने से पूर्व मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना की सत्यता की जांच की जाती है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान पूणे में आयकर विभाग द्वारा ली गयी तलाशी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन छापों के दौरान कुल कितनी नकदी, आभूषण और सम्पत्ति जब्त की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तलाशी कार्रवाई तब की जाती है जब विभाग के पास विश्वास करने योग्य कारण होता है कि किसी व्यक्ति, के पास कोई रकम, सोना-चान्दी, आभूषण अथवा अन्य ऐसी कीमती वस्तु अथवा सामान है जो या तो पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से ऐसी आय अथवा संपत्ति को दर्शाते हैं, जो प्रकट नहीं की गई है अथवा प्रकट नहीं की जाएगी अथवा जिसे सम्मन अथवा नोटिस दिया गया है अथवा दिया जा सकेगा और जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाईयों के लिए संगत लेखा पुस्तकें अथवा दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करेगा।

(ख) जब कभी किसी मामलें में कर-अपवंचन संबंधी कोई सूचना आयकर विभाग में प्राप्त होती है तो सूचना की सत्यता की जांच करने हेतु एक स्वतंत्र जांच की जाती है।

(ग) और (घ) गत दो वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा पुणे में ली गई तलाशियों के ब्यौरे निम्न प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	जारी किए गए गारंटी की संख्या	अभिगृहण (रु० लाखों में)
1993-94	64	455.49
1994-95	79	530.08

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि देना

508. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के लिए बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित कुल धनराशि जारी कर दी गई है;

(ख) योजना के अन्तर्गत 1995-96 के लिए निर्धारित ऋण का क्या लक्ष्य है;

(ग) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण की ओर बैंकिंग अधिकारियों की अपेक्षापूर्ण रवैया के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा इस सम्बन्ध में बैंकिंग संस्था को जारी अद्यतन निर्देश का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) बैंकिंग क्षेत्र ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत निधियों का कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया है। वर्ष 1995-96 के लिए वास्तविक लक्ष्य की तुलना में लाभग्राहियों की संख्या 319360 है।

(ग) और (घ) बैंक प्रबन्धकों के उपेक्षापूर्ण रवैये के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं। अर्धक्षम प्रस्तावों को अस्वीकृत नहीं करने, सम्पार्श्विक प्रतिभूति सम्बन्धी आग्रह तथा स्वीकृत मामलों का विलम्ब से वितरण करने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं। बढ़ते हुए स्व-रोजगार अवसरों के सन्दर्भ में इस योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को कार्यान्वित कर रहे बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से कहा गया है कि उन्हें योजना के कार्यन्वयन पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। उनसे यह भी कहा गया है कि महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी को योजना के कार्यान्वयन के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्राप्त शिकायतों पर बैंकों में यथेष्ट वरिष्ठ स्तर पर यथोचित रूप से ध्यान दिया जाए।

चने की दाल का निर्यात

509. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चने की दाल का निर्यात करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो चने की दाल की देश-वार कुल कितनी मात्रा का निर्यात किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात के लिए अब तक 20,000 मी० टन चना/चना दाल की मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा, कृषि मंत्रालय नेफेड और एसटीसी के जरिए 14,000 मी० टन चना/चना दाल के निर्यात की अनुमति देने के लिए भी सहमत हो गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋण

510. श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/एशियाई विकास बैंक द्वारा कितनी सहायता/ऋण राशि देने का वायदा किया गया तथा वास्तविक रूप से कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) इन वर्षों के दौरान जिन-जिन क्षेत्रों में सहायता/ऋण प्रदान किया गया, उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) इस सहायता/ऋण के धीमी गति के उपयोग के क्या कारण हैं; और

(ङ) विदेशी, सहायता/ऋण का उचित तथा तेजी से उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) जनवरी 31, 1996 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से सहायता की श्रृंखला के अन्तर्गत कुल असंवितरित शेष 8.77 बिलियन अमरीकी डालर था। अनाहरित शेष के सकल आंकड़ों में पिछली बकाया राशियां प्रदर्शित नहीं की गयी है। यह केवल उस कुल राशि को दर्शाते हैं जो एक समयावधि में आहरित की जा सकती हैं, और विभिन्न परियोजनाओं के समय प्रारूप पर आधारित हैं।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए सहायता/ऋण वचनबद्धताएं और वास्तविक उपयोग (संवितरण) निम्न प्रकार हैं :–

	वचनबद्धता		उपयोग	
	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (मिलियन एस०डी०आर०)	एशियाई विकास बैंक (मिलियन अमरीकी डालर)	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (मिलियन एस०डी०आर०)	एशियाई विकास बैंक (मिलियन अमरीकी डालर)
1992-93	—	1060	1155	367.45
1993-94	—	447	231	194.34
1994-95	—	505	—	505.60

(ग) सामान्यता सहायता/ऋण का उपयोग अन्य क्षेत्रों की तुलना में विद्युत तथा सामाजिक क्षेत्र में कम रहा है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में विद्युत तथा सामाजिक क्षेत्रों में उपयोग में वृद्धि हुई है।

(घ) विदेशी सहायता का उपयोग अनुमान से कम होने के कुछ मुख्य कारण अपर्याप्त प्रावधान एवं प्रतिरूपी निधिकरण, अधिप्राप्ति एवं संविदागत विलम्ब, शुरूआत करने संबंधी एवं अन्य प्रक्रियात्मक विलम्ब है।

(ङ) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधिकरण सुनिश्चित करना, शत-प्रतिशत अतिरिक्त सहायता के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०) देना, राज्यों को अग्रिम तौर पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करना, बोली संबंधी प्रलेखों का मानकीकरण एवं अधिप्राप्ति प्रक्रिया को कारगर बनाना, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली विदेशी सहायता के अन्तर्वाह में मध्यस्थल का समापन, पोर्टफोलियों को युक्तिसंगत बनाना तथा आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबन्धक एकक का गठन करना, सहायता के उपयोग में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं।

विमान पास

511. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन श्रेणियों के लोगों को निःशुल्क विमान पास जारी किए जाते हैं;

(ख) 1994-95 और 1995 के दौरान आज तक कितने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों और इंडियन एयलाइन्स के कर्मचारियों को निःशुल्क विमान पास जारी किए गए और वे किस श्रेणी में यात्रा के हकदार है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान इस मद पर इंडियन एयरलाइन्स की वर्षवार कितनी धनराशि व्यय हुई;

(घ) क्या यह सुविधा स्वाधीनता सेनानियों और भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों को भी देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयलाइन्स अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को छुट्टी पर यात्रा करने के लिए, कुद ख्यात व्यक्तियों और संगठनों, अन्तरलाइन करारों के अनुसार अन्य एयरलाइनों के कर्मचारियों और कम्पनी के समग्र वाणिज्यिक हित में अन्य विभिन्न वर्गों को निःशुल्क हवाई टिकट जारी करती है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क हवाई टिकट प्रदान नहीं करती। इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को जारी किये गये निःशुल्क हवाई टिकटों की संख्या नीचे दी गयी हैः—

1994-95	35205
1995-96 (31-1-1996 तक)	8990

कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य "लोड की शर्त के आधार पर" इकानॉमी श्रेणी में यात्रा करने के हकदार हैं। तथापि, 2900/-रुपए और इससे ऊपर मूल वेतन पाने वाले अधिकारी "लोड की शर्त के आधार पर" "जे" श्रेणी में यात्रा करने के पात्र हैं।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को "लोड की शर्त के आधार पर" टिकट जारी किये जाते हैं और इन टिकटों पर उन्हें टिकट खरीदने वाले यात्रियों को लेने के बाद ही स्वीकार किया जाना है। अन्य श्रेणियों के उन व्यक्तियों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है जिन्हें निःशुल्क हवाई पास जारी किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों पर स्वतंत्रता सेनानियों और भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों को कोई निःशुल्क टिकट जारी करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध को उठाना

512. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान पड़ोसी देशों के साथ मुख्य रूप से राजनीतिक तनाव से संबंधित कारणों से भारत के साथ लागए गए व्यापार प्रतिबंधों को उठा लेने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान भारत के साथ किसी तीसरे देश के माध्यम से व्यापार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान तीसरे देशों के मार्फत भारतीय वस्तुओं का आयात करता आ रहा है। तथापि, ऐसे परोक्ष व्यापार का कोई विश्वसनीय आकलन संभव नहीं है।

[हिन्दी]

राज्यों में विमान सेवा सम्पर्क

513. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में कुछ स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमनन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इस समय प्रचालन कर्मीदल सम्बन्धी कठिनाईयों के कारण, इंडियन एयरलाइन्स की अन्तर्देशीय नेटवर्क पर किसी नये स्टेशन को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, निजी प्रचालकों को अपने नेटवर्क में और अधिक स्टेशन जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर को अनुसूचित प्रचालकों द्वारा पहले ही विमान सेवा से जोड़ा गया है।

[अनुवाद]

इंडिया ब्रांड प्रोमोशन फंड

514. **श्री राम नाईक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया ब्रांड प्रोमोशन फंड बनाने के पीछे क्या विचार है; और

(ख) फंड के गठन, इसके प्रबंध, इसका कार्य क्षेत्र और इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) प्रस्तावित भारत ब्राण्ड इक्विटी फण्ड का मूल उद्देश्य विदेशी बाजारों में भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति को प्रदर्शित करना है। यह फण्ड भारतीय उद्योगों/कंपनियों को नए बाजारों तक पहुंचने में और भरतीय उद्योगों, उत्पादों तथा ब्राण्डों के संवर्धन में सहायता करेगा। इस फण्ड का गठन, इसका क्षेत्र, और कार्यकलापों के स्वरूप से संबंधित विस्तृत ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा म्युचुअल फंडों का निरीक्षण

515. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा म्युचूअल फंडों की जांच से अनेक उलझन वाली बातें सामने आई हैं;

(ख) यदि हां, तो म्युचुअल फंडों द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों को सिद्ध करने के लिए "सेबी" द्वारा सुस्पष्ट रहस्योद्घाटन किए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बचत योजनाएं

516. **श्री विजय एन० पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने छोटे निवेशकों के लिए 1994-95 के दौरान कितनी बचत योजनाएं चलायी हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं पर निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन योजनाओं के प्रति निवेशकों की प्रतिक्रिया बड़ी उत्साहजनक रही है। वर्ष 1994-95 के दौरान लघु बचत संग्रहणों में 1993-94 के दौरान के संग्रहणों से 37.4 प्रतिशत वृद्धि दिखाई दी है;

(ग) जी, नहीं;

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1994-95 के दौरान सरकार द्वारा लघु निवेशकों के लिए प्रस्तुत लघु बचत योजनाएं।

क्र०सं०	योजना का नाम	वार्षिक ब्याज की दर
1	2	3
1. @	डाकघर बचत खाता	5.5 प्रतिशत साधारण (व्यक्तिगत खाता)
2. x	डाकघर आवर्ती जमा (5 वर्षीय)	12.5 प्रतिशत चक्रवृद्धि त्रैमासिक (10 रुपये मूल्य वर्ग के लिए परिपक्वता मूल्य 833.40 रुपये)
3. x	डाकघर मासिक आय योजना (6 वर्षीय)	13 प्रतिशत मासिक आधार पर देय एवं 6 वर्ष के अंत में जमा का 10 प्रतिशत बोनस
4.	डाकघर सावधि जमा	ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि एवं वार्षिक आधार पर देय।
	(क) 1 वर्षीय जमा 10.5 प्रतिशत (ख) 2 वर्षीय जमा 11.00 प्रतिशत (ग) 3 वर्षीय जमा 12.00 प्रतिशत (घ) 6 वर्षीय जमा 12.05 प्रतिशत	
5. xx	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, 8वां निगर्म (6 वर्षीय)	12 प्रतिशत चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक (100रु० मूल्य वर्ग के लिए परिपक्वता मूल्य 201.50 रुपये)
6. xx	राष्ट्रीय बचत योजना 1992	11 प्रतिशत
7. @	सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना	10 प्रतिशत अर्धवार्षिक आधार पर देय

1	2	3
8. @	सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों को सेवा-निवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए जमा योजना	10 प्रतिशत अर्धवार्षिक आधार पर देय
9.	इंदिरा विकास पत्र (5½ वर्षीय)	5 वर्ष 6 महीनों में राशि दुगुनी हो जाती है।
10.	किसान विकास पत्र (5½ वर्षीय)	-तदैव-
11.	सार्वजनिक भविष्यनिधि योजना (15 वर्षीय)	12 प्रतिशत

x लाभ धारा 90-एल० के अन्तर्गत उपलब्ध
xx लाभ धारा 88 एवं 88 एल के अन्तर्गत उपलब्ध
@ ब्याज पूर्णतया करमुक्त

अग्नि बीमा दावे

517. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 के दौरान साधारण बीमा निगम की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों को राज्य-वार और कम्पनी-वार झुग्गी-झोंपड़ी अग्नि बीमा संबंधी कितने दावे प्राप्त हुए;

(ख) 31 दिसम्बर, 1994 को कंपनी-वार और राज्य-वार ऐसे कितने दावे लम्बित थे;

(ग) 1995 के दौरान कंपनी-वार और राज्य-वार कितने दावे अस्वीकार किए गए;

(घ) 1995 के दौरन कंपनी-वार और राज्य-वार कितने दावों पर भुगतान किया गया है; और

(ङ)31 दिसम्बर, 1995 को कंपनी-वार और राज्य-वार कितने दावे लम्बित थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और कम्पनी	31.3.94 को बकाया दावों की संख्या	1994-95 के दौरान सूचित दावों की सं०	1994-95 के दौरान अस्वीकृत दावों की संख्या	1994-95 के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या	31.3.95 की स्थिति के अनुसार बकाया दावों की सं०
1	2	3	4	5	6
नेशनल इंश्योरेंस					
अरुणाचल प्रदेश	—	6	4	—	2
असम	850	1335	1835	3	347
बिहार	6997	12364	2230	11367	5764
मणिपुर	369	688	683	374	6
मेघालय	22	13	15	—	20
मिजोरम	—	—	—	—	—
नागालैंड	22	—	—	—	22
उड़ीसा	608	3048	195	2917	544
सिक्किम	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	225	316	450	71	20
पश्चिम बंगाल	817	3894	21	4278	412
न्यूइंडिया इंश्योरेंस					
गोवा	16	—	—	—	16

1	2	3	4	5	6
गुजरात	16	28	3	9	32
मध्य प्रदेश	87	27	1	14	99
महाराष्ट्र	599	568	195	500	472
अंडमान और निकोबार	–	–	–	–	–
दादरा और नागर हवेली	–	–	–	–	–
दमन और दीव	–	–	–	–	–
लक्ष्यद्वीप					
ओरियन्टल इंश्योरेंस					
हरियाणा	114	1	–	1	114
हिमाचल प्रदेश	28	–	–	–	28
जम्मू और कश्मीर	54	–	–	–	54
पंजाब	8	–	–	–	8
राजस्थान	326	523	17	481	351
उत्तर प्रदेश	2644	1388	273	1409	2350
चंडीगढ़	42	–	–	–	42
दिल्ली	–	3	–	3	–
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस					
आन्ध्र प्रदेश	3390	17873	845	15810	4608
कर्नाटक	155	3046	153	2910	138
केरल	245	1003	18	1070	160
तमिलनाडु	1258	3359	199	2958	1460
पाण्डिचेरी	5	173	–	173	5

[हिन्दी]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में रिक्त पदों का भरा जाना

518. श्री छेदी पासवान : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एयर इंडिया और इंडियन एयरला[illegible] अनुसूचि[illegible] जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए [illegible] रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए हाल ही में आरक्षण लागू किया गया है और इसलिए, कोई विशेष भर्ती अभियान नहीं चलाया गया है।

(ग) विशेष भर्ती अभियान के परिणामस्वरूप, विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त किये गये/नियुक्ति पत्र जारी किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:–

ग्रुप	एयर इंडिया		इंडियन एयरलाइन्स	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ए	6	3	1	–
बी	2	1	15	18
सी	2	1	15	22
डी	178	12	13	11

[अनुवाद]

कश्मीर में विदेशी पर्यटक

519. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995 के दौरान कश्मीर घाटी में विदेशी पर्यटकों के अपहरण के कारण घाटी में आने वाले विदेशी और देशी पर्यटकों की संख्या में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीने के दौरान आए पर्यटकों के ब्यौरा क्या है; और

(ग) घाटी में कितने पांच सितारा और कम सितारे वाले होटल हैं और वर्ष 21994-95 के दौरान इनमें ठहरने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना रहा ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जुलाई, 1995 में विदेशी पर्यटकों के एक समूह के अपहरण के बाद केवल तीन महा के लिए कश्मीर घाटी में विदेशी पर्यटकों के आगमन में गिरावट आई है। जुलाई से दिसम्बर 1995 के दौरान पूर्व वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विदेशी पर्यटक आगमन के महीना-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

	घाटी में विदेशी पर्यटक आगमन	
महीना	1994	1995
जुलाई	1721	1477
अगस्त	1415	1067
सितम्बर	1296	555
अक्तूबर	578	593
नवम्बर	324	455
दिसम्बर	322	673
जोड़ :	5656	4820

जुलाई से दिसम्बर के दौरान न तो वर्ष 1995 में और न ही 1994 में ही कश्मीर घाटी में कोई (स्वदेशी) घरेलू पर्यटक आए।

(ग) घाटी में तीन पांच सितारा तथा छः दो सितारा होटल हैं तथा इन होटलों में वर्ष 1994-95 के दौरान पर्यटक अधिभोग न के बराबर रहा।

विमानपत्तनों के लिए उपग्रह आधारित नेटवर्क प्रणाली

520. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में विमानपत्तनों के लिए निर्माण और स्थानान्तरण आधार पर उपग्रह आधारित राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ-साथ इसमें शामिल किए जाने वाले विमानपत्तनों की संख्या, वित्तीय प्रभाव और वित्त पोषण आदि दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित नेटवर्क प्रणाली स्थापित करने का कार्य प्रदान करने के लिए कम्पनियों-देशी अथवा बहुराष्ट्रिक के चयन के लिए अपनायी जाने वाली कार्य-प्रणाली को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेटलाइट आधारित एक समर्पित संचार नेटवर्क स्थापित करने की योजना है।

(ख) सभी प्रचालनगत हवाई अड्डों को इस नेटवर्क के अन्तर्गत लाया जायेगा। इस परियोजना पर 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की संभावना है तथा धन आंतरिक संसाधनों से जुटाया जायेगा।

(ग) और (घ) इस संचार नेटवर्क के लिए हार्डवेयर और साफ्टवेयर "खुली निविदाओं" के माध्यम से प्राप्त किए जायेंगे।

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

521. श्री बलराज पासी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांगों के लिए कितने व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र हैं;

(ख) विशिष्ट रूप से विकलांगों का क्षमता के मूल्यांकन के लिए स्थापित व्यावसायिक केन्द्रों और उन्हें संयंत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण कब शुरू किया गया था; और

(घ) इन केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं से फायदा उठाने के लिए अधिकाधिक विकलांग व्यक्तियों को आकृष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) वर्तमान में 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट सामर्थ्य के मूल्यांकन तथा उन्हें पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु कार्य कर रहे हैं। ये सभी व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र मूल्याकन आयोजित करते हैं तथा विकलांग व्यक्तियों को इन-प्लांट प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) कल्याण मंत्रालय की 1979-80 प्रचालन में "शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये छात्रवृत्ति" योजना के अंतर्गत इन-प्लांट प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन०डी०सी०) के निर्णय के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 1992-93 से योजना केन्द्र से राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित कर दी गई है। विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन तथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कैम्पों के आयोजन के माध्यम से अपनी गतिविधियों का वृहत् प्रचार करते हैं।

कालीकट विमानपत्तन पर यातायात

522. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों पर "प्रयोक्ता शुल्क" लगाने के बाद से कालीकट

विमानपत्तन से उड़ान भरने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) यातायात के रुख के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचना अभी बहुत जल्दी होगा। क्योंकि कालीकट हवाई अड्डे पर "उपभोक्ता प्रभार" अभी हाल ही में लगाये गये थे।

शस्त्र और स्वापक पदार्थों की तस्करी

523. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सीमा पर सीमा पार से शस्त्रों और स्वापक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर सीमा पर तस्करी रोकने के लिये सरकार किन ठोस उपायों को लागू करने का प्रस्ताव रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दक्षेस देशों को सीमा शुल्क संबंधी छूट

524. डा० रमेश चन्द तोमर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ के देशों को सीमा शुल्क में छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) दक्षेस सदस्य देशों द्वारा सहायता के पहले दौर की वार्ता के दौरान सम्मत मूल सीमा शुल्क रियायतों को लागू करने के साथ ही दक्षेस अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (साप्ता) 7 दिसम्बर, 1995 को चालू हो गई। भारत ने दिनांक 7 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना सं० 165/95-सीमाशुल्क के द्वारा 106 छः अंकीय टेरिफ दरों (लाइनों) के आधार पर मूल सीमाशुल्क रियायतें उपलब्ध कराई हैं। उक्त अधिसूचना की प्रति लोक सभा के पटल पर 7 दिसम्बर, 1995 को रखी गयी थी।

विभिन्न वस्तुओं के निर्यात संबंधी नीति

525. श्री महेश कनोडिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नई लघु अवधि नीति घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को लागू करने के परिणामस्वरूप निर्यात में कितनी वृद्धि होगी और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और किन-किन देशों के साथ निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) वाणिज्य मंत्रालय में वर्तमान प्रमुख उत्पादों/समूहों तथा 15 देशों एवं 10 उभरते हुए बाजारों तथा उत्पादों की भी पहचान की है तथा मध्यम अवधि की निर्यात रणनीति के रूप में उन पर निर्यात प्रयास केन्द्रित करने का निर्णय लिया है। सरकार, अगले पांच वर्षों में अमरीकी डालर के रूप में कम से कम 20% वार्षिक निर्यात वृद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रही है जिससे कि सन् 2000 तक 75 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। निर्यात आयात नीति के बारे में सरकार ने पांच वर्षीय एक्जिम नीति (1992-97) की घोषणा की है जिसे प्रति वर्ष अद्यतन बनाया जाता है ताकि वृद्धि को निरंतर गति मिल सके और उक्त निर्यात वृद्धि में भाग लेने तथा लाभान्वित होने के लिए घरेलू क्षेत्र को अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जा सकें।

[अनुवाद]

बदली कामगार

526. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई (महाराष्ट्र) में एन०टी०सी की वस्त्र मिलों तथा अन्य वस्त्र मिलो में भारी संख्या में श्रमिक बदली कामगारों के रूप में कार्य कर रहे है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त श्रमिक कितने समय के बदली कामगारों के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या इन बदली कामगारों को वहां नियमित श्रमिकों का दर्जा देने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (च) वस्त्र उद्योग में बदली कामगारों की संख्या स्थायी कामगारों की पूर्ण संख्या का 20 से 30 प्रतिशत के बीच होना अनुमानित है। जहां तक एन०टी०सी० का सवाल है, लगभग 3800 बदली कामगार मुम्बई स्थित एन०टी०सी० के अधीन मिलों में नियुक्त है। बदली कामगार वस्त्र उद्योग में शुरू से ही व्यावहारिक रूप से नामावली पर रहे हैं। जब कभी भी सहज वियोजन या त्यागपत्र के कारण स्थायी पद खाली होते हैं, बदली कामगारों को वरीयता तथा अन्य कारकों के आधार पर स्थायी पर दिया जाता है। फिलहाल, एन०टी०सी० इस बात का ध्यान रखते हुए कि पहले से अत्याधिक जनशक्ति है तथा एन०टी०सी० स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को क्रियान्वित कर रहा है, कामगारों को नियमित नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त एन०टी०सी० की मिलों में नयी नियुक्ति पर रोक लगा दी गयी है।

दिल्ली तथा बीजिंग के बीच वायु सेवा

527. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत कुछ वर्षों के दौरान भारत तथा चीन के मध्य व्यापार तथा यात्री यातायात में होने वाली वृद्धि के कारण दिल्ली तथा बीजिंग के बीच वायु सेवा शुरू करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) भारत और चीन के बीच सीधा यातायात इस समय एक छोर से दूसरे छोर तक की सेवा के पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, सीधे हवाई सम्पर्क की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

विजयवाड़ा विमानपत्तन का विस्तार

528. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री राम्कृष्ण कोंताला :

क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार विजयवाड़ा विमानपत्तन का विस्तार करने का है और इसके लिए "राइट्स" से आकलन तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस विमानपत्तन के विकास हेतु 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की अपनी पेशकश की पुनः पुष्टि की है;

(घ) यदि हां, तो कार्य प्रारंभ होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) कार्य शुरू करने हेतु निविदाएं कब तक आमंत्रित किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) निम्नलिखित निर्माण कार्यों को क्रमिक रूप से शुरू करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुमान तैयार किये जा रहे हैं :—

(1) मौजूदा धावनपथ को बोइंग विमान के प्रचालन के लिए सुदृढ़ करना।

(2) एप्रन और टैक्सीट्रैक को चौड़ा करना तथा सुदृढ़ करना।

(3) नए टर्मिनल भवन का निर्माण करना।

(4) अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास की व्यवस्था करना।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने इस हवाई अड्डे के विकास के लिए 8 करोड़ रुपए की पेशकश की पुनः पुष्टि की है।

(घ) और (ङ) यातायात की अल्प गहनता के कारण और इस हवाई अड्डे के लिए प्रचालन करने के संबंध में विमान कम्पनियों की परिणामी अरूचि के कारण इस कार्य को 1994 में छोड़ दिया गया था। उक्त प्रस्ताव को पुनः प्रवर्तित किया गया है और दिसम्बर, 1996 तक इस काम के लिए निविदाएं मंगाए जाने की आशा है।

दृश्य-श्रव्य सामग्रियों पर व्यापार समझौता

529. श्री रूपचन्द्र पाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के तहत दृश्य-श्रव्य सामग्रियों के विषय में किसी देश के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यटन कार्यालयों पर व्यय

530. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गोतम :

क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में कार्य कर रहे पर्यटन कार्यालयों पर रख-रखाव संबंधी व्यय पर खर्च की गई धनराशि का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इनमें से कुछ कार्यालयों को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) कार्यालयों की अवस्थिति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान पर्यटन विभाग के अधीन विदेशों में स्थिति पर्यटक कार्यालयों की स्थापना पर किया गया खर्च।

कार्य स्थल का नाम	देश का नाम	अवस्थिति	अवधि के दौरान किया गया खर्च (रु० लाखों में)		
			1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
अमरीका	यू०एस०ए०	न्यूयार्क	164.18	158.69	153.46
		लास एंजेलस	37.38	33.68	38.69

1	2	3	4	5	6
		टोरोंटो	31.64	29.68	33.19
यूनाइटिड किंगडम	यूनाइटिड किंगडम	लंदन	94.98	95.96	100.89
यूरोप	स्विटरजरलैंड	जेनेवा	48.72	47.11	52.75
	फ्रांस	पैरिस	102.35	122.50	131.89
	जर्मनी	फ्रेंकफर्ट	102.47	148.83	164.79
	स्वीडन	स्टाकहोम	42.04	34.13	49.51
	स्पेन	मैड्रीड	16.07	16.44	17.61
	ईटली	मिलान	35.83	37.17	42.64
	नीदरलैंड	ऐमस्टर्डम	68.95	63.62	68.21
आस्ट्रलेशिया	आस्ट्रेलिया	सिडनी	73.55	77.56	70.05
	सिंगापुर	सिंगापुर	44.29	54.06	73.49
	मलेशिया	कुआलालम्पुर	20.25	17.64	21.05
पूर्वीएशिया	जापान	टोकिया	77.92	95.37	104.23
	थाइलैंड	बैंकाक	12.73	16.79	17.39
पश्चिमी एशिया	यू०ए०ई०	दुबई	39.08	53.93	65.51
		बहरीन	7.84	9.74	11.59

पर्यटकों के लिए शिकायत प्रकोष्ठ

531. श्री लाल बाबू राय : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान सरकार को उन पर्यटकों की राज्य-वार कितनी शिकायतें राज्यवार प्राप्त हुई जो यात्रा एजेंटों, यात्रा संचालकों, होटल स्वामियों और व्यापारियों के दुर्व्यवहार के शिकार बने;

(ख) ऐसी शिकायतों के निवारण की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या ऐसी शिकायतों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार ऐसी शिकायतों को निपटाने के लिए कोई प्रकोष्ठ बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) गत वर्ष के दौरान पर्यटन विभाग को 117 शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें से अधिकतर विदेशी पर्यटकों से हैं और उनका राज्य-वार आबंटन नहीं किया जा सकता।

(ख) शिकायतों का निवारण करना एक सतत् प्रक्रिया है और रागी स्वीकार कर ली गई हैं तथा इन पर सीधे ही अथवा संबंधित विभागों के माध्यम से जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है।

(ग) और (घ) इस प्रकार की शिकायतों पर निपटान के लिए पर्यटन विभाग में एक छोटा-सा सेल बनाया गया है।

रसायन उत्पादक कम्पनियों को बैंक ऋण

532. श्री रामश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रसायन उत्पादक कम्पनियों को ऋण देती है;

(ख) यदि हां, तो देश में, विशेषतः बिहार में, गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी कम्पनियों को बैंक ऋण दिए गए;

(ग) क्या इन कम्पनियों को तीन महीनों के अंदर कार्य पूंजी देकर सहायता करने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निर्धारित समय-सीमा में कितनी कंपनियों को कार्य पूंजी दी गई है;

(ङ) क्या इन कम्पनियों को पूंजी/वित्त सहायता सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी व्यवस्था तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) रसायनों का निर्माण करने और रसायन का उत्पाद करने वाली इकाइयों सहित औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक बैंक ऋण प्रदान करते हैं और कार्यशील पूंजी अग्रिम प्रदान करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध तिमाही आंकड़ों के आधार पर, रसायनों का निर्माण और रसायन का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली से 5 करोड़ रुपए और इससे अधिक की कुल ऋण सीमाएं प्राप्त ऋणकर्ताओं के संबंध में सितम्बर 1992,1993 और 1994 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, मंजूर की गई सीमायें और उसकी बकाया राशि नीचे दी गई है :

	ऋणकर्ताओं की संख्या	मंजूर की गई सीमायें (करोड़ रुपए)	बकाया सीमायें (करोड़ रुपए)
सितम्बर 1992	189	5,566	4,040
सितम्बर 1993	213	7,453	4,451
सितम्बर 1994	238	9,117	4,764

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों में ऋण. आवेदनों/प्रस्तावों की जांच करने की अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक को रसायनों का निर्माण और रसायन का उत्पादन करने वली इकाइयों के इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि उनके ऋण आवेदनों/प्रस्तावों की जांच करने में विलम्ब हुआ है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऐसी सूचना-प्राप्त नहीं होती है।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी वर्तमान निगरानी प्रणाली सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह की समीक्षा करती है।

देवनहल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

533. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बंगलौर के समीप देवनहल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के लिए येलाहंका स्थित भारतीय वायुसेना हवाई अड्डे का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित् हवाई अड्डे का निर्माण कार्य टाटा समूह को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सरकारी नियंत्रण का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने कर्नाटक में बंगलौर में निजी पार्टियों की सहायता से अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के निर्माण के सम्बन्ध में अपनी अनापत्ति दे दी है। कर्नाटक सरकार ने टाटा उद्योग के नेतृत्व में एक कन्सोर्टियम का चयन किया है जो स्वयं बनाओं स्वयं प्रचालित करो" आधार पर इस परियोजना के निर्माण का कार्य शुरू करेगा। हवाई यातायात प्रबन्ध सहित नियामक कार्यों का वहन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/नागर विमानन महानिदेशक द्वारा दिया जायेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा।

स्वर्ण मूल्य

534. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री तारा सिंह :
श्री जनार्दन सिंह :
श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्वर्ण मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का स्वर्ण मूल्यों में वृद्धि को रोकने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्तव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सोने के स्वदेशी मूल्य में हाल के महीनों में वृद्धि होती रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार पिछलें छः महीनों के दौरान बम्बई बाजार में सोने का मासिक औसत मूल्य निम्न प्रकार था :–

सोने का मासिक औसत मूल्य

(रुपए प्रति 10 ग्राम)

मास/वर्ष	बम्बई
सितम्बर, 1995	4777
अक्तूबर, 1995	4956
नवम्बर, 1995	5039
दिसम्बर, 1995	5058
जनवरी, 1996	5301
फरवरी 1996*	5541

* (15 फरवरी, 1996 तक औसत)

चूंकि सोने का स्वदेशी उत्पादन मांग की तुलना में नाममात्र का है इसलिए भारत में सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से प्रभावित होता है। भारत में सोने के मूल्य में वर्तमान वृद्धि के मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में बढ़ोत्तरी, अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विदेशी विनिमय दर में अवमूल्यन और शादियों के मौसम की वजह से अधिक मांग हैं।

(ग) और (च) देश में सोने के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में सोना आयात को उदार नीति के अन्तर्गत भारत में वापिस आने वाले भारतीय यात्रियों को सीमा शुल्क की अदायगी पर 4 कि०ग्रा० तक सोना आयात करने की अनुमति और विशेष आयात लाईसेंसों के अधीन सोने के आयात की अनुमति प्रदान करना शामिल है।

[हिन्दी]

तम्बाकू बोर्ड द्वारा बीड़ी तम्बाकू उत्पादन का मूल्यांकन

535. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों विशेष रूप से गुजरात में किए जा रहे बीड़ी तम्बाकू के उत्पादन की मात्रा का कोई मूल्याकंन कराया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषरूप से गुजरात में कितनी मात्रा में बीड़ी तम्बाकू का वार्षिक उत्पादन होता है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तम्बाकू विकास महानिदेशालय, मद्रास से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1994-95 के दौरान भारत में करीब 184.5 मिलियन कि०ग्रा० बीड़ी तम्बाकू का उत्पादन हुआ, जिसमें से करीब 148 मिलियन कि०ग्रा० का उत्पादन गुजरात राज्य में हुआ।

[अनुवाद]

जाली शेयर सर्टिफिकेट

536. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री चित्त बसु :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री श्रीकान्त जेना :
डा० एस०पी० यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिलाइंस उद्योग और कुछ अन्य कंपनियों द्वारा जाली शेयर सर्टिफिकेट छापने से संबंधित मामलों की जांच पूरी करा ली है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच निरीक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड कंपनी कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर रिलाएंस इंडस्ट्रीज़ लि० के डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों के निर्गमन के संबंध में मैसर्स रिलाएंस कन्सलटैन्सी सर्विसेज़ लि०(आर०सी०एस०) की बहियों, रिकार्डों और अन्य संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करता रहा है। इस निरीक्षण की अंतरिम रिपोर्ट 12.1.1996 को प्रस्तुत की गई है। यह निरीक्षण अभी भी जारी है।

(ख) अंतरिम रिपोर्ट में यथानिहित निरीक्षण के मुख्य निष्कर्ष अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने रिलाएंस कन्सलटैन्सी सविसेज़ लि० को "कारण बताओं" नोटिस जारी करने के प्रयोजन से "इश्यू के पंजीयक तथा शेयर अंतरण अभिकर्ताओं संबंधी विनियमों के तहत एक जांच अधिकारी को हाल ही में नियुक्त किया है। कंपनी और उसके पंजीयक में दूरी बनाए रखने की व्यवस्था करने के लिए यह इन विनियमों में संशोधन किए जाने की वांछनीयता की भी जांच कर रहा है। कंपनी कार्य विभाग ने भी अंतरिम रिपोर्ट में निहित निष्कर्षों पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई आरंभ कर दी है।

(I) अंतरिम रिपोर्ट से पता चला है कि कुछ डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र तब निर्गमित किए गए थे जबकि मूल्य मूल शेयर प्रमाणपत्र अस्तित्व में थे और रिलायंस कंसलटेन्सी सर्विसेज़ की इस तथ्य की जानकारी थी।

(II) निरीक्षण रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि कंपनी अधिनियम की धारा 113 के उपबंधों का उल्लंघन भी किया गया होगा।

(III) अंतरिम निरीक्षण रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि कंपनी ने सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टियों में परिवर्तन किया है जिससे उसमें हेरफेर हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी अधिनियम की धारा (1) (4) (क) के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क की दरें

537. **श्री राम पाल सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सीमा शुल्क की दरों में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये संशोधित दरें कब से प्रभावी होंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सीमा शुल्क की दरों में कभी-कभी छूट प्रदायी अधिसूचाओं के जरिए संशोधन किया जाता है, जिन्हें प्रत्येक मामले में संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों और जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है। तथापि, शुल्क दरों में संशोधन टैरिफ दरों के भीतर किए जाते हैं और व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित अधिसूचनाओं की प्रतियां दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती हैं।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालय

535. **श्री हरिन पाठक** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार कार्यालय को कुशल कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए हाल में कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को दिशानिर्देश जारी किया हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) रोजगार कार्यालय अपनी-अपनी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। इन कर्यालयों के मुख्य कार्य-कलाप नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण करना तथा उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करना है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियम पुस्तिका (एन०ई०एस०एम०) में रोजगार कार्यालयों के प्रचालन हेतु सामान्य नीतियों तथा मानक व प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित की गई सामान्य नीतियों तथा मानक प्रक्रियाओं का अनुपालन, सभी रोजगार कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है; नमूने के आधार पर उनका संयुक्त मूल्यांकन केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता

539. **श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की क्या परिभाषा है;

(ख) क्या रुपए को पूरी तरह परिवर्तनीय बनाने की निरंतर मांग की जाती रही है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या नीति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय है यदि निवासी और अनिवासी, दोनों को इसे प्रयोग करने और किसी निश्चित विनियम दर पर, जो स्थिर या लचीली हो सकती है, किसी उद्देश्य हेतु विदेशी मुद्राओं से विनियम करने की छूट हो।

(ख) रुपए को पूर्णतः परिवर्तनीय बनाने के सरकार के इरादे और समय के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में पूछताछ की आई है।

(ग) भुगतान संतुलन के चालू खाते पर रुपए को परिवर्तनीय बनाया गया है। पूंजीगत खाते की कुछ संघटक मदें उल्लेखनीय रूप से विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेशों को प्रत्यावर्तनीय प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है।

बकाया हवाई यात्रा कर

540. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री तारा सिंह :

क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 1996 की निजी विमान कम्पनियों/एयर टैक्सी आपरेटरों के विरुद्ध अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर की कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या सरकार ने इन चूककर्ताओं के विरुद्ध और बकाया धनराशि की वूसली हेतु कठोर कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर नियम, 1989 के प्रावधानों के अधीन दंड लगाने, विमान को रोक लेने आदि जैसी कड़ी कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्र०सं०	विमान कम्पनी का नाम	31 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर की बकाया राशि	कैफियत
1	2	3	4
			(लाख रुपयों में)
1.	मैसर्स राज एविएशन प्रा०लि०	46.64	एयरलाइन प्रचालन में नहीं है।
2.	मैसर्स सिटी लिंक एयरवेज़	60.15	एयरलाइन प्रचालन में नहीं है।
3.	मैसर्स एयर एशियाटिक लि०	57.58	एयरलाइन प्रचालन में नहीं है।
4.	मैसर्स कन्टीनेनटल एविएशन प्रा०लि०	74.88	एयरलाइन प्रचालन में नहीं हैं।
5.	मैसर्स गोआ एयरवेज एविएशन	05.30	
6.	मैसर्स जैकसन एयरलाइन्स	26.58	22.95 लाख रुपए की राशि हाल ही में जमा कराई गई है।
7.	मैसर्स दमानिया एयरलाइन्स	625.17	सम्पूर्ण राशि अब जमा करा दी गयी है।
8.	मैसर्स यू०पी० एयरवेज़ लि०	26.08	सम्पूर्ण राशि अब जमा करा दी गई है।
9.	मैसर्स स्पेन एविएशन (आई०) प्रा०लि०	18.53	विमान कम्पनी ने 7.02 लाख रुपए की राशि अब जमा करा दी गयी है।
10.	मैसर्स एन०ई०पी०सी० एयरलाइन्स	241.599	सम्पूर्ण राशि अब जमा करा दी गई है।
11.	मैसर्स मोदी लुफ्थ	1221.62	सम्पूर्ण राशि अब जमा करा दी है।
12.	मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयलाइन्स	282.64	सम्पूर्ण राशि अब जमा करा दी है।
13.	मैसर्स वी०आई०एफ० एयरवेज़ लि०	08.00	

1	2	3	4
14.	मैसर्स के०सी०बी० एयरवेज		राशि का निर्धारित नहीं किया जा सका है क्योंकि विमान कम्पनी ने जून, 1995 से दिसम्बर, 1995 की अवधि के लिए रिर्टन दाखिल नहीं की है।
15.	मैसर्स मैस्को एयरलाइन्स लि०	01.77	सम्पूर्ण राशि अब जमा करा दी है।
16.	मैसर्स गुजरात एयरवेज	05.20	सम्पूर्ण राशि अब जमा करा दी है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

541. श्री काशीराम राणा :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले विदेशी निवेश की दर निरंतर कम होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा रियायती टिकट

542. श्री राम कृपाल यादव : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयलाइंस रियायती दरों के टिकट प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार कुल कितनी धनराशि की रियायती टिकटें प्रदान की गई हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय लागू विशेष किरायों का विवरण संलग्न है।

(ग) विभिन्न रियायतों के मूल्य का इंडियन एयरलाइंस द्वारा अनुमान नहीं लगाया गया है।

विवरण

	विशेष किराया-अतर्देशीय
1. सशस्त्र सेना छूट	किराये पे 50% छूट
2. रिजर्व इंजीनियरिंग बल के कार्मिक	किराये पे 50% छूट
3. युद्ध में विकलांग व्यक्ति	किराये पे 50% छूट
4. सशस्त्र सेना के भूतपूर्व कार्मिक जो बहादूरी पुरस्कार (स्तर 1 और 2) के प्राप्तकर्ता हैं	किराये पे 50% छूट
5. युद्ध में हुई विधवाओं को छूट	किराये पे 50% छूट
6. विद्यार्थी छूट (अंतर्देशीय)	किराये पे 50% छूट
7. शिक्षकों के लिए छूट	किराये पे 50% छूट जब दस विद्यार्थियों के समूह के साथ हों।
8. युवक छूट	अंतर्देशीय डालर टैरिफ पे 25% छूट
9. अंधे व्यक्तियों के लिए छूट	किराये पे 50% छूट
10. कैंसर रोगियों को छूट	किराये पे 50% छूट
11. स्ट्रचर पर जाने वाले यात्री	विमान के प्रकार तथा स्ट्रैचर लगाने के लिए हटाई गई सीटों की संख्या (6 से 9 के बीच) के आधार पर 50% से 66% रियायत
12. पोर्ट ब्लेयर सैक्टर पर पारिवारिक छूट	एक परिवार के दो सदस्यों के लिए प्रत्यक को 50/- रुपये की छूट
13. टूर कंडक्टरों के लिए छूट	10 से 14 तक के समूह के लिए 50% छूट तथा 15 या उससे अधिक यात्रियों के समूह के लिए 100 प्रतिशत छूट
14. वयोवृद्ध नागरिक छूट	किराये पे 50% छूट

15. खिलाड़ियों के लिए रियायत	उत्तर पूर्वी राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए किराये में 25 प्रतिशत छूट
16. दक्षिण भारत भ्रमण किराया	अंतदेशीय डालर टैरिफ पे 30% छूट
17. जहाज कर्मीदल छूट (व्यक्तिगत)	अंतर्देशीय डालर टैरिफ पे 25% छूट
18. एयलाइन/आई०ए०टी०ए० कर्मचारी छूट	अंतर्देशीय डालर टैरिफ पे 50% छूट
19. इंडिया बंडर किराया	किराया: उत्तरी/पश्चिमी/दक्षिण/पूर्वी क्षेत्रों के चारों में से किसी एक समूह के स्टेशनों में से किन्हीं एक पर यात्रा करने के लिए प्रत्येक को 200 अमरीकी डालर किराया: दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्रों के स्टेशनों के समूह के यात्रा क्रम में पोर्ट ब्लेयर सहित किसी जगह में यात्रा करने पर किराया 300 अमरीकी डालर

विशेष किराया-अंतर्राष्ट्रीय

1. विद्यार्थी रियायत (अंतर्राष्ट्रीय)	दक्षिण एशियाई उप महाद्वीप में अंतराष्ट्रीय सैक्टरों पर किराये में 25% रियायत
2. भारतीय मिशन के कर्मचारियों के लिए विशेष किराया	सामान्य अंतर्राष्ट्रीय किराये में 40% रियायत
3. भारत नेपाल सेक्टर पर गोरखा रक्षा कार्मिकों के लिए विशेष किराया	सामान्य रुपए किराए पे 40% रियायत
4. सामान्य हित समूह रियायत	अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों तथा उसे जोड़ने वाली अंतर्देशीय सेक्टरों पर सामान्य इकानामी श्रेणी में किराये में 10% रियायत
5. जहाज कर्मीदल छूट (समूह)	सामान्य अंतर्राष्ट्रीय किराये तथा अंतर्देशीय अमरीकी डलार किराये के साथ संयुक्त रूप से (यात्रा के देश पर निर्भर करके) 44-45% रियायत)
6. सार्क देशों में भ्रमण किराया	
(1) व्यक्तिगत	सामान्य अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर किराये पर 20% रियायत
(2) समूह	सामान्य अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर किराये पर 30% रियायत
7. क्षेत्र से बाहर विक्रय के लिए सार्क के देशों में समूह भ्रमण किराया	सामान्य अंतर्राष्ट्रहय सेक्टर किराये पर 30% रियायत
8. सामान्य विक्रय एजेंट कर्मचारियों के लिए निःशुल्क/घटाया हुआ किराया	अंतर्राष्ट्रीय स्टेशनों पर इंडियन एयरलाइंस के केन्द्रीय विक्रय एजेंटों के लिए दो निःशुल्क तथा दो 90% रियायती टिकट प्रति वर्ष

विमानों की कमी

543. श्री तारा सिंह :
श्री फूलचन्द्र वर्मा :
डा० के०वी०आर० चौधरी :

क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बेडे में विमानों की कमी है;

(ख) क्या विमानों की कमी के कारण उक्त विमान कंपनियां यात्रियों को ले जाने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने नए विमान खरीदने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इन नए विमानों को किन-किन देशों से कितनी-कितनी कीमतों पर खरीदें जाने का प्रस्ताव है और इन विमानों को कब तक खरीदे जाने की संभावना है;

(ड) इन विमानों की खरीद के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(च) इन विमानों की खरीद के लिए सरकार किस प्रकार धनराशि जुटायेंगी?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (च) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पास मौजूदा अनुसूचित प्रचालनों के लिए फिलहाल पर्याप्त संख्या में विमान हैं।

बाल श्रमिक

544. श्री चित्त बसु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों के लिये अब तक कोई कल्याण योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना एवं इसे कार्यान्वित करने वाले तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्यवन हेतु धन की व्यवस्था संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं (एन०सी०एल०पी०एस०) बाल श्रम को बहुलता वाले राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा एक प्रमुख क्रियाकलाप रोजगार से हटाए गए बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार आदि मुहैया कराना है। बाल श्रम उन्मूलन के कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री द्वारा 15.8.94 को जोखिमकारी व्यवसायों से सन् 2000 ई० तक बाल श्रम उन्मूलन की घोषणा किए जाने के पश्चात, और अधिक ध्यान दिया गया है।

आज की तारीख के अनुसार 2,200 से अधिक विशेष विद्यालयों के अन्तर्गत 1.36 लाख बच्चों को शामिल करने के लिए 70 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को निधियां निर्गत की गई हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को भारत सरकार सम्पूर्ण निधि प्रदान करती है और ये जिलाधीशों को अध्यक्षमता वाली जिला स्तर को परियोजना समितियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। ये विशेष विद्यालय अधिकांशतः गैर-सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों के लिए सामुहिक बीमा योजना

545. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बीड़ी कामगारों में सामूहिक बीमा की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीड़ी उद्योग को सामूहिक बीमा सुविधायें प्रदान के उद्देश्य से उनके मंत्रालय और जीवन बीमा निगम द्वारा कुछ समय पूर्व एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(घ) यदि हां तो कार्यशाला में भाग लेने वालों और उसमें दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कार्यशाला में दिये गये सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) बीड़ी उत्पादक राज्यों में बीड़ी कामगारों के लिये सामूहिक बीमा योजना कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (च) बीड़ी कर्मकारों के बीच समूह बीमा योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। बीड़ी कर्मकारों के लिए समूह बीमा योजना जो 1.4.1992 से प्रचालन में है के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए और योजना को लोकप्रिय बनाने ताकि इसके लाभ उन श्रमिकों तक पहुंच सकें जो दूर-दूर तक फैले हुए हैं के लिए समुचित उपाय अभिकल्पित करने के लिए नई दिल्ली में 16 मई, 1995 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में श्रम मंत्रालय के अधिकारियों, कल्याण आयुक्तों, जीवन बीमा निगम और संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में योजना के बारे में पर्याप्त जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रयासों अन्य उपायों में तेजी लाने तथा राज्य श्रम विभागों, प्रचायती राज्य संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसाय संघों नियोजकों/ठेकेदारों, महिला मण्डलों, श्रमिक सहकारी समितियों और अन्य सामाजिक संगठनों को शामिल करके इसकी परिव्याप्ति को व्यापक बनाने के लिए भी सिफारिश की गई। कार्यशाला में योजना के अन्तर्गत लाभ की मात्रा स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 3,000/-रु० से बढ़ाकर 5,000/-रु० और दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के मामले में 5,000/-रु० से बढ़ाकर 10,000/-रु० करने की सलाह भी दी गई। चूंकि कार्यशाला में की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों को मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम, कल्याण आयुक्तों और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है, इसलिए इन्हें आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उनको अग्रेषित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निवेश

546. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड के सुझाव के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को गैर-एस०एल० आर निधि के विनिवेश के लिए प्रतिभूतियों आदि को मंजूरी दे दी है; और

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपनी अधिशेष निधि का किन-किन क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है और इन बैंकों द्वारा विभिन्न एजेंसियों से उस पर कितनी ब्याज दर ली जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर०आर०बी०) के अपने गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निधियों को निम्नानुसार कतिपय निवेश के मामलों में निवेश करने की अनुमति दी है :–

(I) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू०टी०आई०) की अनुमोदित योजनाएं (II) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई०) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) जैसी लाभ कमाने वाली मीयादी ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं में सावधि जमा (III) राष्ट्रीयकृत बैंकों और प्रायोजक बैंकों की अनुमोदित सूची में शामिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा शीर्ष श्रेणी में वर्गीकृत लाभ कमाने वाली सरकारी क्षेत्र की संस्था के बाण्ड (IV) प्रतिष्ठित विश्वसनीय कम्पनियों के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर। अधिशेष गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निधियों पर प्रतिफल निवेश पोर्टफोलियो के संघटन और विभिन्न लिखितों पर दी गई दरों पर निर्भर करेगा।

एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस के बीच कनिष्ठ समन्वय

547. डा० रामकृष्ण कुसमारिया : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बीच अपने संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करने और उडान सेवाओं में पुनरावृत्ति से बचने के लिए घनिष्ठ समन्वय को बढ़वा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों एयरलाइनों को उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके और दोनों कंपनियों द्वारा संयुक्त प्रयासों से अवसरों का पूरा लाभ उठाया जा सके, दोनों कंपनियों

के निदेशक मंडलों में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बीच तालमेल सहयोग के लिए उपसमितियों का गठन किया हैं बोर्डो को दो सदस्यीय उप समिति ने दोनों एयरलाइनों के बीच सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया है :–

(1) कोड शेयरिंग व्यवस्था।

(2) दोनों एयरलाइनों के पास अनुरक्षण और ओवरहाल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग।

[हिन्दी]

वस्तु विनिमय व्यापार

548. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किन-किन देशों के साथ वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात और आयात की गई मदों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की व्यापार प्रणाली से घरेलू उद्योगों को सहायता और बढ़ावा मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो निर्यात क्षमता वाले देशों के साथ वस्तु विनिमय व्यापार के संबंध में चर्चा शुरू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत ने किसी भी देश के साथ कोई वस्तु विनियम व्यापार नहीं किया है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

गुजरात में कपड़ा मिलें

549. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अक्तूबर 1991 तक एन०टी०सी०, राज्य वस्त्र निगम तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कपड़ा मिलों की अलग-अलग संख्या कितनी है और इनकी उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इन मिलों की उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) अक्टूबर, 1991 से अक्टूबर, 1995 तक की अवधि के दौरान सरकार ने एन०टी०सी० (गुजरात) लि० को 152.95 करोड़ रु० (कार्यशील पूंजी के लिए 94.47 करोड़ रु० तथा स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के लिए 58.48 करोड़ रु०) की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की है। केन्द्रीय सरकार ने इस अवधि के दौरान मिलों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र अथवा राज्य वस्त्र निगम को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। तथापि, मिलें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त करती हैं। भारत सरकार ने वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 1986 में योजना के लागू होने से लेकर 31.10.1995 तक की स्थिति के अनुसार गुजरात में मिलों को 61.86 करोड़ रु० की राशि की सहायता प्रदान की है।

विवरण

अक्टूबर, 1991 और अक्टूबर, 1995 तक की स्थिति अनुसार गुजरात में एन०टी०सी०, एस०टी०सी० और निजी क्षेत्र के अंतर्गत वस्त्र मिलों की संख्या तथा उनकी उत्पादन क्षमता नीचे दी गई है :–

31.10.1991 तक की स्थिति

क्षेत्र	मिलों की सं०	उत्पादन क्षमता		
		तकुओं की सं०	रोटर्स की सं०	करघों की सं०
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र	86	29,96,195	7480	41,061
एन०टी०सी०	12	3,57,384	—	7,269
एस०टी०सी०	17	5,90,280	—	10,874
31.10.95 तक की स्थिति				
निजी क्षेत्र	97	30,82,134	17400	32,067
एन०टी०सी०	12	3,07,650	—	5,895
एस०टी०सी०	16	5,36,656	—	9,643

[अनुवाद]

राजस्थान से निर्यात

550. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान से निर्यात बढ़ाने के संबंध में कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) पर्याप्त अवस्थापनात्मक तथा निवेश संबंधी सहायता के द्वारा राज्यों से निर्यात तथा निर्यात-उत्पादन बढ़ाने के लिए राजस्थान सहित सभी राज्य सरकारों का सक्रिय समर्थन मांगा गया है। राज्यों में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों (ई०पी०आई०पी०) की स्थापना के लिए केन्द्र ने एक योजना शुरू की है जो कि निर्यात उत्पादन के उत्कृष्ट इनक्लेव होंगे। इस योजना के अन्तर्गत, सीतापुर जिला-जयपुर, राजस्थान में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। केन्द्र अवस्थापना तथा राज्यों से निर्यात माल की निकासी और परिवहन को सुकर बनाने में लगातार सुधार भी कर रहा है। इन प्रयासों में वायु कार्गो काम्पलेक्सों इनलैंड कंटेनर डिपों तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशनों की स्थापना इत्यादि शामिल हैं।

कपास का निर्यात

551. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का इस वर्ष 4 लाख गांठों से भी अधिक कपास के निर्यात का विचार है;

(ख) गत वर्ष कपास का कितनी मात्रा में उत्पादन और निर्यात हुआ और ये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में क्या हैं; और

(ग) कपास और सूती धागे के प्रस्तावित निर्यात पर कपास लाबी और ऐपारेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) 29.2.1996 तक की स्थिति के अनुसार सरकार ने कपास वर्ष 1995-96 के दौरान कपास की 9.15 लाख रुपयों का निर्यात कोटा रिलीज किया है।

(ख) कपास सलाहकार बोर्ड के अनुमान के अनुसार उत्पादित कपास की मात्रा तथा पिछले वर्ष निर्यातित कपास की मात्रा के आंकड़े और पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़े निम्नअनुसार हैं :—

(मात्रा लाख गांठ में-प्रत्येक गांठ 170 कि०ग्रा०)

	1994-95	1993-94
उत्पादन	138.50	121.50
निर्यात	1.80	3.89

(ग) कपास व्यापारियों ने निर्यात कोटे की रिलीज का स्वागत किया हैं वस्त्र उद्योग तथ व्यापार क्षेत्र ने भी मिली-जुली प्रतिक्रिया प्रकट की है। तथापि सरकार निर्यात संबंधी निर्णय लेने से पूर्व सभी संबंधित क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक प्रदत्त ऋण

552. **श्री लाइता उम्ब्रे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक गिराधार कारणों से आवेदकों को ऋण देने से इंकार करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में राज्य-वार प्रति वर्ष दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए प्रायोजक बैंक यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उन्हें बनावटी आधार पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अग्रिम नामंजूर करने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) मार्च, 1993, 1994 और 1995 के अन्त की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्यवार बैंक ऋण निम्नलिखित है :—

(लाख रुपए)

	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995
अरुणाचल प्रदेश	2758	2960	3646
असम	130058	131103	149487
मणिपुर	8865	9097	9865
मेघालय	7717	8395	10302
मिजोरम	2359	2411	2765
नागालैंड	9761	9762	10567
त्रिपुरा	19665	19719	22353

टसर अनुसंधान केन्द्र

553. **श्री एन०जे० राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में टसर अनुसंधान केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह केन्द्र कब तक खुल जाएगा ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) इस समय सरकार का गुजरात में टसर अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रीमियम वाले शेयर

554. **श्री चेतन पी०एस०चौहान :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रीमियम पर इक्विटी शेयर जारी करने वाली निजी तथा सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों की संख्या कितनी है;

(ख) "निर्धारित प्रीमियम" की राशि क्या है तथा प्रत्येक मामले में कुल कितनी धनराशि एकत्र की गयी है;

(ग) क्या इन कम्पनियों के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट के परिणामस्वरूप नियोजकों को काफी हानि उठानी पड़ी है;

(घ) क्या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रीमियम निर्धारित करने और इन पर निगरानी रखने हेतु कोई मानदंड है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), जो कि पूंजी बाजार के लिए सांविधिक विनियामक निकाय है, ने पूंजी निर्गमों को नियंत्रित करने वाले प्रकटन एवं निवेशक सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों और पिछले 3 वर्षों तक निरन्तर लाभदायकता का रिकार्ड रखने वाली गैर-सूचीबद्ध कंपनियों अथवा पिछले 5 वर्षों तक निरन्तर लाभदायकता का रिकार्ड रखने वाली कंपनियों द्वारा संबद्धित कंपनियों को ही अधिमूल्य पर पूंजी निर्गत करने की अनुमति दी जाती है।

स्टाक इन्वेस्ट योजना की जांच

555. श्री जीवन शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्टाक एक्सचेंज ने शेयरों के भाव को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए स्टाक इंवेस्ट योजना के कथित रूप से दुरूपयोग के मामले में जांच आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस जांच के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दिल्ली स्टाक एक्सचेंजों ने गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा कथित शेयरों के भाव में कृत्रिम वृद्धि के कथित मामले में विस्तृत जांच करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) को भी आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और "सेबी" द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन ने सूचित किया है कि मैसर्स भारत फ्यूल कंपनी लि० और मैसर्स सुपर काम्पैक्ट डिस्क लि० द्वारा जारी किए गए शेयरों के पब्लिक इश्यू में शेयरों के आवंटन हेतु प्राप्त अनेकों आवेदनों में से कुछ की यदृच्छया जांच करते समय, स्टाक इन्वेस्ट के प्रयोग में कतिपय अनियमितताएं पाई गई हैं। स्टाक एक्सचेंज ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कंपनी कार्य विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान इन अनियमितताओं की ओर आकृष्ट किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रमिकों को पेंशन

556. श्री मंजय लाल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि कोष के गैर-सरकारी क्षेत्र के अंशदाताओं के लिये हाल ही में पेंशन योजना लागू की है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्षेत्र कारखानों के कुछ नियोक्ता श्रमिकों से संबंधित जाली रजिस्टर रखते हैं जिसके कारण श्रमिक पेंशन से वंचित हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने श्रमिकों के साथ धोखा-धड़ी करने के आरोप में नियोक्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि कर्मचारी पेंशन योजना केवल 16.11.1995 से ही प्राचलन में आयी है अतः नियोजकों द्वारा अनुलिपि रजिस्टर रखे जाने, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मकारों को पेंशन से वंचित रखा जा रहा हो, से संबंधित कोई सूचना नहीं है। अतः इस संबंध में सरकार द्वारा इस अवस्था में कोई कार्रवाई किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमान चालकों के लिए भर्ती तथा सेवा शर्तें

557. डा० के०पी०आर० चौधरी : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस प्रशिक्षु विमान चालकों के चयन के लिए अर्हता तथा आयु, आदि जैसे कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) उन्हें कितने दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है और एक विमान चालक प्रशिक्षण पर कितना खर्च आता है;

(ग) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा विमान चालकों को अलग-अलग कितना वेतन और भत्ता दिया जाता है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमान चालक कितनी वार हड़ताल पर गए; और

(ङ) उक्त अवधि में एयर लाइनों को अलग-अलग कितनी हानि हुई?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) आवश्यक ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) वैच के आधार पर निर्भर करते हुए प्रशिक्षु पायलट से सह-पायलट के प्रशिक्षण की अवधि इंडियन एयलाइंस में 8 से 12 महीने तक के बीच होती है तथा एयर इंडिया के मामले में 8 से 16 महीने तक के बीच। तथापि, विमानचालकों के एक प्रकार के विमान से दूसरे प्रकार में सह -विमानचालक से कमाण्डर में परिवर्तन में अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि लगती है। प्रशिक्षु विमानचालकों को प्रशिक्षण देने के लिए इंडियन एयलाइंस तथा एयर इंडिया द्वारा औसतन क्रमशः रुपए 15.40 लाख तथा रुपए 14 लाख व्यय किया जाता है।

(ग) आवश्यक ब्यौरे-संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) इंयिन एयरलाइंस के विमानचालक 1993 में दो बार, 1994 में दो वार तथा 1995 में चार वार हड़ताल पर गए। विगत तीन वर्षों के दौरान, एयर इंडिया के विमानचालक सितम्बर, 1993 में एक बार हड़ताल पर गए।

(ङ) इंडियन एयरलाइंस को 1992-93 में 195.16 करोड़ रुपये 1993-94 में 258.45 करोड़ रुपये तथा 1994-95 में 188.73 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। विगत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया ने प्रति वर्ष लाभ कमाया।

विवरण-I

	इंडियन एयरलाइंस	एयर इंडिया
शैक्षिक योगयाताएं	मैट्रीकुलेशन या उसके समकक्ष भौतिकी तथा गणित में स्नातक को प्रथमिकता	भारत के मानयताप्राप्त विश्व विद्यालय/बोर्ड से उच्च माध्यमिक (10+2) या समकक्ष परीक्षा। कम्प्यूटर की जानकारी सहित अतिरिक्त उड़ान का अनुभव प्राप्त विमान स्नातकों को प्राथमिकता।
तकनीकी योगताएं	(1) चालू वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस	(1) ट्विन इंजन प्रकार के विमान पर पृष्ठांकन के साथ चालू भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस
	(2) चालू उड़ान रेडियो टेलीफोन प्रचालक लाइसेंस	(2) चालू उड़ान रेडियो दूरभाष प्रचालक लाइसेंस।
	(3) चालू दक्षता/रेडियो टेलीफोन प्रतिबन्धित प्रमाण-पत्र।	(3) वायरलैस सलाहकार, भारत सरकार द्वारा जारी चालू दक्षता प्रमाण-पत्र।
	(4) उपस्कर रेटिंग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मोर्स टेस्ट (8 डब्ल्यू०पी०एम०) के साथ विमान पर 20 घंटे का वास्तविक उपस्कर उड़ान अनुंभव	(4) चालू उपस्कर रेटिंग प्रमाण-पत्र।
अधिकतम आयु सीमा	(1) 30 वर्ष (अ०जा०/अ०ज०जा० के मामले में 35 वर्ष)	सामान्य तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 वर्ष। अ०जा०/अ०ज०जा० अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट।
	(2) वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस के लिए 250 घंटे के उड़ान अनुभव की न्यूनतम आवश्यकता के अतिरिक्त 300 घंटे की उड़ान अनुभव पूरे कर चुके प्रत्येक के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट। यह छूट अधिकतम दो वर्ष के लिए है।	

इंडियन एयरलाइंस के प्रशिक्षु विमानचालकों की सेवा शर्तें

1. प्रशिक्षु को केन्द्रीय प्रशिक्षण स्थापना, हैदराबाद में और तैनाती स्थल पर प्रशिक्षण और प्रशिक्षु विमानचालक के रूप में आंकलन करना होता है।

2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में प्रशिक्षण पूरा करने पर, उसे उत्तरी/पूर्वी/पश्चिमी/दक्षिणी चारों क्षेत्रों में से कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है जहां उसे पुनः उडान प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

3. उनकी नियुक्ति इ०इ०जी०परीक्षण में चिकित्सा अधिकारी द्वारा उन्हें उपयुक्त घोषित किये जाने के आधार पर है।

4. प्रशिक्षण अवधि के दौरान, वह प्रति माह 6000/- का वजीफा पाने का अधिकारी होगा।

5. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने तथा नागर विमानन महानिदेशालय से आवश्यक इन्डोसमेंट और उपस्कर रेटिंग प्राप्त करने के बाद, उस समय लागू अन्तर महंगाई भत्ते सहित प्रतिमाह 770/-रुपए निश्चित वेतन पर सैकण्ड आफिसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

6. "सैंकेट अधिकारी" के रूप में उनकी तैनाती और फर्स्ट अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि के दौरान कार्य-निष्पादन के आधार पर होगी।

7. उन्हें प्रशिक्षण के दौरान कड़ा अनुशासन, सत्यनिष्ठा और बेहतर व्यवहार बनाये रखना होगा और वे इस संबंध में बनाये गये और समय-समय पर यथासंशोधित लागू नियमों और विनियमों के अधीन माने जायेंगे।

8. उन्हें उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर 10 लाख रुपए के लिए एक करार/बंध पत्र भरना होगा जिससे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा होने और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इंडियन एयरलाइंस की दस वर्ष की न्यूनतम सेवा करने और सैकेण्ड अधिकारी के रूप में नियुक्ति के बाद तीन वर्ष के लिए और नागर विमानन महानिदेशक की प्रत्येक अनुवर्ती इन्डोसमेंट के लिए कार्य करने का वचन दिया गया हो। इसके पूरा न कर पाने की स्थिति में उन्हें इंडियन एयरलाइन्स में निर्धारित राशि में नुकसान के परिधारण की अदायगी करनी होगी।

9(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा बिना किसी नोटिस के किसी भी असंतोषजनक प्रगति अथवा व्यवहार अथवा किसी भी चूक अथवा उनकी ओर से कोई भी ऐसे किये गये तथा न किये गये कार्य के लिए जिसे इंडियन एयरलाइंस द्वारा दुव्यवहार माना जाएगा कारणों से प्रशिक्षण और नियुक्ति कार्यक्रम समाप्त किया जा सकता है।

(ख) ऐसे समय पर, प्रशिक्षु को करार और बंध-पत्र में निदिष्ट राशि की वापसी इंडियन एयलरलाइंस को करनी चाहिए।

एयर इंडिया के प्रशिक्षु विमानचालकों की सेवा शर्तें

1. चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षु विमानचालकों के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हें गहन भू संबंधी सिमूलेटर और अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें 9700 रुपए प्रति महीने वजीफा दिया जाएगा। तथापि प्रशिक्षणी विमानचालकों की नियुक्ति पर एक करार निष्पादित करना होगा और प्रत्येक प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद बांड का अनुपालन करना होगा जैसा कि करार में बताया गया है जिसे प्रशिक्षार्थी विमानचालक ने नियुक्ति के समय निष्पादित किया है।

2. उनका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर और विशिष्ट विमान पर जिन पर उन्हें चिह्नित किया जाता है और उनके लाइसेंस पर पृष्ठांकन प्राप्त होने के बाद उन्हें सह-विमानचालक के रूप में परीवीक्षाधीन रखा जाएगा। उनके सफलतापूर्वक परीवीक्षाधीन अवधि पूरा होने पर और यदि उनकी प्रगति संतोषजनक पाई जाती है तब उनको सह-विमानचालक के रूप में पुष्टि की जाएगी। तथापि कम्पनी में सह-विमानचालक के रूप में उनकी नियुक्ति होने की तारीख से 5 वर्षों के भीतर उन्हें एएलटीपी प्राप्त करना अपेक्षित होगा जिसके न होने पर नियोजन की संविदा स्वतः समाप्त हो जाएगी।

3. कम्पनी के नियमों के अनुसार एक स्थायी विमानचालक भविष्य निधि, उपादान, चिकित्सा सहायता और विमान पासों की छूट जैसे लाभों के लिए पात्र होगा।

विवरण-II

इंडियन एयरलाइंस	वेतनमान के न्यूनतम पर कुल परिलब्धियां
1. प्रथम अधिकारी	रुपए 48,000/-
2. कैप्टन (सह-विमानचालक)	रुपए 76,400/-
3. कमाण्डर	रुपए 1,69,175/-
एयर इंडिया	**वेतनमान के न्यूनतम पर कुल वेतन**
1. सह विमानचालक	रुपए 11,662.55
2. वरिष्ठ कैप्टन	रुपए 14,433.55
3. उप प्रचालन प्रबंन्धक	रुपए 14,855.55
4. प्रचालन प्रबंधक	रुपए 14,946.55
5. उप निदेशक प्रचालन	रुपए 16,232.75
6. प्रचालन निदेशक	रुपए 17,732.75

वेतन के अतिरिक्त, विमानचालकों की उनकी उड़ान ड्यूटियों के लिए प्रतिघंटा भुगतान भी मिलता है। प्रतिघंटा भुगतान की सहमत दर निम्न प्रकार है :–

कमाण्डर	यू०एस०डी० प्रति घंटा
1 से 3 वर्ष	87.00
4 से 6 वर्ष	93.00
7 से 9 वर्ष	100.00
10. वर्ष और उससे अधिक	107.00
सह विमानचालक	यू०एस०डी० प्रति घंटा
परिवीक्षा	58.00
कन्फरमेशन पर सी०पी०एल० कन्फरमेशन पर ए०एल०टी०पी०	61.00
1 से 3 वर्ष	65.00
4 से 6 वर्ष	69.00
7 वर्ष और उससे अधिक	75.00

न्यासों के लिए स्वायत्त नियामक आयोग

558. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :** *क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या सरकार का विचार आयकर मुक्त दान प्राप्त करने वाले न्यासों तथा अन्य धर्मार्थ संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए एक स्वायत्त नियामक आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठायेगी कि ऐसे न्यासों का उत्तरोत्तर विकास हो और उन पर निगरानी रखी जा सके ताकि इनके द्वारा धन का दुरूपयोग और अनुयत्र अप्राधिकृत उपयोग न किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) धारा 80-छ के अन्तर्गत न्यासों अथवा धर्मार्थ संगठनों के मामले में एक बार में अधिकतम 5 वार-निर्धारण वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। नवीकरण के समय धारा 80-छ के अन्तर्गत मान्यता देने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) को स्वयं इस बात की तसल्ली करनी होती है कि क्या ऐसी धर्मार्थ संस्थाओं के कार्य-कलाप 80-छ के उपबंधों के अनुरूप है अथवा नहीं। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

विमान चालकों का वेतन

559. **श्री दत्ता मेघे :** क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में चालकों और सह-चालकों का वेतन बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है और क्या अन्य निजी एयरलाइनों में उनके समकक्षों की तुलना में यह अभी भी काफी कम है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष पर कितना वित्तीय बोझ पड़ने की सभावना है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) एयर इंडिया के विमानचालकों और सह-विमान चालकों के मूल वेतन 31 अगस्त, 1990 के बाद नहीं बढ़ाए गए हैं किन्तु देय भत्ते अक्तूबर, 1994 से संशोधित किए गए थे और घंटों के आधार पर भुगतान करने के लिए परिवर्तित किए गए थे। ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

इंडियन एयरलाइन्स के मामले में विमानचालकों और सह-विमानचालकों की परिलब्धियों को संशोधित करने वाला एक उत्पादकता आधारित समझौता आई०सी०पी०ए० तथा प्रबन्धन के बीच दिनांक 26-1-1996 को हुआ था ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस वृद्धि से लगभग 30 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा।

निजी विमान कम्पनियों के विमानचालकों और सह-विमानचालकों के वेतनों से तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्टाफ के वेतनों का विवरण सरकार को नहीं देना होता।

विवरण

एयर इंडिया	वेतनमान के न्यूनतम पर कुल वेतन
1. सह-विमानचालक	11,662.55 रुपए
2. वरिष्ठ कप्तान	14,433.55 रुपए
3. उप-प्रचालक प्रबन्धक	14,855.55 रुपए
4. प्रचालन प्रबन्धक	16,946.75
5. उप निदेशक प्रचालन	16,232.75
6. प्रचालन निदेशक	17,732.75

वेतन के अतिरिक्त विमानचालकों को उनकी उड़ान ड्यूटियों के लिए प्रति घंटा भुगतान और मिलता है। प्रतिघंटा भुगतान की स्वीकृति दर निम्न प्रकार हैं :–

कमांडर	यू०एस०डी० प्रति घंटा
1 से 3 वर्ष	87.00
9 से 6 वर्ष	93.00
7 से 9 वर्ष	100.00
10 वर्ष और इससे अधिक	107.00
सह-विमानचालक	**यू०एस०डी० प्रति घंटा**
परिवीक्षा	53.00
पुष्टिकरण होने पर सी०पी०एल० पुष्टिकरण होने पर ए०एल०टी०पी०	61.00
1 से 3 वर्ष	65.000
4 से 6 वर्ष	69.00
7 वर्ष और इससे अधिक	75.00

इंडियन एयरलाइन्स

	कमांडर			सह-विमानचालक		
	बी-737	ए-320	ए-300	बी-737	ए-320	ए-300
मौजूदा	49023	71450	57495	21147	33952	41778
संशोधित	1,00,000 से 1,25,000 तक			53,000 से 64,000 तक		

खेतिहर मजदूर के लिए कल्याण योजनाएं

560. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के खेतिहर मजदूरों के लिए स्वीकृत कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं से कितने खेतिहर मजदूर लाभान्वित हुए हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) उ०प्र० के पिछड़े इलाकों के लिए विशिष्टतः केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित इस तरह की कोई योजना नहीं हैं। तथापि, ग्रामीण कर्मकारों के कल्याण के लिए, जिनमें पूरे उक्त राज्य के खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं, कुछ प्रमुख योजनाओं में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :–

(I) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०)

इस योजना के अधीन, आय बढ़ाने वाली परिसम्पत्तियां अर्जित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें अ०जा०/अ०ज०जा० के व्यक्तियों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान सहित छोटे कृषकों, सीमान्त कृषको कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण दस्तकारों के लिए विविध प्रकार की मिश्रित आर्थिक सहायता और भिन्न-भिन्न दरों पर आवधिक ऋण शामिल हैं। इस योजना के अधीन वर्ष 1994-95 के दौरान सहायता प्रदान किए गए परिवारों की सख्या 3,69,725 है।

(II) जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०)

इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करना और उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। इस योजना के अधीन वर्ष 1994-95 के दौरान रोजगार सृजन 977.14 लाख श्रम दिवस था। इस योजना को देश के ऐसे 120 पिछड़े जिलों में तेज किया गया है जिनमें बेरोजगारी और अर्द्धरोजगार की अधिकता है। गहन जवाहार रोजगार योजना के अधीन वर्ष 1994-95 के दौरान 113.47 लाख अतिरिक्त श्रम दिवसों के लिए रोजगार का सृजन किया गया।

(III) रोजगार आश्वासन योजना (ई०ए०एस०)

2 अक्तूबर, 1993 को 1752 पहचान किए गए पिछड़े ब्लाकों में रोजगार आश्वासन योजना "नामक एक नई योजना शुरू की गई जिसे वर्तमान में 2448 पहचान किए गए पिछड़े ब्लाकों में विस्तारित किया गया है। इसका आशय अपर्याप्त कृषि मौसम में अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार संबंधित शारीरिक कार्य मुहैया करवाना है। यह योजना प्रमुखतः खेतिहर मजदूरों को लाभ प्रदान करेगी। इस योजना के अधीन वर्ष 1994-95 के दौरान सृजित किया गया रोजगार 188.89 लाख श्रम दिवस था।

(IV) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए०)

इस योजना को निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए वर्ष 1982-83 में शुरू किया गया था और इसके अन्तर्गत उन महिलाओं के कौशल और प्रतिभा के अनुरूप आय उत्पादक क्रियाकलापों को सामूहिक रूप से शुरू करना था। यह योजना ट्राइसेम और आई०आर०डी०पी० के सहयोग से चलाई गई है। इस योजना के अधीन वर्ष 1994-95 के दौरान लाभान्वित हुई महिलाओं की संख्या 39,868 है।

(V) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम)

इस योजना का उद्देश्य स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का कौशल उन्नयन करना है।

(VI) समूह बीमा योजना और वृद्धावस्था पेंशन

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों ने 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी भूमिहीन खेतिहर मजूदरों को बीमा सीमा के अन्तर्गत लाने के लिए जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि के अन्तर्गत 1987 में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभानुभोगियों के लिए 1988 में बीमा योजना जैसी विभिन्न बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं।

(VII) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना

भारत सरकार ने गरीबों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना की घोषणा की हैं इसमें 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले निराश्रित व्यक्तियों को 75/-रु० प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन देने, ऐसे परिवारों के मूल रोटी-अर्जक की प्राकृतिक मृत्यु और दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए क्रमशः 5,000/-रु० और 10,000/-रु० का नगद परिवार लाभ और दो जीवित बच्चों के लिए 300/-रु० प्रति गर्भ की दर से प्रसूति लाभ प्रदान करने की अभिकल्पना की गई है। इस योजना से क्रमशः 5.3 मिलियन, 3.5 लाख लाभानुभोगियों और 4.5 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचने की आशय है।

राजस्थान में पर्यटन का विकास

561. श्री राम सिंह कस्वां : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों यथा 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राजस्थान राज्य में पर्यटन के विकास के लिए प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राजस्थान में स्वीकृत की गई परियोजनाएं/स्कीमें

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)	रिलीज की राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4
	राजस्थान 1992-93		
1.	बाड़मेर में पर्यटक परिसर	12.90	7.50
2.	जैसलमेर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	8.46	7.46
3.	जोधपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	10.70	9.70
4.	बीकानेर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	7.18	6.50
5.	बीकानेर में फास्ट फड सेन्टर	6.00	5.00
6.	सीकर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	4.74	2.30
7.	विश्राम स्थली, अजमेर में तीर्थ शेड :		
	(1) रेन बसेरा	10.28	6.00
	(2) पक्का ढांचा	24.38	23.38
8.	विश्राम स्थली अजमेर में जन सुविधाएं	8.48	4.00
9.	जैसलमेर में दो स्थानों पर जन सुविधाएं	7.36	3.68
10.	झालावाड़ में कैम्पिंग साइट	10.55	5.27
11.	गजनेर में साइट कैम्पिंग	10.55	5.00
12.	कुम्बलगढ़ में कैम्पिंग साइट	10.55	5.32
13.	चित्तौड़गढ़ की प्रकाशपुंज-व्यवस्था	6.87	3.00
14.	झालावाड़ उत्सव	5.18	4.00
15.	शिल्पग्राम क्राफ्ट मेला	1.00	0.50
16.	प्रवार सहायता	8.13	8.13
	कुल 1992-93	153.31	106.74
	1993-94		
1.	जैसलमेर किले का संरक्षण (कुल लागत के 50% को पर्यटन विभाग के 40 लाख रु० के रूप से शेयर तक सीमित कर दिया गया है)	39.88	39.88
2.	जैसलमेर फेस-II में पर्यटक बंगला	11.24	5.75
3.	पोखरन फेस-II में पर्यटक बंगला	7.83	4.00
4.	जोधपुर में फास्ट फूड केन्द्र	7.11	3.50
5.	केचू में मार्गस्थ सुविधाएं	4.74	2.50

1	2	3	4
6.	बीकानेर फेस-II में पर्यटक बंगला	12.00	6.00
7.	वार में पर्यटक परिसर	10.35	5.00
8.	रतनगढ़ में पर्यटक गृह	10.06	5.00
9.	गंगानगर में पर्यटक परिसर	16.54	8.00
10.	उदयपुर फेस-II में पर्यटक बंगला	18.60	9.30
11.	सरिस्का फेस-II में पर्यटक बंगला	12.54	6.00
12.	सालासर में मार्गस्थ सुविधाएं	4.74	2.50
13.	बीवाड़ में पर्यटक गृह	9.09	5.50
14.	मोती मगरी, उदयपुर में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन	24.25	10.00
15.	रामबाग गोल्फ क्लब, जयपुर का उन्नयन	38.22	10.00
16.	जैसलमेर किले की प्रकाशपुंज व्यवस्था	33.24	10.00
	जोड़, 1993-94	260.43	132.93
1994-95			
1.	हनुमान गढ़ में पर्यटक बंगला	18.76	9.00
2.	भीलवाड़ा में पर्यटक बंगला	18.76	9.00
3.	संचोर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.80	5.00
4.	बाप्प में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.92	5.00
5.	शिल्पग्राम उत्सव के लिए सहायता	4.05	4.05
6.	मेंहदीपुर-कावालाजी में यात्रिका	15.38	5.00
7.	कैलादेवी में यात्रिका	20.24	5.00
8.	झालावाड़ (राजस्थान) में कैम्पिंग साइट के लिए वित्तीय सहायता	10.50	4.25
9.	पैलेस-ऑन-व्हील्स	500.00	250.00
	जोड़ 1994-95	809.41	296.30

[अनुवाद]

बैंक कर्मियों को पेंशन

562. **श्री अन्ना जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंक कर्मियों को 1 जनवरी, 1996 से पेंशन देने पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गई है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक कर्मचारी संघ के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार पेंशन 1 नवम्बर, 1993 से दी जानी तय हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस समझौते को अमल में लाने के लिये क्या समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) इस निर्णय को लागू करने में विलम्ब के क्या मुख्य कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) भारतीय बैंक संघ और बैंकिंग उद्योग के कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार यूनियनों द्वारा दिनांक 29.10.1993 को किए गये समझौते के अनुसरण में, दिनांक 29.9.95 को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारत के राजपत्र में पेंशन विनियम अधिसूचित किए गये है। पेंशन योजना, अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) के बदले दूसरे सेवानिवृत्ति-लाभ के रूप में शुरू की गई है। पेंशन विनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार, जो कर्मचारी अधिसूचना की तारीख को सेवा में हैं, उन्हें सी०पी०एफ० के बदले में पेंशन या सी०पी०एफ० जारी रखने का विकल्प देना होगा। जो कर्मचारी अधिसूचना की तारीख को या इसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं, उन पर बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम ही लागू होंगे। दिनांक 1.1.86 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी भी जिन्होंने उक्त विकल्प दिया हो, विशेष वितरण के जरिए पेंशन के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि, वे कुछ शर्तें पूरी करते हों।

पेंशन विनियमों की अधिसूचना के बाद बैंकों ने आय-कर प्राधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करने और साथ ही पेंशन सम्बन्धी लाभों के भुगतान के लिए न्यास स्थापित करने हेतु उपाय शुरू किए हैं। सभी प्रक्रिया संबंधी/कानूनी औपचारिकताओं को अन्तिम रूप देने दिए जाने तक कुछ बैंकों ने पात्र सेवानिवृत्त/सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों को पेंशन के बराबर तदर्थ भुगतान भी शुरू कर दिया है।

निर्यातकों द्वारा हवाला कारोबार

563. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई सीमा शुल्क ने करोड़ों रुपये के फर्जी निर्यात के अनेक मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने फर्जी निर्यात किये गये और ऐसे कितने फर्जी निर्यातकों का पता चला है;

(घ) ऐसे निर्यातकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान नौभोर शिपमेंट के बढ़े-चढ़े बीजक प्रस्तुत करने तथा विदेशों को घटिया किस्म के पाल की सप्लाई करने में लिप्त निर्यातकों की संख्या कितनी है और ऐसे प्रत्येक निर्यातक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(च) कितने निर्यातक हवाला कारोबार में लिप्त पाए गए और प्रत्येक निर्यातक के विरुद्ध निर्यातक-वार क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां, सीमा शुल्क विभाग ने मुम्बई में ऐसे 263 मामलों का पता लगाया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात माल के वर्णन की गलत घोषणा करना, माल के भार के संबंध में छल करना तथा भार को बढ़ा कर दिखाना, निर्यात किए जाने वाले माल-संरचना की गलत घोषणा करना

तथा 74 निर्यातकों द्वारा इस आश्रय से जाली निर्यातों के कुछेक मामले शामिल है ताकि वे 1993, 1994, 1995 तथा जनवरी, 1996 के दौरान उच्च अथवा अन्यथा अस्वीकार्य आयात अधिकारों अथवा प्रतिअदायगी की बड़ी राशियों का दावा कर सकें।

(घ) ऐसे उन निर्यातकों के विरुद्ध कानून में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई की जाती है जो धोखाधड़ी अथवा फर्जी निर्यात करने में लिप्त पाए जाते है अथवा जो माल की गलत घोषणा का सहारा लेते हैं। ऊपर उल्लिखित मामलों के संबंध में, 39 व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया है जिनमें 2 सीमा शुल्क अधिकारी और 2 सीमा शुल्क गृह एजेन्ट भी शामिल है और इनमें से सीमा शुल्क गृह एजेन्ट सहित 6 व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निरुद्ध कर लिया गया हैं इसके अलावा, इन निर्यातकों को जारी किए गए संगत दोषपूर्ण अग्रिम लाइसेंसों को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रद्द करवाने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी है।

(ङ) 1993 और जनवरी, 1996 के दौरान 48 निर्यातकों को निर्यात परेषणों के अधिक बीजक बनाने और/अथवा घटिया माल का निर्यात करने का प्रयास करने में लिप्त पाया गया था। ऐसे निर्यातकों के संबंध में भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(च) तीन निर्यातकों के हवाला कारोबार में लिप्त पाए जाने की सूचना मिली है जिनके विरुद्ध कानून में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालय में पंजीकरण

564. श्री सत्यदेव सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बीटीसी प्रमाण-पत्र वाले ऐसे उम्मीदवारों की संख्या क्या है जिन्हें अभी तक रोजगार प्रदान नहीं कराया गया है;

(ख) किस वर्ष तक के पंजीकृत उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान कराया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार 35 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के बचे हुए उम्मीदवारों को तुरन्त रोजगार प्रदान कराने हेतु कोई योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पटसन मिलें

565. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में, विशेष रूप से पूर्णिया में, और अधिक पटसन मिलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अंतर-राज्यीय विमान सेवा

566. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंतर-राज्यीय विमान सेवा आरंभ करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस संबंध में कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार निजी एयरलाइन प्रचालकों को देश में क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करने की अनुमति दे रही है।

शेयर अंतरण प्रणाली

567. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा शेयरों के अंतरण संबंधी नियमों एवं उपनियमों के अन्तर्गत अधिकांश कम्पनियां अपने वायदों को पूरा करने के प्रति उदासीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने नवम्बर, 1987 में इस संबंध में किसी कार्यकारी दल की स्थापना की थी और तत्पश्चात उसे अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कम्पनियों के शेयरों की वर्तमान अंतरण प्रणाली को सरल बनाने संबंधी सुझाव देने के लिए कहा था;

(घ) यदि हां, तो जब उक्त दलों की स्थापना की गई थी तो निवेशकों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था;

(ङ) क्या सरकार को इन दलों की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन दलों द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किराये में वृद्धि

568. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने 1 अक्तूबर, 1995 से अपने किराये में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे भारत में कार्यरत अन्य एयरलाइन्स कम्पनियों के किरायों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने पिछले किराये संसोधन के बाद से, आदानों की लागत में वृद्धि के प्रभाव को समायोजित करने के लिए अपने अन्तर्देशीय रूपया किराये में अक्तूबर, 1995 से औसतन 20% की वृद्धि की है।

(ग) निजी प्रचालक वाणिज्यिक सोच-विचार के आधार पर किराया वसूल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कपास का निर्यात

569. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास का उत्पादन करने वाले उन प्रमुख देशों के नाम क्या हैं, जो विश्व में कपास का निर्यात करने के लिए लोकप्रिय हैं;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जो भारतीय कपास के प्रमुख खरीददार हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास के निर्यात से देश को प्राप्त विदेशी मुद्रा का औसत कितना है और किन-किन देशों को कपास का निर्यात किया गया ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) कपास उपजाने वाले तथा निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं :–

यू एस ए	चीन
पेरागुए	आस्ट्रेलिया
तजाकिस्तान	पाकिस्तान
तुर्कमेनिया	टर्की
अजरबेजान	भारत
उजबेकिस्तान	

(ख) और (ग) भारतीय कपास का निर्यात अनेक देशों को किया जाता है जिनमें शामिल हैं;

इंडोनेशिया	हांगकांग
जापान	थाइलैंड
ताइवान	बंगलादेश
ब्राजील	रोमानिया
फिलीपींस	श्री लंका
स्विट्जरलैंड	मलेशिया
यू०के०	नेपाल

तीन वर्षों के दौरान कपास के निर्यात से देश द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	(लाख रु० में)
1992-93	72537.20
1993-94	23823.58
1994-95	8338.70

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति

570. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पुनर्गठित समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समिति का दो वर्षों के लिए पुनर्गठन किया गया है :–

(i) करदाताओं और आयकर विभाग के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के उपायों पर सरकार को सलाह देना; और

(ii) सामान्य रूप की प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर सरकार को सलाह देना।

(ग) समिति एक सलाहकार निकाय है और इसलिए वह कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है। पुनर्गठित नई समिति की बैठक अभी होनी है। तथापि समिति के सुझावों/निर्णयों पर उचित कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंक

571. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 तथा 1995 को देश में ग्रामीण बैंकों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी है;

(ख) ग्रामीण बैंकों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान बंद की गयी पुरानी ग्रामीण शाखाओं तथा खोली गयी नई ग्रामीण शाखाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) 1991 की जनगणना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1994 तथा 1995 को प्रत्येक ग्रामीण शाखा द्वारा राज्यवार औसतन कितनी ग्रामीण जनसंख्या की सेवा की गई थी; और

(ङ) शहरी क्षेत्र के लिए ऐसे जनसंख्या का सदृश आंकड़ा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवी प्रसाद पाल) : (क) दिसम्बर, 1994 और 1995 की स्थिति के अनुसार, देश में कार्य कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 176 है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 12,988 ग्रामीण शाखाएं तथा अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 21,958 ग्रामीण शाखाएं थीं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें

572. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अभी कितनी कपड़ा मिलें हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मिलें बंद हो गई;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम अथवा मध्य प्रदेश कपड़ा निगम द्वारा कितनी मिलें अधिगृहित की गई हैं और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी कपड़ा मिलों का पुनरुद्धार किया गया ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) दिनांक 31-12-95 तक की स्थिति अनुसार मध्य प्रदेश में 49 सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें थीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान एक मिल बन्द पड़ी बताई गई है।

(ख) एन०टी०सी० (एम०पी०) लि० के 7 एकक है, जबकि मध्य प्रदेश वस्त्र निगम का 1 एकक है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के 14 मामले बी०आई०एफ० आर० को प्रस्तुत किए गए हैं।

पास बुक योजना में सुधार

573. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातकों के लिए अप्रैल, 1995 में शुरू की गई पास बुक योजना से किन-किन उद्देश्यों के प्राप्त होने की प्रत्याशा की गई थी;

(ख) क्या यह योजना इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यातकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के पश्चात उक्त योजना में कुछ फेर-बदल किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) नई पासबुक योजना का उद्देश्य कुछ श्रेणियों के निर्यातकों की ओर अधिक लचीलेपन के साथ तथा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्रियाविधि संबंधी मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस की सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करना है। पासबुक योजना कुछ परिवर्तनों के साथ हाल ही में लागू की गयी है।

(ग) और (घ) पासबुक योजना को और अधिक उदार बनाया है, ताकि निर्यातक आयातों की निषेधात्मक सूची में शामिल वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी मदों का आयात कर सकें।

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

574. **श्री बलराज पासी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र के भवन के निर्माण के लिए किसी भूखंड का आवंटन किया है;

(ख) क्या मंत्रालय उस भूमि पर अब तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं कर पाई है;

(ग) आवंटन वर्ष में भवन निर्माण को अनुमानित लागत क्या थी और वर्तमान अनुमानित लागत क्या होगी;

(घ) दिल्ली में भवन केन्द्र निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) ऐसे सभी केन्द्रों के अपने भवन बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वीआरसी), दिल्ली के भवन के निर्माण के लिए कड़कड़डूमा में 4.272 एकड़ भूमि का आबंटन किया है। इसकी चार दीवारी का पहले ही निर्माण कर दिया गया है तथा डी डी ए से "अन्नापत्ति प्रमाण पत्र" (एन०ओ०सी०) प्राप्त होने पर भवन का निर्माण किया जायेगा। इस मामले पर डी०डी०ए० के साथ शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) भवन निर्माण की अनुमानित लागत का आकलन दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) जारी किए जाने के पश्चात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

(ङ) 17 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में से दो केन्द्रों के निजी भवन हैं। स्थान की कमी के कारण लम्बित पड़े शेष व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों (वी०आर०सी०) के लिए संबंधित राज्य सरकारों से भूखण्ड अधिग्रहण के पश्चात चरणबद्ध रूप में उपयुक्त भवनों का निर्माण किया जायेगा।

कॉफी का निर्यात और घरेलू उपभोग

575. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान अब तक कुल कितनी कॉफी का निर्यात हुआ और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या कॉफी की घरेलू बिक्री के लिए बोर्ड द्वारा कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कॉफी बोर्ड द्वारा कॉफी का घरेलू उपभोग और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान 15.2.96 तक निर्यात की गई कॉफी की देश-वार मात्रा अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :–

देश का नाम	मात्रा(मी०टन)	मूल्य(मिलियन यूएस डीलर)
1	2	3
1. रूस	26730	94.86*
2. इटली	17695	43.72
3. यू०एस०ए०	14363	31.63
4. जापान	8097	21.43
5. पोलैंड	7618	18.01
6. जर्मनी	7115	17.50
7. चेक गणराज्य	3510	8.42
8. लीबिया	2733	7.34
9. आस्ट्रेलिया	2367	6.13
10. कनाड़ा	1980	4.04
11. ग्रीश	1944	4.50
12. कुवेत	1693	5.18
13. बैल्जियम	1671	3.91
14. स्लोवेनिया	1656	4.10
15. मिस्र	1558	3.40
16. स्पेन	1470	3.49
17. जार्हन	1460	3.58
18. दुबई	1271	3.60
19. सऊदीअरब	1230	3.72
20. पुर्तगाल	1053	2.56
21. स्लोवाकिया	1026	2.65
22. सिंगापुर	958	2.37
23. नीदरलैंड	777	2.17
24. फ्रास	752	1.91
25. स्वीटजरलैंड	716	1.94
26. इजराइल	612	1.46
27. ओमान	542	1.42
28. हंगरी	526	0.81
29. नार्वे	201	0.53
30. फिन्लैंड	158	0.40
31. यूके	157	0.40
32. मलयेशिया	120	0.33
33. उक्रेन	80	0.28*
34. अन्य	1934	5.39@
कुल योग	115777	313.15

* आर०पी०ए०(रुपया भुगतान क्षेत्र)
@ इसमें आर०पी०ए० देश शामिल हैं

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) काफी घरेलू खपत तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए काफी बोर्ड ने निम्नांकित कदम उठाए हैं :–

1. कॉफी बोर्ड ने पूरे देश में अपने बाजारों के जरिए 115 रु० प्रति किलो की दर पर प्लांटेशन सी ब्लेण्ड तथा 120 रु० प्रति किलो के समुचित मूल्य पर वाणिज्यिक ब्लैण्ड वाले शुद्ध कॉफी पाउडर बेचने की एक योजना बनाई है।

2. कॉफी उत्पादन बढ़ाने के लिए बोर्ड इस समय 1992-93 से 1996-97 की अवधि के लिए निम्नांकित विकास संबंधी क्रिया कलापों में लगा हुआ है।

   कॉफी क्षेत्र का 15,000 हेक्टेयर तक विस्तार

   25,000 हेक्टेयर में सघन खेती

   30,000 हेक्टेयर पर पुनर्रोपण कार्यक्रम

   61,000 हेक्टेयर के लिए जल संवर्धन कार्यक्रम

   750 गूदा निकालने वाले एककों के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

[हिन्दी]

आई०टी०आई० में पिछड़े वर्गों का आरक्षण

576. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० टी० आई० में पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार प्रवेश दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आई० टी० आई० में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कब तक दिए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) पिछड़े

वर्गों हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिए जाने के लिए सरकार ने अभी किसी आरक्षण नीति की घोषणा नहीं की है।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम के बिलों की बकाया राशि

577. **श्री मोहन रावले :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों के बिलों के लिये उनके मंत्रालय द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम हो देय कोई धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह राशि कब से बकाया है;

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा होटल के बिलों का भुगतान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन बिलों का कब तक भुगतान किए जाने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) आई०टी०डी०सी० द्वारा संचालित दिल्ली स्थित होटलों द्वारा प्रस्तुत तथा वाणिज्य विभाग में 31 जनवरी, 1996 तक प्राप्त हुए और सभी तरह से सही पाए गए सभी बिलों पर कार्यवाही करके उनका भुगतान कर दिया गया है। दिनांक 31-1-1996 के बाद प्राप्त 23,171/-रुपये के बिलों पर कार्यवाही की जा रही है और यदि ये बिल सही पाए जाते हैं तो चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले इन बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) जनवरी, 90 से अक्तूबर, 92 की अवधि से संबंधित 13,394/-रुपये के 7 बिल सही नहीं पाए गए और संबंधित होटलों से कमियों को दूर करने के लिए कहा गया है। कमियों के दूर होते ही इन बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए विमान सेवा

578. **श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल :**
श्री गोविन्दराव निकम :
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीन, जापान, कोरिया, थाइलैंड, म्यांमार लाओस, कम्बोडिया, लाईवान, वियतनाम इत्यादि देशों के व्यक्तियों को भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए इन देशों के साथ सीधी वायु सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जापान, थाईलैंड और म्यांमार के लिए सीधी सेवाएं पहले ही प्रचालित की जा रही हैं, यद्यपि, चीन और वियतनाम के साथ विमान सेवा करार हस्ताक्षारित किए गए हैं, परन्तु निम्न यातायात संभावनाओं के कारण इन देशों के साथ फिलहाल विमान संपर्क स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। भारत और कोरिया के बीच विमान सम्पर्क कोरियन एयरलाइन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। भारत और कम्बोडिया, लाओस और ताइवान के बीच इस समय कोई हवाई सेवा करार नहीं है।

[अनुवाद]

विदेशी ऋण

579. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री राजेंद्र कुमार शर्मा :
श्रीमती शीला गौतम :
डा० मुमताज अंसारी :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
श्री मंजय लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश पर आज तक बकाया विदेशी ऋण कितना है और इस पर दिया जाने वाला वार्षिक ब्याज कितना है;

(ख) सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत ब्याज के रूप में दिया जाता है;

(ग) क्या देश के विदेशी ऋण में वृद्धि हो रही है और इसके ऋण जाल में फंसने की संभावनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश को ऋण जाल से मुक्त रखने हेतु किए गए ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) दिनांक 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋण 99.0 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान था। 1994-95 के दौरान 4.1 बिलियन अमरीकी डालर के ब्याज का भुगतान किया गया।

(ख) 1994-95 में सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में ब्याज का भुगतान 1.37 प्रतिशत था।

(ग) जी, नहीं। 31.3.1995 और 30.9.1995 के बीच बकाया ऋण में 5.2 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट आई और इसके 30.9.1995 को 93.8 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(घ) सरकार, ऋण सेवा अनुपात को सुविधाजनक स्तरों तक कम करने के लक्ष्य-युक्त ऋण प्रबन्ध रणनीति का अनुसरण कर रही है। इनमें निर्यातों और अन्य चालू प्राप्तियों की संवृद्धि का संवर्धन करने कुल ऋण की वृद्धि को कम करने, ऋण के मंहगे और अल्पावधिक संघटकों की वृद्धि को कम करने और विदेशी निवेश जैसे गैर-ऋण सृजक अंतः प्रवाहों को प्रोत्साहित करने के उपाय शामिल हैं।

व्यापार घाटा

580. **श्री रूप चन्द पाल :**
डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री नवल किशोर राय :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री मंजय लाल :
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी और फरवरी, 1996 के दौरान विदेशी मुद्राओं विशेषरूप से अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप निर्यात-आयात की जाने वाली वस्तुओं पर पड़े प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995 के अंत में गत तीन वर्षों की तुलना में व्यापार घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय मुद्रा के मुल्य में गिरावट के कारण जनवरी और फरवरी, 1996 के दौरान व्यापार घाटे में कितनी वृद्धि दर्ज की गई;

(ङ) इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(च) क्या विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होने के कारण निर्यातक निरूत्साहित हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप देश के निर्यात में कमी हुई है;

(छ) क्या सरकार ने 1996 के दौरान व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए कोई दीर्घावधि/अल्पावधि योजना तैयार की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० देवी प्रसाद पॉल) : (क) जनवरी, 1996 से 6 फरवरी, 1996 के दौरान अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में अवमूल्यन हुआ। तब से 28.2.1996 को दर में सुधार होकर वह 35.28 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गया, जो 4 जनवरी, 1996 का स्तर था।

(ख) इस समय रुपए की विनिमय दर का स्तर अधिक वास्तविक है और यह निर्यात संवृद्धि को मजबूत बनाए रखने और आयात वृद्धि को नियंत्रित रखने को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। ये दोनों धारक व्यापार घाटे को प्रबन्ध योग्य स्तरों पर नियंत्रित रखने में मदद करेंगे।

(ग) और (घ) भारत के विदेश व्यापार संबंधी आंकड़े वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के आधार पर संकलित किए जाते हैं। 1994-95 के अंत में और पिछले दो वर्षों के लिए एवं अप्रैल-दिसम्बर, 1995 के दौरान, जो उक्त आंकड़ों के उपलब्ध होने की अद्यतन अवधि है, व्यापार घाटा निम्नानुसार है :–

	करोड़ रुपए	मिलियन डालर
1992-93	9687	3345
1993-94	3350	1069
1994-95	7297	2324
अप्रैल-दिसम्बर, 1995	11571	3535

(ङ) विनिमय दर में हाल के परिवर्तनों ने प्रतिस्पर्धा में क्षरण को सुधारा है और यह निर्यात में वृद्धि को मजबूत बनाए रखने और आयात वृद्धि को नियंत्रण में रखने को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा।

(च) भारत के निर्यात में अमरीकी डालर के रूप में अप्रैल-दिसम्बर, 1995 के दौरान 24.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की समवर्ती अवधि के दौरान हुई 16.9 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा अधिक है।

(छ) और (ज) निर्यात-आयात नीति, 1992-97 जो प्रतिवर्ष अद्यतन की जाती है, का उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन को संबंधित करने के लिए दीर्घकालिक आधार पर निर्यात वृद्धि में तेजी लाना और ऐसी वृद्धि में भागीदारी करने और उससे लाभ प्राप्त करने के लिए घरेलू क्षेत्र में बढ़े हुए अवसर उपलब्ध कराना है।

[हिन्दी]

कर्नाटक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उप-क्षेत्रीय कार्यालय

581. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र के औद्योगिक कर्मकारों की सुविधा के लिए कर्नाटक के हुबली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जो, हां। कर्नाटक में हुबली में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा 19.9.95 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम को भेजा गया था। इस विषय की कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जांच की गई है। चूंकि हुबली में बीमित व्यक्तियों की संख्या एक लाख के न्यूनतम मानक से कम है, अतः वर्तमान में हुबली में क०रा०बी० निगम का एक उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाना संभव नहीं समझा गया है।

गुजरात में कपड़ा मिल

582. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में कितनी सूत कताई और बुनाई मिले हैं और उसमें से कितनी मिलें राष्ट्रीय वस्त्र निगम और गुजरात राज्य वस्त्र निगम में अन्तर्गत है;

(ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से कितनी मिलों को बंद करने के लिए कहा गया है;

(ग) कितनी मिलों के आधुनिकीकरण के संबंध में निर्णय लिया गया है; और

(घ) उक्त मिलों, विशेषतः आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्थित मिलों के आधुनिकीकरण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) दिनांक 31-3-96 तक की स्थिति अनुसार गुजरात में 135 सूती। मानव निर्मित फाइबर वस्त्र एकक तथा एकमात्र बुनाई के 34 एकक हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 17 मिलों का गुजरात राज्य वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहण किया गया है। एन०टी०सी० के अंतर्गत गुजरात में 12 मिलें हैं।

(ख) दिनांक 30.9.95 तक की स्थिति अनुसार गुजरात में एकमात्र बुनाई एककों सहित 45 रुग्ण सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों के मामले बी०आई०एफ०आर० को प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 20 मामलों के संबंध में बी०आई०एफ०आर० ने एककों को बंद करने की सिफारिश की है। एन०टी०सी० (गुजरात) का मामला बी०आई०एफ०आर० को प्रस्तुत किए गए मामलों में से ही एक मामला है।

(ग) और (घ) बी०आई०एफ०आर० अर्थक्षम रुग्ण मिलों के पुनरुद्धार के लिए इसके द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसियों के माध्यम से पुनर्वासन पेकेज तैयार करता है। आधुनिकीकरण पुनर्वासन पैकेज का ही एक भाग होगा। 45 मामलों में से 6 मामलों में बी०आई०एफ०आर० ने धारा 18 (4) के अंतर्गत पुनर्वासन योजना को स्वीकृति दी है तथा ए०ए०आई०एफ०आर० ने 2 मामलों में पुनर्वासन योजना को स्वीकृति दी है। जनजातीय क्षेत्रों में मिलों के लिए पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

हवाला लेन-देन के कारण राजस्व हानि

583. **श्री चित बसु :**
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन (हवाला) के कारण देश को कितने रुपये का वार्षिक घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार हवाला के कार्यकरण की व्यापक जांच करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०श्री० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) चोरी-छिपे किस्म के लेन-देनों के कारण वार्षिक घाटे की मात्रा को बताना संभव नहीं है। फिर भी पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए ऐसे लेने-देनों के मामलों में निहित धनराशि नीचे दिखाई गई है :—

(रुपए लाखों में)

वर्ष	निहित धनराशि (लगभग)
1992-93	7686
1993-94	20034
1994-95	38567

(ख) से (घ) सरकार (प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से) हवाला करने वालों के क्रियाकलापों पर सख्त निगरानी रखती है। जब कभी ऐसे क्रिया-कलापों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है तो कानून के अन्तर्गत तथा निर्धारित कार्रवाई की जाती है।

इसबगोल का निर्यात

584. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसबगोल के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसबगोल की निर्यात की गई कुल मात्रा तथा उससे प्राप्त विदेशी मुद्रा कितनी है;

(ग) क्या कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण ने इसबगोल के उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि के लिए कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) इसकी अच्छी संभावनाएं हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गयी इसबगोल की कुल मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

मूल्यः करोड़ रुपये में

वर्ष	मात्रा (मी०टन)	मूल्य
1992-93	15348	77.41
1993-94	15576	75.47
1994-95	20890	113.72

(ग) और (घ) इसबगोल के निर्यात संवर्धन के लिए मूल रसायन, भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद् संबंधित हैं ना कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। कैमैक्सिल द्वारा इस मद का निर्यात बढ़ाने के लिए जो उपाय किये गए हैं उनमें व्यापार-प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, विदेशों में विशेषीकृत व्यापार मेलों में भागीदारी और आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान और प्रचार शामिल है।

वस्त्र निर्यात

585. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत-इसाइल कार्य बल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्य बल द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वस्त्र मिलों को बंद किया जाना

586. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में वस्त्र मिलों को बंद किए जाने के कारण लगभग 40,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें देय बकाया की अदायगी के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को इन रुग्ण वस्त्र मिलों की परिसंपतियों का अधिग्रहण करने तथा उनके संसाधनों को एकत्र करके तथा श्रमिकों को देय बकाया की अदायगी हेतु ऋण देने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) उद्योग मंत्रालय के अनुसार गुजरात सरकार ने उद्योग मंत्रालय को व्यासमापन के अंतर्गत 19 बंद वस्त्र मिलों के लिए क्षेत्र पुनर्सृजन योजना के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता अनुदान देने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा इन मिलों की परिसंपतियों का अधिग्रहण, 30,150 कर्मचारियों को कानूनी देयताओं का भुगतान, क्षेत्र पुनर्सृजन के लिए प्रोत्साहन तथा बंद मिलों की परिसंपतियों का उपयोग आदि शामिल हैं।

उद्योग मंत्रालय के अनुसार राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता अनुदान के लिए प्रचालनात्मक रूपात्मकताओं के लिए अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात कार्यवाही शुरू की जाएगी।

अरुणाचल प्रदेश में विमान पट्टी

587. श्री लाईता उम्बे : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा राज्य में हवाई पट्टी के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना आवंटन किया गया है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) ईटानगर के समीप नहरलैगून में एक स्थल की, हवाई अड्डे के निर्माण के लिए पहचान की गई है, जो 50 सीटों वाले विमान के प्रचालन के लिए उपयुक्त हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे पर्यावरणीय पहलू सहित व्यवहार्यता अध्ययन करवा लें। 8वीं पंचवर्षीय योजना में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

बीड़ी श्रमिक

588. श्री एन०जे० राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आज की तिथि तक कुछ राज्यों में, विशेषतः गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में बीड़ी उद्योग में लगे श्रमिकों की संख्या के विषय में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार परिचय पत्र धारकों और गैर धारकों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ठेका प्रणाली के अत्याचार/उत्पीड़न से उन्हें मुक्त कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) देश में विशेषतः गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में बीड़ी श्रमिकों को किस दर पर तेंदू पत्ता उपलब्ध कराया जाता है और किस दर पर उन्हें दैनिक मजदूरी दी जाती है;

(ङ) क्या सरकार बीड़ी उपकर से प्रमुख उद्योगपतियों के बच निकलने में हुई अनियमितताओं से अवगत है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (जी० वेंकट स्वामी) ' (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) बीड़ी उद्योग की विलषण परिस्थितियों के कारण ठेका श्रम पद्धति का उत्पादन करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है। बीड़ी कर्मकारों का शोषण रोकने के लिए राज्य सरकारों से बीड़ी और सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करने और कच्चा माल जारी करने के लिए मानक निर्धारित करने हेतु त्रिपक्षीय समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा कर चोरी निरोधक कड़े उपाय किए जाते हैं और आकस्मिक जांच की जाती है तथा जिन मामलों में आवश्यक समझा जाता है कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के पश्चात जुर्माना लगाया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण आवेदन

589. श्री जीवन शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के आरम्भ से इसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंकवार बेरोजगार युवकों से ऋण के लिये कितने आवेदन प्राप्त किये गये हैं;

(ख) कितने आवेदनों को स्वीकार किया गया, कितनों को अस्वीकार और कितने विचाराधीन हैं और रद्द करने और विचाराधीन रखने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि निजी क्षेत्र के बैंक वाणिज्यिक या निजी वाहनों या आधुनिक गैजेटों की खरीद के लिये ऋण नहीं प्रदान कर रहे हैं; न ही छोटे और मझोले व्यापारियों और उद्योगपतियों आदि को ओवर ड्राफ्ट की सुविधायें दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन निजी बैंकों का ब्यौरा क्या है जो उक्त

सुविधायें प्रदान करते हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्होंने ये सुविधायें कितने लोगों को प्रदान की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार

590. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीड़ी तथा सिगार कर्मकारों की स्थिति में सुधार करने हेतु व्यापार संघों को कोई आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन लोगों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीड़ी तथा तम्बाकू क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में विशेषज्ञ समिति के गठन में विलंब के क्या कारण है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि बीड़ी और सिगार कर्मकारों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार वचनबद्ध है।

(ग) और (घ) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत श्रम मंत्रालय द्वारा गठित त्रिपक्षीय केन्द्रीय सलाहकार समिति और राज्य सरकारों द्वारा गठित सलाहकार समितियों, अन्य बातों के साथ-साथ बीड़ी कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं की समीक्षा करती है।

(ङ) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग से संबंधित प्रस्तावित विधान को देखते हुए, तम्बाकू प्रयोग के विभिन्न आयामों की जांच हेतु स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

विश्व आर्थिक मंच

591. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गत माह दावोस में "विश्व आर्थिक मंच" की 1996 की वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन सदस्य थे; और

(ग) इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) दिनांक 1-6 फरवरी, 1996 के दौरान दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वर्ष 1996 की वार्षिक बैठक में वित्त मंत्री के साथ वाणिज्य राज्य मंत्री, गुजरात के मुख्य मंत्री और वहां के उद्योग मंत्री तथा भारत के व्यापार एवं उद्योग के 36 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ग) विश्व आर्थिक मंच एक गैर-सरकारी संगठन है जो व्यापार, सरकार एवं अकादमियों से नेताओं को एक समेकित भागीदारी जो विश्व की स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रति प्रतिबद्ध है में संगठित करता है। भारतीय प्रतिनिधियों को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रदत्त मंच का प्रयोग विश्वव्यापी विचार-विनियम के लिए करना था।

[हिन्दी]

एनटीसी/बीआईसी की रुग्ण इकाइयां

592. श्री राम सिंह कस्वां : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एनटीसी/बी आईसी की कुल कितनी रुग्ण इकाइयां बंद होने की स्थिति में हैं;

(ख) क्या इन इकाइयों के संबंध में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने कोई अंतिम निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के आठ सहायक निगम एलगिन मिल्स कंपनी लिमिटेड तथा कानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया है तथा उसने उन्हें रुग्ण घोषित किया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इस ग्यारह रुग्ण कंपनियों में से एन०टी०सी० (मध्य प्रदेश) एन०टी०सी०(गुजरात) एन०टी०सी०(उत्तर प्रदेश) तथा एन०टी० सी०(पश्चिम बंगाल, असम बिहार तथा उड़ीसा) को बन्द करने के लिए कारण बताओं नोटिश जारी किये हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमार्ण बोर्ड ने बी०आई०सी०, एलगिन मिल्स तथा कानपुर टेक्सटाइल लि० के संबंध में उनकी बन्द करने के आदेश दिये तथा इन कंपनियों की अपील ए०ए०एफ० आई०आर० के समक्ष लंबित है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनमे से किसी भी कंपनी को औपचारिक तौर पर बन्द नहीं किया गया है। सरकार अंतिम निर्णय होने तक मजूदरी, वेतनों एवं बोनस के लिए निधियां दे रही है।

राज्यों से प्राप्त आय-कर राशि

593. श्री राम कृपाल यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से राज्य-वार कुल कितना आय-कर प्राप्त हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के राज्य-वार कितने मामले थे और इनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी; और

(ग) उक्त राशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०थी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) चूककर्ताओं के मामलों की कुल संख्या और उनके मूल्य के बारे में राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन जिन मामलों दिनांक 31.3.94 तथा 31.3.95 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रु० से अधिक की मांग बकाया है, उन मामलों से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) मांग की वसूली करने के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यथा-उपबंधित विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जैसे चूककर्ताओं की चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की, अभियोजन, अर्थदंडलगाना, जेल में बन्द करना, चूककर्ताओं की सम्पत्तियों के प्रबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति।

विवरण-I

क्र०सं०	राज्य	1993-94		1994-95	
		निगम कर	आयकर	निगम कर	आयकर
1	2	3	4	5	6
		(रुपये करोड़ो में)			
1.	आन्ध्र प्रदेश	223.82	340.61	295.96	479.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	1.72	—	2.58
3.	असम	38.39	68.61	114.74	88.04
4.	बिहार	15.73	207.80	33.34	232.61
5.	गोआ	57.85	44.45	50.32	55.78
6.	गुजरात	227.57	793.00	314.85	910.44
7.	हरियाणा	40.50	103.66	49.41	130.50
8.	हिमाचल प्रदेश	3.73	24.76	0.57	26.88
9.	जम्मू कश्मीर	3.33	40.62	13.91	37.48
10.	कर्नाटक	261.74	491.52	291.67	631.35
11.	केरल	142.62	243.54	95.72	301.81
12.	मध्य प्रदेश	55.09	252.35	86.31	278.24
13.	महाराष्ट्र	4389.56	2847.81	6603.97	3954.13
14.	मणिपुर	0.05	6.72	0..09	5.32
15.	मेघालय	1.61	9.98	1.13	8.10
16.	मिजोरम	—	0.03	—	0.08
17.	नागालैंड	0.05	4.75	0.03	7.00
18.	दिल्ली	1308.68	1048.59	1854.29	1608.10
19.	उड़ीसा	15.52	93.66	24.14	101.35
20.	पंजाब	116.14	241.37	126.63	317.24
21.	राजस्थान	59.29	181.77	50.65	226.84
22.	सिक्किम	—	0.16	0.01	0.26
23.	तमिलनाडु	549.98	723.53	617.76	962.32
24.	त्रिपुरा	0.05	5.36	0.07	7.08
25.	उत्तर प्रदेश	184.93	493.69	282.24	600.18
26.	पश्चिम बंगाल	1040.52	535.06	1099.53	644.97

1	2	3	4	5	6
	संघ शासित क्षेत्र				
27.	अंडमान एवं निकोबार	2.86	0.78	3.20	0.56
28.	चंडीगढ़	52..93	26.77	59.44	67.43
29.	दमन	0.04	0.35	0.03	0.44
30.	दीव	—	0.04	0.22	—
31.	दादर और नागर हवेली	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	4.04	9.05	2.97	9.12
33.	लक्ष्य द्वीप	—	—	—	—
34.	सिलवासा	0.05	0.38	0.59	—
35.	सीटीडीएस	1263.63	276.62	1747.17	334.24

विवरण-II

दिनांक 31-3-94 और 31-3-95 की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रुपये से अधिक के (राज्य-वार) डोजियर मामले

क्र०सं०	राज्य का नाम	मामलों की कुल सं०		बकाया मांग	
					(रु० करोड़ों में)
		31.3.94	31.3.95	31.3.94	31.3.95
1.	महाराष्ट्र	422	454	5685.71	13088.42
2.	पश्चिम बंगाल	118	134	707.04	1210.96
3.	दिल्ली	125	175	482.70	1147.87
4.	पंजाब	11	14	25.40	100.79
5.	हरियाणा	1	5	2.77	18.01
6.	जम्मू व कश्मीर	3	4	3.44	12.15
7.	मध्य प्रदेश	5	13	17.56	50.04
8.	गुजरात	77	78	169.13	245.37
9.	राजस्थान	9	15	19.21	104.86
10.	केरल	10	13	38.64	63.08
11.	आन्ध्र प्रदेश	21	22	94.57	44.99
12.	बिहार	6	8	10.57	208.67
13.	उड़ीसा	2	8	4.09	30.49
14.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	6	10	9.25	21.71
15.	कर्नाटक	46	45	198.09	311.07
16.	तमिलनाडु	54	111	173.61	471.52
17.	उत्तर प्रदेश	28	30	131.00	139.34

[अनुवाद]

घाटे में चल रहे बैंक

594. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे बैंकों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इसमें से प्रत्येक बैंक को कितना घाटा हुआ; और

(घ) घाटे के कारणों का पता लगाने और खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उठाए गए घाटे की प्रमात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से जोर देकर कहा है कि वे अपने ऋण मूल्यांकन तंत्र की सुदृढ़ करें और अग्रिमों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण को मजबूत करें। बैंकों से यह भी कहा है कि वे अपने प्रिरचालन के प्रमुख क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार करें। खर्च को कम करने पर भी जोर दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा उठाए गए घाटों की प्रमात्रा

(करोड़ रु० में)

क्र०सं०	बैंक का नाम	1993	1994	1995
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	-105.89	-367.72	-76.36
2.	आन्ध्रा बैंक	-141.08	-162.25	-43.57
3.	बैंक आफ इंडिया	-331.12	-1089.15	50.35
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	-196.51	-296.93	-40.80
5.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	-383.31	-711.93	-84.24
6.	देना बैंक	-90.46	-69.84	30.02
7.	इंडियन बैंक	6.51	-390.65	14.26 (अनन्तिम)
8.	इंडियन ओवरसीज बैंक	-752.74	-351.18	10.38
9.	न्यू बैंक आफ इंडिया	-75.79	(X)	(X) (अनन्तिम)
10.	पंजाब एंड सिंध बैंक	-195.19	-175.99	-7.42
11.	सिंडिकेट बैंक	-670.08	-299.40	-91.79
12.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	-279.36	-618.06	-197.23
13.	यूको बैंक	-444.19	-546.45	-83.81
14.	विजया बैंक	-97.88	4.10	31.70

नोट :

(x) पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय किया गया।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में वाणिज्यिक स्थान

595. श्री अन्ना जोशी : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में रेस्तरां, दुकानों आदि के लिए स्थान के आबंटन हेतु कोई मानक, नियम और विनियम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाली स्थान प्राप्त करने के लिये लंबित आवेदनों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हां। जबकि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में दुकानें सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाती हैं, व्यापार-परिसर/रेस्तरां को प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक टेन्डर आमंत्रित करके पट्टे पर दिया जाता है।

(ग) दिनांक 27.2.1996 को तीन होटलों में पांच दुकानों और एक होटल में दो कार्यालय परिसरों के आबंटन हेतु कुल उन्नीस आवेदन विचाराधीन हैं।

लघु निवेशकों की समस्या

596. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष किसी न किसी कारण से शेयरों की दोषपूर्ण डिलीवरी की बढ़ती घटनाओं से शेयर हस्तांतरण की वर्तमान प्रणाली देश के विभिन्न क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंजों तथा लघु निवेशकों और उसके शेयर के दलालों के लिए समस्या पैदा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेयर हस्तांतरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) स्टाक एक्सचेंजों में त्रुटिपूर्ण सुपुर्दगियों की समस्या से निवेशकों, विशेषकर लघु निवेशकों को परेशानी हो रही है। इस समस्या के कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, इन बातों से संबंधित हैं; अंतरणकर्ताओं के हस्ताक्षरों में भिन्नता, पुराने अंतरण-फार्मों का प्रयोग और सभी ब्यौरे पूरी तरह और सही तरीके से भरे बिना अंतरण-फार्मों को जमा करना।

(ग) निक्षेप-निधि अध्यादेश, 1996 में प्रतिभूतियों में निक्षेप-निधियों तथा संबंधित मामलों के विनियमन की व्यवस्था की गई है। निक्षेप निधि प्रणाली स्थापित हो जाने पर कंपनियों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का इलेक्ट्रानिक वही प्रविष्टि अंतरण संभव हो पाएगा और इससे शेयर अंतरण की प्रणाली सुप्रवाही बन पाएगी।

बैंकों में ऋण जमा का अनुपात

597. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 तथा 31 दिसम्बर, 1995 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा तथा ऋणों के संबंध में ऋण/जमा का राष्ट्रीय औसत अनुपात क्या है;

(ख) बैंकों के मध्य उच्चतम तथा न्यूनतम ऋण जमा अनुपात वाले बैंकों के अलग-अलग नाम सहित सदृश्य आंकड़े क्या हैं;

(ग) 31 दिसम्बर, 1995 को बिहार में कार्यरत बैंकों का ऋण-जमा अनुपात क्या है तथा सभी बैंकों का सदृश्य औसत क्या है; और

(घ) बिहार में ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने के मामले में, विशेषतः ऐसे बैंकों के संबंध में जिनका अनुपात बिहार के कुल अनुपात से कम है, क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) बिहार और अखिल भारत के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात निम्नलिखित है :–

अन्तिम शुक्रवार की स्थिति (प्रतिशत)

	दिसम्बर, 1994	सितम्बर, 1995
	(नवीनतम उपलब्ध)	
	ऋण जमा अनुपात	ऋणजमा अनुपात
बिहार	33.5	31.3
अखिल भारत	57.9	60.0

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में उच्चतम और न्यूनतम ऋण जमा अनुपात निम्नलिखित है :–

	सभी अनु० वाणिज्यिक बैंक	ऋण जमा अनुपात रेंक	ऋण जमा अनुपात %
	(दिसम्बर, 1994 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति)		
1.	आईसीआईसीआई बैंकिंग कार्पोरेशन लि०	उच्चतम	1751.7
2.	सोनाली बैंक	न्यूनतम	12.1
	(सितम्बर, 1995 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति)		
1.	नोवा स्काटिया बैंक	उच्चतम	479.5
2.	सोनाली बैंक	न्यूनतम	41.0

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उच्चतम और न्यूनतम ऋणजमा अनुपात निम्नलिखित है :–

	(दिसम्बर, 1994 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति)		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	उच्चतम	78.1
2.	कार्पोरेशन बैंक	न्यूनतम	41.0
	(सितम्बर, 1995 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति)		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	उच्चतम	78.9
2.	सिंडिकेट बैंक	न्यूनतम	43.6

(घ) ऋण जमा अनुपात (सीडीआर) ने केवल बैंक द्वारा किये गये प्रयासों पर बल्कि क्षेत्र की ऋण खपत क्षमता, मूलभूत सुविधा संबंधी सहयोग और क्षेत्र के समग्र नीतिगत ढांचे जैसे विभिन्न अन्य मदों पर भी निर्भर करता है। बिहार में निम्न सीडीआर के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से एक कृतिक बल का गठन किया गया है। इस कृतिक बल ने पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में विचार विमर्श किया गया था।

विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली वृत्तिका

598. श्री बलराज पासी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय द्वारा दी जा रही मूल्यांकन वृत्तिका का निर्धारण काफी समय पहले किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह कब निर्धारित की गयी थी तथा यह धनराशि किन-किन बातों के आधार पर निर्धारित की गई थी;

(ग) इस राशि के मौद्रिक मूल्य में इस राशि के निर्धारण के समय के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में 1 जनवरी, 1996 तक कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) इस राशि के मौद्रिक मूल्य में 1 जनवरी, 1996 तक हुई वृद्धि के अनुरूप इस वृत्तिका की राशि में भी वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) 30 दिवस की अवधि हेतु वर्तमान 100%-रु० की मूल्याकंन वृत्तिका दर का निर्धारण 1984 में किया गया था। यह वृत्तिका व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्रों में भर्ती किए गए विकलांग अभ्यर्थियों को व्यावसायिक मूल्यांकन के दौरान फुटकर खर्च करने के लिए तथा उन्हें मूल्यांकन से सतत् रूप से संबद्ध रहने हेतु दी जाती है।

(ग) और (घ) मूल्यांकन वृत्तिका को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से नहीं जोड़ा जाता है।

चावल के निर्यात पर गुणवत्ता नियंत्रण

599. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में देश-वार चावल (बासमती और गैर-बासमती दोनों) के निर्यात की कुल मात्रा और मूल्य क्या है;

(ख) क्या यूरोपीय देश भारत और अन्य देशों से बासमती चावल के आयात के लिये कोई विशेषकर में छूट प्रदान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भारत के निर्यात किये गये बासमती चावल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है और वह उस दर की छूट का दावेदार नहीं है, जोकि अन्य देशों से निर्यातित उच्च स्तर की बासमती चावल को दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(च) निर्यातित चावल, विशेषकर बासमती चावल के गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ा बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बासमती तथा गैर-बासमती चावल के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

मात्रा मी० टन में
मूल्य करोड़ रु० में

	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96(अप्रैल-दिस०, 95)	
वस्तु	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	324790	800.64	536534	1030.95	468695	857.76	271706	578.21
गैर-बासमती चावल	255619	174.96	268908	249.14	422727	323.45	3498967	2428.07
कुल :	580409	975.60	805442	1280.09	891423	1181.21	3770673	3006.28

स्रोत : डी०जी०सी०आई०एण्ड०एस०, कलकत्ता।

निर्यात के देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन/वार्षिक अंकों में उपलब्ध होते हैं, जिनकी प्रतियां संसद के पुस्कालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) यूरोपीय आयोग ने दिनांक 1.7.1995 से चावल पर आयात शुल्क के लिए एक नया कानून लागू किया है। इस कानून में अन्य बातों के साथ-साथ एक संदर्भ कीमत प्रणाली को अपनाया गया है। जिसमें भारतीय मूल के छिलके वाले बासमती चावल के लिए 250 ई०सी०यू० प्रति मी० टन तथा पाकिस्तानी मूल के छिलके वाले बासमती चावल के लिए 50 ई०सी०यू० प्रति मी० टन की आयात टैरिफ रियायत दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) बासमती चावल कच्चा मशीन से तैयार किया गया/पालिशन किया हुआ/छिलका रहित/ब्राऊन (केवल निर्यात के लिए) की गुणवत्ता का ग्रेड निर्धारण तथा परिभाषा निर्यात (गुणवत्ता, नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत दिनांक 14.9.1990 के आदेश में है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 1.12.1995 से बासमती चावल के निर्यात हेतु संविदा का पंजीकरण भी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के यहां कराना पड़ता है।

सुरक्षा मानकों का उल्लंघन

600. श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि निजी एयरलाइन्स सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दोषी विमान सेवाओं के विरुद्ध वित्तीय दंड लगाने के लिये कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताए क्या हैं; और

(ङ) ऐसे कानून को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) नवम्बर, 1995 से फरवरी, 1996 (आज तक) की अवधि के दौरान 4 निजी विमान कम्पनियों अर्थात् मोदी लुफ्थ, ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स, एलबी एयरलाइन्स और मैस्को एयरलाइन्स द्वारा सुरक्षा विनियमों के उल्लंघन की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। इन उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार कर्मीदल सदस्यों/कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। चूककर्ता वाहनों पर लगायी जानी वाली शास्तियों का प्रावधान करने के लिए वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) इस समय कोई तारीख/समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प और उपहार मेला

601. श्री धर्मण्णा मोडूडया सादुल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प और उपहार मेले में देश और विदेश से काफी कारोबार हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार और मद-वार ब्योरा क्या है ?

श्रममंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां। हाल ही में आयोजित तीसरे भारतीय हस्तशिल्प तथा उपहार मेले में अनुमानतः 600 करोड़ रु० का भरपूर व्यापार हुआ।

(ख) किसी विशेष मेले के देशवार तथा मदवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

सीमाशुल्क कार्यालयों में समान प्रक्रियाएं तथा प्रलेखन

602. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत निर्यात संगठन संघ ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि देश भर के सभी सीमा शुल्क कार्यालय समान प्रक्रियाओं तथा प्रलेखन का अनुसरण करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात हाउसों को शुल्क अदायगी की त्रुटियों के दावे से संबंधित विभिन्न मामलों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय को भारत निर्यात संगठन संघ से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सीमा शुल्क गृहों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे केवल उस स्थिति को छोड़ कर, जब स्थानीय आवश्यकताओं के कारण कुछेक परिवर्तन करना जरूरी हो, निर्धारित प्रक्रियाओं और प्रलेखन पद्धति का ही अनुसरण करें।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निर्यात गृहों ने प्रतिअदायगी दावों की अदायगी के बारे में सामान्य रूप से होने वाली किसी कठिनाई की सूचना नहीं दी है। तथापि, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और उन्हें सरल बनाने का कार्य निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

पुरूलिया कांड से जुड़े विमान

603. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारीख-वार किन-किन हवाई अड्डों पर पुरूलिया कांड से जुड़ा विमान उतरा कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त विमान के विमानचालक ने इस संबंध में पुर्वानुपति ली थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कांड में कौन-कौन सी त्रुटियां उभर कर सामने आई और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) उक्त विमान 17.12.95 को वाराणसी और कलकत्ता में तथा 21.12.95 को मद्रास में तेल भरवाने के लिए उतरा था। 22.12.95 को मुम्बई में इसे जबरन उतरवाया गया था।

(ख) और (ग) विमानचालक ने वाराणसी में विमान में तेल भरवाने के तकनीकी अवतरण सहित कराची से यंगून तक तथा वापसी पर फुकेत (थाइलैंड) से कलकत्ता और वाराणसी के रास्ते कराची की उड़ान प्रचलित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से पूर्व अनुमति ली थी।

(घ) चार्टरित उड़ानों के परमिटों के दुरुपयोग को रोकने हेतु उपाय सुझाने के लिए सरकार ने गृह मंत्रालय के विशेष सचिव श्री वी०के० जैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। सरकार द्वारा यथा स्वीकृति, समिति की सिफारिशों का सख्ती से अनुसरण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

604. श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
डा० लाल बहादुर रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1996 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कुल कितनी किश्तें देय हो गई हैं;

(ख) विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को प्रस्तावित अदायगी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) से (ग) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करने से सम्बंधित मौजूदा फार्मूले के अनुसार, महगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (1960=100) के 12 महीने के औसत में 608 के आधार सूचकांक, जिससे 1.1.1986 से प्रभावी मौजूदा वेतनमान संबद्ध है, में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई से देय होती है। पहली जनवरी से देय महंगाई भत्ते की किस्त सामान्यतया मार्च महीने के वेतन के साथ भुगतान योग्य होती है जिसका भुगतान अप्रैल में किया जाता है।

बाल श्रमिक

605. श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री रवि राय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल श्रमिकों की वर्तमान संख्या क्या है तथा उनमें से खतरनाक कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) 10 वर्ष से कम आयु वाले बाल श्रमिकों की संख्या क्या है;

(ग) इस बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 1995-96 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या लक्ष्य पूरे किए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या खतरनाक कार्य को पुनः परिभाषित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि खतरनाक कार्यों से बाल श्रम को दूर करने की प्रधानमंत्री की कार्य योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) बाल श्रम के संबंध में प्रमाणिक आंकड़े दसवर्षीय जनगणना के में एकत्रित किये जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार, देश में बाल श्रमिकों की जनसंख्या 13,640,972 है। राज्यवार वितरण विवरण में दिया गया है। अनुमान है कि इस समय लगभग 20 लाख बाल श्रमिक जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्यरत हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रम के संबंध में आंकड़े जनगणना महापंजीयक द्वारा अभी उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं। 10 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान, जोखिमकारी व्यवसायों और प्रतिक्रियाओं में नियोजित 2 लाख बाल श्रमिकों का पुनर्वास करने का प्रस्ताव है। आदिनांक 70 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं, जिनमें 1.36 लाख बालक शामिल हैं, को निधियां जारी कर दी गई हैं। सरकार का उद्देश्य वर्ष 2000 तक चरणबद्ध रूप से जोखिमकारी व्यवसायों/प्रतिक्रियाओं से बाल श्रम का उन्मूलन करने का है।

(च) और (छ) "जोखिमारी कार्य" शब्द को पुनः परिभाषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 की अनुसूची के भाग क और ख में 7 व्यवसाय और 18 प्रक्रियाएं हैं जिनमें बाल श्रमिक नियोजित नहीं किये जा सकते। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत गठित तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह के आधर पर समय-समय पर अनुसूची में और नाम जोड़े जाते हैं।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों (0-14 वर्ष की आयु वर्ग) का राज्य-वार संवितरण दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	0-14 आयु वर्ग के कर्मकार 1981 की जनगणना
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,951,312
2.	असम	**
3.	बिहार	1,101,764
4.	गुजरात	616,913
5.	हरियाणा	194,189
6.	हिमाचल प्रदेश	99,624
7.	जम्मू एवं कश्मीर	258,437
8.	कर्नाटक	1,131,530
9.	केरल	92,854
10.	मध्य प्रदेश	1,698,597
11.	महाराष्ट्र	1,557,756
12.	मणीपुर	20,217
13.	मेघालय	44,915
14.	नागालैण्ड	16,235
15.	उड़ीसा	702,293
16.	पंजाब	216,939
17.	राजस्थान	819,885
18.	सिक्किम	8,561
19.	तमिलनाडु	975,051
20.	त्रिपुरा	24,204
21.	उत्तर प्रदेश	1,434,675
22.	पश्चिम बंगाल	605,263
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1,309
24.	अरुणाचल प्रदेश	17,950
25.	चंड़ीगढ़	1,986
26.	दादर व नागर हवेली	3,615
27.	दिल्ली	25,717
28.	गोवा दमण और दीव	9,378
29.	लक्षद्वीप	56
30.	मिजोरम	6,314
31.	पांडिचेरी	3,606
	कुल	13,640,872

** असम में 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी क्योंकि उस समय राज्य में अशान्तिपूर्ण स्थिति थी।

गुजरात में खान दुर्घटनाएं

606. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1995 तक गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार गुजरात के, विशेष रूप से जनजातीय जिला में, खानवार कितनी खान दुर्घटनाएं हुई है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या खानों में आधुनिक तकनीक का उपयोग इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे गुजरात राज्य (जनजातीय क्षेत्रों सहित) में घटी खान दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है।

(सितम्बर, 95 तक)

खान का नाम	जिला	दुर्घटनाओं की संख्या
1993		
पनान्धरो लिग्नाइट खान, गुजरात मिनरल डेव०कार्पो०	कच्छ	4
शिवराजपुर मैंगनीज खान, सी०के० ठक्कर एण्ड संस	पंचमहल	1
अंकलेश्वर प्रोजेक्ट ऑयल माइन, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार०लि०	भरूच	8
मेहसाना प्रोजेक्ट (ड्रिलिंग) ऑयल माइन, आ० एण्ड नेचु०गैस०कार०लि०	मेहसाना	1
मेहसाना (टी बी जी) आयल माइन, आ० एण्ड नेचु०गैस०कार०लि०	मेहसाना	1
अहमदाबाद ऑयल प्रोजेक्ट, आ० एण्ड नेचु० गैस०कार०लि०	अहमदाबाद	2
चोरबेदी लाइमस्टोन माइन, श्री दिग्विजय सीमेंट्स का०लि०	जामनगर	1
पोरबंदर लाइमस्टोन माइन, एच०एम०पी० सिमेंट लि०	जूनागढ़	1
1994		
अहमदाबाद ऑयल प्रोजेक्ट, आ० एण्ड नेचु० गैस०कार०लि०	अहमदाबाद	2
मेहसाना प्रोजेक्ट (ड्रिलिंग) ऑयल माइन, आ० एण्ड नेचु० गैस कार०लि०	मेहसाना	2
पनान्धरो लिग्नाइट माइन, गुजरात मिनरल डेव०कार०	कच्छ	1
अंकलेश्वर प्राजेक्ट ऑयल माइन, ऑ० एण्ड नेचु० गैस०कार०लि०	भरूच	4
चोरबेछी लाइनस्टोन लाइन, श्री दिग्विजय सीमेंट का०लि०	जामनगर	1
1995 (सितम्बर तक)		
पनान्धरो लिग्नाइट माइन, गुजरात मिनरल डेव०का०	कच्छ	1
अहमदाबाद ऑयल प्रोजेक्ट, आ० एण्ड नेचु० गैस कार०लि०	अहमदाबाद	1
आदित्याना लाइमस्टोन माइन सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल इन्डस्ट्रीज लि०	जूनागढ़	1
मेहसाना प्रोजेक्ट (ड्रिलिंग) आयल माइन, ऑ०एण्ड नेचु० गैस कार०लि०	मेहसाना	2
अंकलेश्वर प्रोजेक्ट ऑयल लाइन, आ० एण्ड नेचु० गैस०कार०लि०	भरूच	1
नरमदा लाइमस्टोन माइन नरमदा सीमेंट का०लि०	अमरेली	1

खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में अंतर्दिष्ट हैं। सुरक्षा संबंधी विधियों को निरंतरतः समीक्षा की जाती है और समय-समय पर उनमें संशोधन किया जाता है। वर्ष 1990 के दौरान, कोयला खान विनियम, 1957 में व्यापक संशोधन किए गए थे। खान सुरक्षा महानिदेशालय भी परिपत्र के रूप में प्रबंधनों को सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करता रहता है। खान प्रबंधों द्वारा विधि के इन उपबंधों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी सुरक्षा उपबंधों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी करने के लिए खानों का आवधिक रूप से निरीक्षण करते हैं और चूक की

स्थिति में खान अधिनियम, 1952 के अधीन यथा-उपबंधित, कार्रवाई करते हैं। विधायी उपायों के अलावा, सरकार कई अन्य पहलों को बढ़ावा दे रही है, जैसे :–

(i) खानों में सुरक्षा संबंधी सम्मेलन;

(ii) प्रबंधन द्वारा स्वतः विनियमन;

(iii) सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों को सहभागिता।

(iv) भिन्न-भिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षाएं।

(v) कृत्यकारी व्यक्तियों का परीक्षण;

(vi) सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना और सुरक्षा अभियान चलाना।

(vii) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार;

सार्वजनिक क्षेत्र और संगठित निजी क्षेत्र के अधीन खानों, में खनिज निकालने के कार्य में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है जिससे कृत्यकारी व्यक्तियों को चोट लगने की आशंका कम हो जाती है। तथापि, असंगठित निजी क्षेत्र की खानों में खनन प्रमुखतः शारीरिक श्रम द्वारा किया जाता हैं।

बैंक सेवा भर्ती बोर्डों में सुधार

607. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में स्थापित बैंक सेवा भर्ती बोर्डों की वर्तमान कार्य प्रणाली में सुधार लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अलग-अलग बैंकों को अधिकारियों की सीधे भर्ती करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) इस समय न तो बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की वर्तमान प्रणाली में संशोधन करने और न ही बैंकों द्वारा अधिकारियों की सीधी भर्ती करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भर्ती की पद्धति और प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए श्री डी०आर०मेहता की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति गठित की है। इस समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

608. **श्री अन्ना जोशी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं लागू हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष में प्रत्येक सरकारी उपक्रम में कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं को स्वीकार किया;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य सरकारी कार्यालयों एवं अन्य क्षेत्रो में भी इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए 5.10.1988 को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति को एक आदर्श योजना तैयार की थी जिसका उद्देश्य फालतू जनशक्ति को यौक्तीकृत करना था। योजना के अनुसार, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का विकल्प करने वाला कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 45 दिन का पारिश्रमिक (वेतन+मंहगाई भत्ता) के रूप में अनुज्ञा राशि अथवा नौकरी छोड़ने के समय शेष सेवा गुणे उसका मासिक पारिश्रमिक, जो कम हो, प्राप्त करेगा। यह विभिन्न सेवा-समाप्ति लाभों और उसे देय भविष्य निधि, उपदान, अर्जित अवकाश की नगदी, एक माह/तीन माह का नोटिस वेतन (उसके संबंध में लागू होने वाली सेवा शर्तों के अनुसार) आदि जैसे कानूनी देयों के अतिरिक्त होगा।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1994-95 के दौरान, 159 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 29082 कर्मचारियों ने स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का विकल्प किया।

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर पहले की बताया गया है यह योजना विशिष्टतः केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए बनाई गई थी।

एन०आर०ई० खातों का दुरूपयोग

609. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद**
श्री जीवन शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी (बाह्य) खातों का मुद्रा तस्करी के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों को रोकने तथा ऐसी तस्करी हेतु नियमों और विनियमों में पाई जाने वाली सभी खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मुद्रा की तस्करी के वर्षवार कितने मामले प्रकाश में आये हैं तथा उन मामलों में प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) तक मुद्रा की तस्करी के लिए अनिवासी (बाह्य) (एन०आर०ई०) खातों के दुरुपयोग का कोई मामला प्रवर्तन निदेशालय को नहीं मिला है। फिर भी, पिछले 2-3 वर्षों के दौरान इस निदेशालय के कुछ मामलों का पता लगाया है, जिनमें भारत में प्राप्त की गई/खरीदी गई विदेशी मुद्रा को जमा करने और भारतीय निवासियों को उपहार देने के उद्देश्य से चैक/ड्राफ्ट जारी करने के लिए अनिवासी बाह्य खातों का तथाकथित दुरुपयोग निहित है।

[हिन्दी]

भारतीय पर्यटन विकास निगम की ड्यूटी शापों का कारोबार

610. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम की ड्यूटी ...गों के कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ख) आने वाले वर्षों के दौरान इन दुकानों के कारोबार में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उपरोक्त कदम उठाये जाने से कारोबार में कितनी वृद्धि की संभावना है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सूचना नीचे दिए अनुसार है :–

वर्ष	कारोबार (रु० करोड़ों में)
1992-93	40.67
1993-94	46.55
1994-95	61.47

(ख) और (ग) शुल्क मुक्त दुकानों के कारोबार को बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में, विभिन्न विक्रय योग्य वस्तुओं की विविधता को बढ़ाना, संवर्धनात्मक कार्यकलापों/विज्ञापन तथा यात्रा मेलों में भागीदारी, प्रगतिशील विपणन एवं बिक्री नीतियां, विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा वर्तमान व नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों को बढ़ाना शामिल हैं। शुल्क मुक्त दुकानों का व्यापारिक कारोबार प्रतिवर्ष 20% बढ़ने की आशा है।

[अनुवाद]

बड़े नियोजकों के परिसरों में आयकर कैम्प कार्यालय

611. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने हाल में बड़े नियोजकों, निगमों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों में प्रयोगात्मक आधार पर आयकर परिसर की सुविधा देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु प्रारंभ में दिल्ली क्षेत्र में बड़े नियोजकों का चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है लेकिन करदाताओं की बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करते रहते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

612. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नकदी की कमी को दूर करने तथा मांग मुद्रा की दरों पर रोक लगाने हेतु बैंकों द्वारा अपनाये जाने वाले प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे परिस्थितिया वास्तव में क्या हैं जिनके कारण प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती की आवश्यकता पड़ी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 9 दिसम्बर, 1995 से शुरू होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात निवल मांग और मीयादी देयताओं के 15 प्रतिशत से घटाकर निवल माग और मीयादी देयताओं का 14 प्रतिशत कर दिया था। अनिवासी (विदेशी) (एन०आर०ई०) रुपया जमा राशियों पर औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात दिनांक 6 जनवरी, 1996 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 14.0 प्रतिशत से घटाकर 10.00 प्रतिशत कर दिया गया था। दिनांक 6 जनवरी, 1996 से शुरू होने वाले पखवाड़े से विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों और अनिवासी गैर-प्रेषण जमाराशियों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात की शर्तों से पूरी तरह छूट दे दी गई थी।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कटौती मौद्रिक एवं ऋण खपाने के संदर्भ में तथा बैंकों के स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता के संदर्भ में की गई थी। अनिवासी जमाराशियों पर आरक्षित निधि अपेक्षाओं में छूट, इन स्रोतों को बढ़ाने की लागत तथा इन निधियों के अभिनियोजन पर आय और साथ ही बैंकों के लिए इन जमाराशियों की ओर अधिक आकर्षक बनाने तथा बैंकों को इन जमाराशियों के बेहतर उपयोग में सक्षम बनाने के लिए दी गई थी।

सिंडिकेट बैंक की शाखाएं

613. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सिंडिकेट बैंक की शाखाएं कहां-कहां पर हैं और इन शाखाओं में अनु० जातियों अनु० जनजातियों के श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या 1996-97 में इस राज्य में इस बैंक की कुछ और शाखाएं खोलने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कहां-कहां खोलने का प्रस्ताव हैं; और

(घ) इनमें अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) सिंडिकेट बैंक ने गुजरात में अपनी शाखाओं और इन शाखाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या के निम्नलिखित ब्यौरे दिए हैं :–

जिला	शाखाओं की सं०	संबंधित कर्मचारियों की संख्या	
		अनु०जाति	अ०ज०जा०
1	2	3	4
अहमदाबाद	15	103	27

1	2	3	4
भावनगर	1	5	—
भलव	1	3	2
बलसार	2	5	17
गांधीनगर	1	7	3
जामनगर	2	6	1
जूनागढ़	2	4	5
खेड़ा	4	12	5
कच्छ	2	6	4
मेहसाणा	4	19	2
राजकोट	4	9	7
सुरत	7	14	50
सुरेन्द्रनगर	1	4	2
बड़ोदरा	3	12	3
जोड़	47	209	128

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सिंडिकेट बैंक द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, उसे उन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से शाखाएं खोलने की अनुमति दी सकती है जहां प्रस्तावित शाखा से परिचलान के प्रथम वर्ष में ही निवल लाभ अर्जित करने की अपेक्षा की जाती है। गुजरात में शाखा खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कोई प्रस्ताव जमा नहीं किया है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :–

(1) वर्ष 1989, 1990, 1991, 1992, 1993-94 और 1995 के दौरान विशेष भर्ती अभियान चलाए गए और काफी पिछला बकाया पूरा किया गया है;

(2) सरकारी क्षेत्र में बैंकों में अ०जा० और अ०ज०जा० की भर्ती और उनके प्रतिनिधित्व की स्थिति की सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा विस्तृत प्रोफार्मा के माध्यम से प्रत्येक छः माही में समीक्षा की जा रही है और सरकार की स्थिति की सूचना दी जा रही है।

(3) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों को सभी बैंकों द्वारा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण किया जा रहा है;

(4) अनुसूचित जनजाति बहुत क्षेत्रों के निकट परीक्षा केन्द्रों की स्थापना;

(5) बैंकों से कहा गया है कि वे अपने अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मों में कार्यरत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करें ताकि आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की आवश्यकता के प्रति उन्हें पूरी तरह बनाया जा सकें।

मूल्य सूचकांक

614. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1991 के प्रथम सप्ताह में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा थोक मूल्य सूचकांक क्या था तथा अप्रैल, 1995 में तथा जनवरी 1996 के प्रथम सप्ताह में तदनुरूप आंकड़े क्या थे;

(ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा थोक मूल्य सूचकांक दोनों के संदर्भों में 1991-95 के चार वर्षों के बीच की अवधि में कुल मुद्रास्फीति क्या रही तथा 1991-96 की 5 वर्ष की अवधि में कुल मुद्रास्फीति की अनुमानित दर क्या रही;

(ग) 1991-95 के दौरान तथा 1991-96 के लिए अनुमानित प्रतिशत वृद्धि या गिरावट सहित इन प्रत्येक तीन तिथियों को 1981 को आधार वर्ष मानते हुए रुपए की क्रयशक्ति क्या थी;

(घ) क्या सरकार भविष्य में मुद्रास्फीति दर को शून्य तक घटाने हेतु कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी०पी०आई०-आई०डब्ल्यू०) मासिक आधार पर निर्मित और घोषित किया जाता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक साप्ताहिक आधार पर घोषित किया जाता है। अप्रैल, 1991 और अप्रैल, 1995 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और अप्रैल, 1991 और 1995 के पहले सप्ताह और जनवरी, 1996 के पहले सप्ताह के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक नीचे सूचीबद्ध हैं :–

		सूचकांक	
वर्ष	माह	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	थोक मूल्य सूचकांक
1991	अप्रैल	202	192.3
1995	अप्रैल	295	286.8
1996	जनवरी	उपलब्ध नहीं	297.9

(ख) और (ग) 1991-92 से 1995-96 तक औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आई डब्ल्यू और थोक मूल्य सूचकांक, दोनों के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर (बिन्दु-प्रति-बिन्दु) और इन वर्षों के लिए 1982 को आधार मानकर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में मापित रुपए की क्रय शक्ति नीचे दर्शायी गई हैं :–

	वार्षिक मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)		रुपए की क्रय शक्ति (पैसे)
	सी०पी०आई०-आई०डब्ल्यू०	डब्ल्यू०पी०आई०	
1	2	3	4
1991-92	13.9	13.6	45.66
1992-93	6.1	7.0	41.67

1	2	3	4
1993-94	9.9	10.8	38.76
1994-95	9.7	10.4	35.84
1995-96	9.7 x	4.4 xx	31.55 x

x दिसम्बर, 1995

xx 10.2.1996 के अनुसार।

(घ) और (ङ) अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दबावों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है और 10 फरवरी, 1996 को 4.4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर चालू राजकोषीय वर्ष में प्राप्त सफलता का सूचक है।

हवाई अड्डा करों का एक ही स्थान पर भुगतान

615. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटस्वरलु** : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी यात्रियों के लिए हवाई अड्डा करों के भुगतान हेतु "एक ही स्थान पर भुगतान प्रणाली" को शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारत से विमान पर चढ़ने वाले यात्रियों को विदेश यात्रा कर अदा करना पड़ता है, तो प्रस्थान के हवाई अड्डों पर एकल स्थल पर वसूल किया जाता है।

11.07 म०पू०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 6 मार्च, 1996/ 16 फाल्गुन, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।